अंक 128

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता के लिए मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह के हाथों
राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते संभागीय आयुक्त साँवरमल वर्मा।

सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता के लिए मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह के हाथों
संभाग स्तरीय प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते आईएएस डॉ. भंवरलाल।

संरक्षक
श्री राजेश्वर सिंह
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

परामर्शदाता
श्री आर.डी. मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य
श्री श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य
श्री भँवर सिंह सांदू, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य
श्री राकेश कुमार शर्मा, सदस्य
श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य
श्रीमती कमला अलारिया, सदस्य

वरिष्ठ संपादक
श्री महावीर प्रसाद
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सम्पादक
(प्रभारी अधिकारी, राविरा)
पवन कुमार शर्मा
सहायक निदेशक (जनसंपर्क)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सहयोग
गफूर अली
वरिष्ठ सहायक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

मुद्रक
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

राजस्व मण्डल राजस्थान की त्रैमासिकी

अंक–128 रजि. क्रमांक 18119/70

अनुक्रमणिका

1. अध्यक्ष की कलम से
2. संपादकीय

लेख-सामग्री एवं विविध जानकारी

3. राजस्व न्यायालयों में निर्णय लेखन के सिद्धांत — 1-5
4. लोक व्यवस्था अनुरक्षण: कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में राजस्व अधिकारी की भूमिका — 6-20
5. चरागाह — 21-30
6. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजनों के लिए रूपान्तरित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन — 31-34

स्थायी स्तम्भ

7. राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय — 35-96
8. अधिसूचनाएँ — 97-152
9. राजस्व समाचार — 153-164

सूचना : राविरा में प्रकाशित लेख, रचनाएं लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं, उनसे राजस्व मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

राविरा में प्रकाशन हेतु आलेख, सफलता की कहानियां आदि सामग्री ई-मेल आईडी proboraj@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।

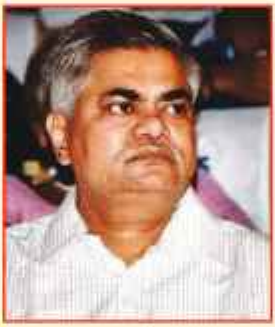

अध्यक्ष की कलम से...

राज्य के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के समयबद्ध एवं विधिसम्मत निस्तारण को लेकर राजस्व मंडल की ओर से लागू किए गए नवाचारों से सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान समय-समय पर आयोजित राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की निर्णय लेखन कार्यशालाओं, न्यायालय की कार्यप्रणाली में उत्तरोत्तर सुधार के लिए पंचवर्गीय निबंध प्रतियोगिताओं एवं राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिताओं के आयोजन से राजस्व न्यायालय में अपेक्षानुरुप गुणात्मक सुधार देखने को मिल रहा है।

राजस्व न्यायालयों का दायित्व निर्वहन कर रहे पीठासीन अधिकारियों के समक्ष विविध प्रशासनिक एवं लोक कल्याण के कार्यों के साथ-साथ न्यायालयों के नियमित संचालन की गंभीर चुनौती है। न्याय की आस लगाये कृषक समुदाय को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए हमें पूर्ण समर्पित होकर कार्य करने की महती आवश्यकता है। राजस्व वादों में कमी लाने के लिए हमें विशेष कार्ययोजना को अपनाना होगा। अधिकारियों को चाहिए कि वह न्यायालय में लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता तय करते हुए निस्तारण करें। प्रकरण अनावश्यक लंबित ना रहे, लंबे अन्तराल से तारीखें ना दी जाएं तथा अधीनस्थ न्यायालयों से वांछित पत्रावलियां अविलंब अपीलीय न्यायालयों को भिजवायी जाएं।

अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में विधिक प्रक्रियाओं की समुचित पालना सुनिश्चित करने को लेकर राजस्व मंडल के स्तर से समय-समय पर परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। पीठासीन अधिकारियों द्वारा इन निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करते हुए इन्हें न्यायालयों की कार्यप्रणाली में पूरी तरह शामिल किए जाने की आवश्यकता है। पीठासीन अधिकारी निर्णय लेखन कार्य में पूर्ण गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राजस्व न्यायालयों से पारित सर्वश्रेष्ठ निर्णयों का भली भांति अध्ययन करें। निर्णयों की गुणवत्ता इतने उत्कृष्ट स्तर की होनी चाहिये कि वे अन्य न्यायालयों के लिए उदाहरण के रूप में जाने जाएं।

मैं आशा करता हूं कि राजस्व न्यायालय का दायित्व निर्वहन कर रहे पीठासीन अधिकारी राजस्व प्रकरणों का त्वरित, विधिसम्मत व समयबद्ध निस्तारण कर अपनी श्रेष्ठ कार्यक्षमता का परिचय देंगे व आम जन को राहत प्रदान करेंगे।

राजेश्वर सिंह

अध्यक्ष

संपादकीय..

सुधी पाठकगण,

कृषक समुदाय एवं आम जन के लिए उपयोगी राजस्व विषयक अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों सहित अन्य जानकारी एवं महत्वपूर्ण निर्णयों को समाहित करते हुए त्रैमासिक पत्रिका राविरा का 128वां अंक आपको भिजवाते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राजस्व न्यायालयों में निर्णय लेखन की गुणवत्ता को लेकर राजस्व मंडल स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, निर्णय लेखन के सिद्धांतों पर आधारित विशेष सामग्री के साथ ही राजस्व अधिकारियों की कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में दायित्व, कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकन, चरागाह भूमि की उपादेयता आदि उपयोगी सामग्री इस अंक में समाहित की गई है। इसके साथ ही राज्य में नवीन राजस्व इकाइयों के गठन की अधिसूचनाओं को भी संदर्भ उपयोगिता के मद्देनजर इस अंक में शामिल किया गया है। डिजिटाइजेशन के दौर में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सभी ऑनलाइन तहसीलों में ऑटो म्यूटेशन का कार्य आरंभ हो गया है। आम जन को अपने कार्य पेपरलेस करवाने की सुविधा मिलने लगी है। इसी कड़ी में राजस्व मंडल न्यायालय स्तर पर भी फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पत्रावलियों की मॉनिटरिंग करना संभव हो पा रहा है। यह प्रकरणों के निस्तारण में समय की बचत करने वाला एवं कृषक समुदाय के लिये राहतकारी कदम है।

राविरा पत्रिका का यह अंक आप सभी के लिए संदर्भ एवं आपके कार्य संपादन की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा ऐसा मेरा विश्वास है।

शुभकामनाओं सहित,

महावीर प्रसाद
निबंधक

कविता

लोग...

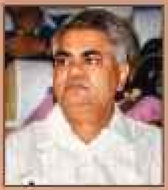

–राजेश्वर सिंह, आई.ए.एस.
अध्यक्ष, राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

इस दुनिया में देखे मैंने
तीन तरह के लोग,
तर्कशील पहली श्रेणी में,
करें न किंचित शोक।

हर स्थिति और परिस्थिति
का करते हैं विश्लेषण,
क्या सर्वोत्तम समाधान है,
करते हैं अन्वेषण।

मन मस्तिष्क नियंत्रित रखते,
भाव प्रवाह में नहीं बहते,
दुर्गम पथ पर चलते रहते,
पर निगाह मंजिल पर रखते।

जो अतीत हो चुका व्यतीत है,
उसकी तनिक न चिन्ता करते,
एक लक्ष्य निर्धारित करके,
निशदिन कठिन परिश्रम करते।

सफल हुए तो घमण्ड नहीं है,
विफल हुए मन भंग नहीं है,
हार जीत की परिस्थिति में
व्यथा नहीं और उमंग नहीं है।
हर स्थिति में जो आगे की,
समरनीति करते निर्माण,
कर विकल्प पर चिन्तन, मंथन,
लक्ष्यसिद्धि हित करें प्रयाण।
इसी जगत में देखे मैंने
दु:ख में डूबे भावुक लोग,
मेरे साथ हुआ क्यों ऐसा,
करते रहते इसका शोक।।

सदा भावना से परिचालित,
हृदय स्थली से संचालित,
जीत गये तो परम प्रफुल्लित,
हार गये तो मन से विचलित।

एक तीसरी श्रेणी भी है
जो सन्तुलन सुनिश्चित करती,
एक बार विचलित हो जाती,
पर फिर मन को सुस्थिर करती।

सारा खेल जगत में प्यारे,
वर्तमान में जीने का है,
अमृत की अभिलाषा रखके
घूँट जहर का पीने का है।

सदा न मिलती हार किसी को
सदा न मिलती जीत,
ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि
इसकी करो प्रतीति।।

राजस्व न्यायालयों में निर्णय लेखन के सिद्धांत

महावीर प्रसाद IAS
निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. प्रस्तावना :

न्यायिक विचारण में निर्णय लेखन अन्तिम सोपान है। एक न्यायिक विचारण की सफलता और विफलता निर्णय की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। एक स्पष्ट, बोधगम्य और तार्किक निर्णय विचारण के श्रम को सार्थक कर देता है। निर्णय लेखन कला के साथ–साथ विज्ञान भी है। यदि निर्णय लेखन के मूल सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए निर्णय की रचना की जाये तो यह उस तस्वीर के सदृश्य स्वयं बोलता है, जिसे चित्रकार रेखा और रंगों के समन्वय से सजीव बना देता है। निर्णय लेखन में सिद्धांत रेखाएँ हैं, भाषा सौष्ठव और वाक्य विन्यास रंग हैं तो तार्किक प्रस्तुतीकरण समन्वय है।

निर्णय न्यायाधीश के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। निर्णय से न्यायाधीश की विद्वता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और न्यायप्रियता परिलक्षित होती है। अस्पष्ट, आधा–अधूरा, अतार्किक और कारणरहित निर्णय न्यायाधीश की निष्पक्षता और निष्ठा को संदिग्ध बनाता है। सावधानीपूर्वक लिखा गया निर्णय न्यायिक विवाद का अन्त कर देता है और अपील, पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, जिससे न केवल विचारण और अपील न्यायालयों के समय और श्रम की बचत होती है बल्कि, नागरिकों के श्रम, समय और धन की भी बचत होती है। इसलिए सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में निर्णय लेखन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है।

राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया लगभग सिविल न्यायालयों के समान ही होती है। इसलिए राजस्व न्यायालयों में भी निर्णय लेखन के सिद्धांत उन्हीं नियमों से शासित होते हैं जो सिविल न्यायालयों में लागू होते हैं।

2. निर्णय की संरचना :

निर्णय की संरचना में दो पहलू विचारणीय हैं। एक निर्णय की अन्तर्वस्तु और दूसरा निर्णय की अन्तर्वस्तु का अनुक्रम।

2.1 अन्तर्वस्तु :

निर्णय की अंतर्वस्तु के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 4(2) और 5 में प्रावधान किये गये हैं। नियम 4(2) के अनुसार न्यायालयों के निर्णयों में मामले का संक्षिप्त कथन, अवधार्य प्रश्न, उनका विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट होंगे। नियम 5 के अनुसार उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई

है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक् विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों सहित देगा।

इस प्रकार किसी भी निर्णय में मामले के संक्षिप्त तथ्य, विनिश्चय के लिए प्रश्न अर्थात् विवाद्यकों और उन विवाद्यकों पर एक-एक करके न्यायालय का अभिमत और ऐसे अभिमत के लिए कारणों का उल्लेख किया जाना विधिक रूप से आवश्यक होता है। किन्तु जहाँ विनिश्चय के लिए एक से अधिक प्रश्न हों और उनमें से किसी एक या अधिक प्रश्न के विनिश्चय से ही सम्पूर्ण मामले का निपटारा हो सकता हो, वहाँ शेष प्रश्नों पर अभिमत देना या निष्कर्ष अंकित करना आवश्यक नहीं होता है। उदाहरण के लिए जहाँ विवाद्यकों में से एक विवाद्यक क्षेत्राधिकार, परिसीमा, पूर्व न्याय के सिद्धांत आदि से संबंधित हो और न्यायालय का यह निष्कर्ष हो कि वाद क्षेत्राधिकार के बाहर है या परिसीमा से बाधित है या पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित है तो शेष विवाद्यकों पर अभिमत या निष्कर्ष अंकित करना आवश्यक नहीं होता है।

2.2 अन्तर्वस्तु का अनुक्रम :

2.2.1 सिविल प्रक्रिया संहिता के उपर्युक्त प्रावधान निर्णय की अन्तर्वस्तु के साथ-साथ इसके अनुक्रम का भी संकेत करते हैं। किसी भी निर्णय में सबसे पहले मामले का संक्षिप्त कथन होना चाहिए। इसके अन्तर्गत मामले के तथ्य, वाद हेतुक, विवाद की विषय-वस्तु का वर्णन, मामला न्यायालय के समक्ष कैसे आया, अपेक्षित अनुतोष आदि का संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए। उसके बाद विचारण की शुरुआत में पक्षकारों के दावों और प्रतिदावों के आधार पर विरचित विवाद्यकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। फिर एक-एक विवाद्यक पर क्रमशः वादी के कथनों, वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य, विधिक प्रावधानों और न्यायिक दृष्टांतों तथा प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों, विधिक प्रावधानों और न्यायिक दृष्टांतों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए। ऐसा विवरण देते समय वादी प्रतिवादी के कथनों आदि की हूबहू नकल करने से बचना चाहिए और सार संक्षेप ही देना चाहिए। यदि विचारण के दौरान किसी साक्ष्य की ग्राह्यता या सुसंगति का प्रश्न खड़ा हुआ हो तो यहाँ पर उसका भी संक्षिप्त वर्णन करना चाहिए और उस पर तत्समय किये गये निर्णय का भी उल्लेख करना चाहिए। तत्पश्चात् प्रस्तुत साक्ष्यों, विधिक प्रावधानों और न्यायिक दृष्टांतों का विश्लेषण अंकित करते हुए यह उल्लेख करना चाहिए कि साक्ष्यों से सुनिश्चित तथ्यों पर प्रस्तुत विधिक प्रावधान और न्यायिक दृष्टांत क्यों और कैसे लागू होते हैं, या लागू नहीं होते हैं। इस स्तर पर न्यायाधीश को अपनी सोच-

प्रक्रिया (Thoght process) को पूर्णतः प्रकट करना चाहिए। यह सोच-प्रक्रिया ही निर्णय का आधार और कारण कहलाती है। अन्त में उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष अंकित करना चाहिए। सभी विवाद्यकों या मामले के निपटारे के लिए आवश्यक विवाद्यकों पर अलग-अलग निष्कर्ष अंकित करने के पश्चात् निर्णय के अन्त में निष्कर्षों का सार संक्षेप अंकित करते हुए, दावे के वादी और प्रतिवादियों के दावे के अन्तर्गत अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। यदि मामले में कतिपय विवाद्यकों के निपटारे के कारण अन्य विवाद्यकों पर निष्कर्ष अंकित करना आवश्यक नहीं रह गया है तो इसका भी उल्लेख निर्णय के अन्त में करना चाहिए।

2.2.2 इराक (IRAC) पद्धतिः माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 5305/2002 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अजय कुमार सूद में दिये गये निर्णय दिनांक 16 अगस्त 2022 के अनुच्छेद 22 से 24 में निर्णय की संरचना के लिए सुप्रसिद्ध (इराक) (IRAC) पद्धति को अपनाने की अनुशंषा की है। यह पद्धति अंग्रेजी के चार शब्दों Issue (विवाद्यक), Rule (नियम), Application (प्रयोग) और Conclusion (निष्कर्ष) से मिलकर बनी है। जिसमें ISSUE उन प्रश्नों को सूचित करता है जिस पर विवाद है, Rule उस प्रक्रिया को सूचित करता है, जिससे तथ्य और लागू विधि को सुनिश्चित किया जाता है, Application तथ्यों पर विधि के लागू होने का विश्लेषण किया जाता है और Conclusion जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है न्यायालय के निष्कर्षों को सूचित करता है। इस प्रकार इस पद्धति में निर्णय की संरचना का अनुक्रम विवाद्यक, तथ्य और विधि, विश्लेषण तथा निष्कर्ष है।

2.2.3 फिराक (FIRAC) पद्धतिः निर्णय की संरचना की एक अन्य पद्धति है फिराक (FIRAC) पद्धति। यह अंग्रेजी के पांच शब्दों Fact (तथ्य), Issue (विवाद्यक), Rule (नियम) Analysis (विश्लेषण) और Conclusion (निष्कर्ष) से मिलकर बनी है। इसमें Fact तथ्यों को, Issue विवाद्यक को, Rule लागू होने वाली विधि- जिसमें अधिनियमित विधि और न्यायिक दृष्टांत दोनों सम्मिलित हैं- को, Analysis विधि और तथ्यों के विश्लेषण को तथा Conclusion न्यायालय के निष्कर्ष को सूचित करता है।

2.3 उपर्युक्त दोनों पद्धतियों और सिविल प्रक्रिया संहिता में दिये गये अनुक्रम में कोई मूलभूत अन्तर नहीं हैं। उपर्युक्त दोनों पद्धतियां सिविल प्रक्रिया में दिये गये अनुक्रम को और अधिक स्पष्ट करती हैं। तार्किक दृष्टि से देखा जाये तो फिराक पद्धति निर्णय की संरचना के लिए सबसे बेहतर अनुक्रम का उल्लेख करती है।

3. भाषा और शैलीः

निर्णय की संरचना निर्णय की तार्किक संगति को सुनिश्चित करती है वहीं भाषा हितबद्ध व्यक्तियों को निर्णय को प्रभावी रूप से संसूचित करती है। निर्णय का मुख्य उपभोक्ता प्रभावित पक्षकार होता है। इसके बाद निर्णय के उपभोक्ता पक्षकार के विधिक सलाहकार और अपीलीय न्यायालय होते हैं। इसलिए न्यायालय को निर्णय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का चुनाव करते समय अपने सभी श्रोताओं/पाठकों का ध्यान रखना चाहिए। राजस्व न्यायालय को अपने निर्णय सरल और बोलचाल में प्रयुक्त हिन्दी भाषा में लिखने चाहिए। अलंकारिक भाषा और अप्रचलित तथा तकनीकी शब्दों के उपयोग से यथासंभव बचाना चाहिए। उर्दू के समानार्थी हिन्दी शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक लम्बे और जटिल वाक्यों से बचना चाहिए तथा यथासंभव छोटे-छोटे वाक्यों का उपयोग करना चाहिए। निर्णय लिखने के बाद पीठासीन अधिकारी को कम से कम एक बार निर्णय इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए कि विधि से अनभिज्ञ व्यक्ति उस निर्णय को कितना समझ पाता है।

4. संक्षिप्तताः

निर्णय की गुणवत्ता बहुत कुछ उसकी संक्षिप्तता और सुस्पष्टता पर निर्भर करती है। निर्णय में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न के निर्णय के लिए आवश्यक नहीं हो। पक्षकारों के अभिवचनों, साक्ष्यों और दस्तावेजों तथा अधिवक्ताओं की बहसों की सर्वांगपूर्ण नकल निर्णय में नहीं करनी चाहिए। इन सबका सार संक्षेप, जो विवाद्यक के निर्णय के लिए आवश्यक हो, का ही अपने शब्दों में उल्लेख करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, संबंधित विधि या न्यायिक दृष्टांत का उद्धरण निर्णय में दिया जा सकता है।

5. वस्तुनिष्ठताः

वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और न्यायता निर्णय का मूल आधार होती है। कोई निर्णय वस्तुनिष्ठ तभी कहा जा सकता है जब उसके निष्कर्ष साबित तथ्यों पर विधि के प्रावधानों को लागू करने से स्वतः निसृत होते हों। यदि निर्णय व्यक्तिगत मान्यता और राय अथवा बाह्य ज्ञान से प्रभावित है तो वह वस्तुनिष्ठ और सकारण आदेश नहीं माना जा सकता। अतः न्यायाधीश को निष्कर्ष अभिलिखित करते समय पूर्णतः अभिलेख पर आये तथ्यों और लागू विधि पर ही निर्भर करना चाहिए और स्वयं के ज्ञान, मान्यता या राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

6. न्यायिक दृष्टांतों का उपयोग:

राजस्व न्यायालयों के निर्णयों में न्यायिक दृष्टांतों के मामले में प्रायः यह देखने को मिलता है कि पीठासीन अधिकारी प्रस्तुत दृष्टांतों का उल्लेख मात्र करके यह निष्कर्ष अंकित कर देते हैं कि वह न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होता है या नहीं होता है। यह न केवल सुनवाई के अधिकार की अवहेलना की परिभाषा में आता है बल्कि उच्चतर न्यायालयों, जिन्होंने न्यायिक दृष्टांतों का निर्माण किया है, के अनादर की श्रेणी में भी आता है। इसलिए जब भी न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत हों तो पीठासीन अधिकारी को यह उल्लेख करते हुए कि प्रस्तुत दृष्टांत में विवाद्यक विषय क्या था और उस पर माननीय न्यायालय का क्या अभिमत था और उसके विचाराधीन विवाद्यक उस विवाद्यक से किस प्रकार समान या भिन्न है तथा क्या प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उसके समक्ष विचाराधीन विवाद्यक पर लागू होता है या नहीं होता है। इस प्रक्रिया में यदि न्यायिक दृष्टांत का उद्धरण अपेक्षित हो तो निर्णय में उसका भी उल्लेख करना चाहिए। न्यायिक दृष्टांत लिखित विधि की टीका होते हैं। ये लिखित विधि को परिपूर्ण बनाते हैं। इसलिए विधि के अनुसार न्याय में इसका न केवल महत्वपूर्ण योगदान है बल्कि सही निर्णय के लिए इनका उपयोग अपरिहार्य है। जहां एक ही बिन्दु पर एक से अधिक न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जाएं वहाँ नवीनतम न्यायिक दृष्टांत के प्रभाव का उल्लेख करते हुए शेष के बारे में यह उल्लेख किया जा सकता है कि उनमें समान बिन्दु पर वैसा ही अभिमत प्रकट किया गया है। जहां वादी और प्रतिवादी एक ही न्यायिक दृष्टांत का परस्पर विरोधी अवधारणा के समर्थन में सहारा लें, वहाँ न्यायिक दृष्टांत का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करना चाहिए और यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि प्रस्तुत दृष्टांत किस अवधारणा को पुष्ट करता है। राजस्व न्यायालय के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के लिए न्यायिक दृष्टांत के उपयोग की विशद जानकारी होना आवश्यक है। उसे 'निर्णयाधार' (Ratio decidendi) और 'इतरोक्ति' (Obiterdicta) तथा न्यायिक दृष्टांतों की पूर्वपरता (Precedence) की अवधारणों की गहन जानकारी होनी चाहिए।

7. निष्कर्ष:

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि न्यायिक विवाद कैंसर ट्यूमर के समान होता है और न्यायाधीश एक सर्जन की भूमिका में होता है। विचारण ट्यूमर की स्थिति और गहराई के परीक्षण की प्रक्रिया है। निर्णय की अन्तर्वस्तु, संरचना, भाषा–शैली, तर्क और विश्लेषण तथा विधि और न्यायिक दृष्टांतों का सटीक उपयोग सर्जरी के उपकरण हैं। सर्जन की सफलता इसमें है कि वह अपने निर्णय में विवाद के ट्यूमर को इस प्रकार से निकाल कर बाहर करे कि वह अपील, पुनरीक्षण और पुनरावलोकन के रूप में पुनः प्रकट नहीं हो।

लोक व्यवस्था अनुरक्षणः कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में राजस्व अधिकारी की भूमिका

-राजेन्द्र अग्रवाल RAS

समाज के विभिन्न वर्गों में परस्पर सामंजस्य, तारतम्य और अनुकूलन की स्थिति और दैनिक जीवन का निर्बाध संचालन ही व्यापक अर्थ में लोक व्यवस्था कहलाती है। विधिक दृष्किोण से इसे संविधान में वर्णित लोक व्यवस्था शब्द की व्याख्या से समझा जा सकता है। विधि के आधार स्रोत भारतीय संविधान में लोक व्यवस्था का उल्लेख नौ स्थानों पर हुआ है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन्हीं अधिकारों में से स्वतंत्रता के अधिकारों से सम्बन्धित अनुच्छेद 19 में वाणी और अभिव्यक्ति, निरायुध शांतिपूर्वक सम्मेलन और संघ निर्माण के अधिकार को लोक व्यवस्था बनाये रखने की शर्त पर प्रतिबंधित किया जा सकता है या इस अनुरूप विधि निर्मित की जा सकती है। इसका उल्लेख क्रमशः अनुच्छेद 19(2), 19(3) एवं 19(4) में हुआ है। इसी प्रकार धार्मिक स्वातन्त्र्य के अंतर्गत किसी भी आस्था को मानने, उसके अनुसार आचरण एवं प्रचार करने और धार्मिक कार्यों के संचालन को लोक व्यवस्था की शर्त पर अनुच्छेद 25 (1) व अनुच्छेद 26 में प्रतिबंधित किया हुआ है। अनुच्छेद 33 (बी) के अनुसार लोक-व्यवस्था अनुरक्षण में सहायक कार्मिकों के कर्तव्य पालन और उन्हें अनुशासित रखने हेतु संसद विधि बनाकर इन मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। छठी अनुसूची के पैराग्राफ 15 में उल्लेखित लोक व्यवस्था पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची-राज्य सूची-प्रविष्टि सं.1 तथा तृतीय अनुसूची-समवर्ती सूची में प्रविष्टि सं 3 में भी लोक व्यवस्था शब्द का उल्लेख मिलता है जो विधि निर्माण की राज्य और केंद्र की शक्तियों से सम्बंधित है। संविधान में हालांकि पृथक् से लोक व्यवस्था शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु इसके अनुरक्षण हेतु उल्लेखित शर्त और निर्बंधन इसके गाम्भीर्य और सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य में पारित निर्णय में कानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को तीन संकेंद्रित वृत्तों में परिभाषित करते हुए वृहद वृत्त में कानून एवं व्यवस्था, मध्यम वृत्त में लोक व्यवस्था और लघुतर वृत्त में राज्य की सुरक्षा को रखते हुए माना है। इसके अनुसार राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी मामले लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं। कानून व्यवस्था के सारे मामले लोक व्यवस्था में नहीं आते और सारे लोक व्यवस्था संबंधी प्रकरण

राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले होते हैं। तीनों ही स्थितियों में राज्य पुलिस, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट और केंद्रीय जाँच एजेंसीज को पृथक्-पृथक् जिम्मेदारी दी हुई है।

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यतयाः कृषि, कृषि आनुषंगिक गतिविधियों एवं कुटीर उद्योगों पर आधारित है जबकि नगर सघन आबादी के क्षेत्र होकर व्यापारिक, वाणिज्यिक, धार्मिक, पर्यटन गतिविधियों, उच्च शिक्षा, चिकित्सा संस्थान एवं बड़े राजकीय और निजी कार्यालयों एवं संस्थानों के केंद्र के रूप में होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक बनावट नगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सुदृढ़ होती है। इसी सामाजिक-आर्थिक एवं संरचनात्मक पृष्ठभूमि के अनुरूप इन क्षेत्रों से कानून एवं शांति-व्यवस्था के मामले सामने आते हैं। एक राजस्व अधिकारी का अपने अधीनस्थ ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में इन मामलों से सामना होता है। गांवों में भूमि सम्बन्धी और सामाजिक समूहों में आपसी वैमनस्य एवं शहरी क्षेत्रों में धरने, आंदोलन और धार्मिक-राजनैतिक कारणों से ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं।

प्राचीन काल से ही भारत में भूमि प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पास ही सुरक्षा और संरक्षा का उत्तरदायित्व रहा है। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम यहाँ समाज के प्रचलित प्रावधानों को संहिताबद्ध करने का कार्य किया था और इसी अनुसार निवारक और दण्डात्मक कानून अस्तित्व में आए। इसी कड़ी में 1892 में बनी दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यपालक और न्यायिक कार्यों को 1973 की संशोधित संहिता में पृथक्-पृथक् किया गया। शांति व्यवस्था और दैनिक गतिविधियों के संचालन में आने वाली बाधाओं और सामाजिक-आर्थिक कारणों से उत्पन्न तात्कालिक समस्याओं से निपटने के लिए कार्यपालक शक्तियों की आवश्यकता होती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भूमि प्रबंधन में लगे राजस्व अधिकारियों जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट और तहसीलदारों को स्थायी रूप से प्रदत्त की हुई हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कार्यपालक मजिस्ट्रेट की श्रेणियों, उनके दायित्व और अधिकारों के बारे में बताया गया है। धारा 6 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आपराधिक न्यायालय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से अध्याय 8 में शांति बनाये रखने और सदाचार के लिए बन्धपत्र एवं जमानत लेकर पाबन्द किए जाने के प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कानून विरुद्ध भीड़ के जमाव से निपटने, लोक न्यूसेंस को हटाने, तात्कालिक खतरों की अत्यावश्यकता के मामलों में आदेश जारी करने, भूमि और जल से सम्बंधित अचल संपत्ति के कब्जे सम्बन्धी विवाद, संदिग्ध एवं अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृत्यु समीक्षा और मृत्यु के कारणों की जाँच, वस्तु

या व्यक्ति का शिनाख्तगी प्रतिवेदन (identification) तैयार करने और मृत्युकालिक बयानों को रिकॉर्ड करने के कार्य भी करने होते हैं। सार्वजनिक कानून एवं शांति व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा के सम्बंध में प्रायः परिशांति (peace), लोक प्रशांति (public tranquility), कानून व्यवस्था (law and order), लोक व्यवस्था (public order), लोक संरक्षा एवं सुरक्षा (Public safety and security), लोक न्यूसेंस (Public nuisance) जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द प्रथमदृष्ट्या समानार्थक दिखने के बावजूद तकनीकी, विधिक एवं प्रक्रियात्मक दृष्टिसे भिन्न-भिन्न प्रभाव रखते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने वाले कुछ मामले निम्नानुसार हैं-

1. महिला सुरक्षा-कार्यपालक मजिस्ट्रेट/उपखण्ड मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे मामले आते हैं जब पुलिस किसी संदिग्ध, विक्षिप्त या असहाय महिला को उसकी सुरक्षा के मद्देनजर बरामद करती है और उसे नजदीकी नारी निकेतन में प्रवेश कराने के उद्देश्य से पेश करती है। इस हेतु राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग (अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) द्वारा स्थापित गृह और आश्रयस्थल (नारी निकेतन) में लोगों हेतु प्रवेश और पुनर्वास हेतु 1970 की नियमावली बनी हुई है। किसी भी ऐसी महिला को प्रवेश दिलाने के लिए नियम 10 में छह प्रकार के प्राधिकारियों 1. न्यायालय आदेश, 2. प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्त्ता या नैतिक एवं सोशल हाइजीन से सम्बंधित स्वयंसेवी संस्था, 3. माता, पिता, पति या विधिक संरक्षक की सहमति या संस्तुति, 4. स्वयं के प्रार्थना पत्र, 5. पुलिस एवं 6. इन नियमों के तहत बनी समिति का वर्णन है। नियम 14 के तहत प्रवेशित को न्यायालय आदेश या मुख्य निरीक्षक की अनुमति के बाद ही रिलीज किया जा सकता है। इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रवेश या रिलीज की कोई शक्तियां उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी प्रवेश के प्रश्न पर महिला की सुरक्षा एवं कल्याण की दृष्टिसे पुलिस की सक्षमता के साथ ही नियम 10(2) और (4) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना पत्र को अधीक्षक को अग्रेसित करने में कोई आपत्ति या विधिक बाधा नहीं है। परन्तु प्रवेशित को छोड़ने के कोई आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्तर से जारी करना न्यायोचित नहीं है। इसी तरह एमपीआर (missing person report) में गुमशुदा की बरामदगी के बाद अक्सर पुलिस द्वारा सुपुर्दगी हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाते हैं, परन्तु ऐसे मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कोई अधिकारिता नहीं है। वह (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराओं 97 या 98 में जारी तलाशी वारण्ट की विचाराधीन पत्रावलियों में ही निर्णय लेने हेतु सक्षम हैं। इसी प्रकार मानसिक रूप से बीमार या विक्षिप्त व्यक्ति को द मेन्टल हैल्थकेयर एक्ट 2017 की प्रक्रिया अनुसार ही सम्बंधित मनोचिकित्सा संस्थान में भर्ती कराया जा सकता है। इन मामलों में भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं हैं।

2. वैयक्तिक स्वातन्त्र्य एवं तलाशी वारण्ट–उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे प्रकरण भी पेश होते हैं जिनमें किसी पुरुष, महिला या अल्पवयस्क को उनकी सम्मति के बिना (अल्पवयस्क के मामले में उसकी सम्मति का कोई महत्व नहीं है) अर्थात् सदोष परिरुद्ध (wrongfully confine) कर लिया होता है। मजिस्ट्रेट को इस सदोष निरुद्ध के बिंदु पर विचार कर ही सर्च वारंट जारी करना चाहिए। प्रायः पारिवारिक झगड़ों में बच्चे या विवाहित महिलाओं को उनके अतिनिकट रिश्तेदारों के यहाँ होने पर सर्च वारंट जारी कर दिया जाता है। यह कृत्य सदोष परिरुद्ध की श्रेणी का नहीं होता है इसमें केवल सिविल कोर्ट्स ही कार्रवाई करने हेतु अधिकारिता रखते हैं। इस सन्दर्भ में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07 अगस्त, 2023 रिट पिटीशन संख्या 267/2018 उल्लेखनीय है जिसमें यह माना गया है कि बच्चे की कस्टडी के विवादास्पद विषय धारा 97 में कवर नहीं होकर इसे सक्षम सिविल कोर्ट के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। इस धारा के अंतर्गत तलाशी वारण्ट भारत के किसी भी स्थान के लिए जारी किया जा सकता है। इस धारा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 21 में जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में उच्च और उच्चतम न्यायालय के द्वारा इन अधिकारों की संरक्षा और प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) की रिट के अधिकार दिए गए हैं। परन्तु ये न्यायालय भी इस बात के पक्षधर हैं कि सदोष परिरुद्ध या अवैधानिक बंदी बनाने के मामलों में स्थानीय स्तर से धारा 97 में उपचार उपलब्ध होने पर इस धारा के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों पर मुकदमों का भार कम हो सके।

3. प्रतिभूति कार्यवाहियां–कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और कहीं–कहीं नायब तहसीलदार या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 की धाराओं 107 से 122 में काम करना होता है। इसमें लोक–शान्ति एवं परिशान्ति को बनाए रखने तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को अपराध करने से रोकने के लिए निवारक उपाय करने होते हैं। कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य संभावित लड़ाई–झगड़े विवादों की संभावनाओं को कम करना एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपराध करने से रोकना है। इसमें व्यक्तिगत बॉण्ड (मुचलका) या प्रतिभूतियों सहित बॉण्ड (बेल बॉण्ड) भरवाए जाते हैं ताकि ऐसे व्यक्ति आर्थिक दण्ड और कारावास के भय से शांति–व्यवस्था कायम रखें। इस निवारक प्रकृति की कार्रवाई का उद्देश्य गैरसायल को जेल भेजना नहीं है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकतम 24 घण्टे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की बाध्यता में यह देखा जा सकता है कि कहीं उन्हें प्रस्तुत करने में भेदभाव तो नहीं बरता जा रहा है। इस हेतु पिछले 24 घंटों में गिरफ्तार

व्यक्तियों और उनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की आवश्यकता और क्रमबद्धता पर भी निगरानी रखी जा सकती है। इसे 20 जनवरी, 2024 की रात माननीय मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण में सामने आयी घटना, जिसमें जयपुर में लागू पुलिस आयुक्त प्रणाली में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रुप में कार्य कर रहे सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को रात में छोड़कर वापिस अगले दिन बुलाया गया, से समझा जा सकता है। इसमें प्रस्तुत व्यक्ति अपराधी नहीं होता है और न ही इसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए धारा 111 प्रतिभू की संख्या, प्रतिभू के वर्ग और प्रकार पर जोर देकर इसी अनुरूप बॉण्ड की राशि निर्धारित करने के निर्देश देती है। यह देखने में आया है कि महत्वपूर्ण होने पर भी सदाचारी बनाए रखने की धारा 108 में प्रायः कम कार्रवाइयां की जाती हैं।

3.1. घटना का संज्ञान एवं प्रारंभिक आदेश–धारा 107,108,109 या 110 में वर्णित आधारों के सम्बन्ध में पुलिस या अन्य स्रोत (प्राइवेट व्यक्ति या फील्ड स्टाफ) से सूचना प्राप्त होने और वैयक्तिक संतुष्टि होने पर बिना पुलिस की जाँच कराए भी इत्तिला पर संज्ञान लिया जा सकता है। ऐसे मामले जो प्रथमदृष्ट्या संज्ञान लेने योग्य प्रतीत नहीं हैं या कमजोर हैं और फिर भी पुलिस की रिपोर्ट का सम्मान करना है तो ऐसे मामलों में प्रतिभू रहित बंध पत्र यानी व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलके) पर गैर सायल को छोड़ देना उचित है। प्रतिभूति कार्रवाईयों में पारिवारिक और व्यक्तिगत झगड़े परिशान्ति एवं लोक–शान्ति में नहीं आने से ऐसे मामलों में इन धाराओं के तहत कार्रवाई उचित नहीं मानी गई है। संज्ञान पश्चात लिखित आदेश में घटना के सार सहित बंधपत्र की अवधि, राशि और प्रतिभूति की संख्या, प्रकारता और वर्ग तय किया जाता है। परिशान्ति हेतु बंधपत्र बिना प्रतिभूति के भी हो सकता है परन्तु सदाचार हेतु प्रतिभूति सहित बंधपत्र निष्पादन आवश्यक है। जाँच प्रक्रिया समाप्ति पर धारा 111 के लिखित आदेश द्वारा वांछित बंधपत्र की राशि या प्रतिभूतियों की संख्या को धारा 117 के तहत अंतिम आदेश के समय कम किया जा सकता है, परन्तु बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस अध्याय में अल्पवयस्क सदस्यों के विरुद्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्रवाई करने हेतु सक्षम नहीं है। यदि धारा 151–107 में गिरफ्तार करके या 107–116 के इस्तगासे में गैर सायल के रूप में अल्पवयस्क सदस्य भी सम्मिलित है तो ऐसे मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान में लेने योग्य हैं न कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। धारा 111 में दिया गया आदेश एक अपराध की नियमित कार्रवाई में आरोप निर्धारण के समान है परन्तु इसमें पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अपने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सिटी, अजमेर पदस्थापन के दौरान प्रस्तुत एक मामले में एक महिला द्वारा पुलिस को अपने पति की लड़ने–झगड़ने की शिकायत की और पुलिस ने उस व्यक्ति को धारा 107–151 के

तहत गिरफ्तार कर पेश किया। पूछताछ के दौरान गैर–सायल की उदास मुद्रा ने मुझे बाध्य किया कि मामले की विस्तृत जानकारी ली जाए। इसमें सामने आया कि गैर–सायल ऑटो–रिक्शा चलाता है। उसकी पत्नी ने उसे फोन कर बताया कि बेटा बीमार है, जिसे डॉक्टर को दिखाना है तो गैरसायल ने सवारी को गंतव्य पर छोड़कर शीघ्र ही घर आने के लिए कहा। इस पर पत्नी ने नाराज होकर ऊपर वर्णित शिकायत पुलिस को कर दी और पुलिस ने उसे धारा 107–151 में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये तथ्य प्रतिभूति कार्रवाई और शांति–परिशान्ति भंग की कार्रवाई हेतु प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त नहीं हैं। बॉन्ड भरने के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वकील साहब को 1000 रूपये दे दिए हैं। मेरे द्वारा सम्बंधित अधिवक्ता को गैर–सायल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे 900 रूपये लौटाने के लिए कहा तो अधिवक्ता ने सहृयता दिखाते हुए पूरा पैसा वापिस कर दिया। व्यक्ति को व्यक्तिगत बंध पत्र भरवाकर रवाना किया गया। यह प्रकरण प्रतिभूति कार्यवाहियों का एक उदाहरण मात्र है। व्यक्तिगत या संस्थागत दृष्टिकोण से इस प्रक्रिया में शामिल किसी पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है, सभी अपनी जगह ठीक हैं। यह प्रकरण सभी हितधारी यथा पुलिस कार्मिक, अधिवक्ता, मजिस्ट्रेट तथा गैर–सायल और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए विचारणीय है। उक्त प्रकरण व्यवस्थामूलक विवेचना के लिए सुधी पाठकों और विधि विशेषज्ञों पर छोड़ा जाता है। वर्तमान आपराधिक न्याय व्यवस्था में जमानत प्रक्रिया की जटिलताओं के सम्बन्ध में महामहिम राष्ट्रपति की चिंताओं को उनके संविधान दिवस 2022 पर दिए सम्बोधन से समझा जा सकता है।

3.2. प्रतिभूति का प्रकार और वर्ग–जमानत के रूप में वित्तीय क्षमता का प्रमाण मांगना अवैधानिक नहीं है परन्तु राजस्व अधिकारी द्वारा जारीशुदा हैसियत प्रमाण पत्र और अधिक राशि की जमानत मांगना पूर्वाग्रह की श्रेणी में आ सकता है क्योंकि हैसियत प्रमाण पत्र प्रायः तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके लिए प्रॉपर परिचय पत्र, बैंक की पासबुक, संपत्ति का पंजीकृत रिकॉर्ड, कृषि भूमि जमाबंदी शपथ पत्र सहित मांगी जा सकती है। वित्तीय क्षमता की प्रतिभूति का उद्देश्य बंधपत्र की शर्तों के उल्लंघन होने पर उल्लेखित राशि वसूल करने का होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परिशान्ति बनाये रखने के बंधपत्र के निष्पादन के लिए गैर सायल द्वारा चाहे जाने पर इतनी धनराशि निक्षिप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है परन्तु मजिस्ट्रेट द्वारा नकद बंधपत्र की मांग नहीं की जा सकती है। जमानत लेने के दो उद्देश्य, एक तो गैरसायल पर उससे श्रेष्ठ जमानती का नैतिक और सामाजिक दबाव और दूसरा किसी भी तरह के वचन भंग की स्थिति में बन्धपत्र जब्ती और शास्ति का भय बनाना, होते हैं। इस हेतु स्थानीय और/या एक निकटस्थ रिश्तेदार की जमानत मांगी जा सकती है। जमानत के अभाव में गैरसायल को न्यायिक अभिरक्षा में रखने की स्थिति में पत्रावली से यह

स्पष्ट होना आवश्यक है कि गैरसायल को पर्याप्त मौका दिया गया है और उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत धारा 121 के तहत उपयुक्त नहीं है। साथ ही वैयक्तिक प्रतिशोध या मजिस्ट्रेट पद का दम्भ या किसी तृतीय पक्षकार के तुष्टिकरण से बचना चाहिए। प्रतिभूति कार्रवाई में यह जमानत प्रक्रिया कालान्तर में स्थापित स्थानीय परम्पराओं के अनुसार जिलों में अलग-अलग प्रकार से सम्पादित की जाती रही है फिर भी प्रतिभूतियों की प्रकारता और वर्ग निर्धारण में निकटतम रिश्तेदार और स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिभूति लेने को उचित माना गया है। प्रतिभूति उपयुक्तता में उसकी स्थानीयता, वित्तीय सक्षमता और गैर सायल पर सामाजिक नियंत्रण कर सकने की क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

3.3. जाँच प्रक्रिया-यदि व्यक्ति उसके विरुद्ध अभिकथनों को स्वीकार कर ले तो आगे जाँच की आवश्यकता नहीं होती है और बिना जाँच के धारा 117 के अंतर्गत अंतिम आदेश जारी किया जाता है। एक स्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें गैर सायल इस्तगासे में वर्णित तथ्यों को स्वीकार नहीं करे परन्तु बन्धपत्र भरने को तैयार हो तो भी कार्रवाई अंतिम कर देनी चाहिए। गैरसायल के द्वारा इस्तगासे में वर्णित तथ्यों के इंकार पर की जाने वाली जाँच (enquiry not trial) प्रक्रिया धारा 116 में अधिकतम छह माह की समयावधि नियत की हुई है जिसमें साक्ष्यों की परीक्षा कर धारा 117 में अंतिम निर्णय किया जाना होता है कि गैर सायल से बन्धपत्र पर पाबंद कराया जाना है या नहीं। व्यक्ति इस्तगासे में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करे और जाँच चाहे परन्तु प्रथमदृष्ट्या दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि बिना बन्धपत्र के छोड़ने पर परिशान्ति भंग होना संभावित है तो जाँच प्रक्रिया की समाप्ति तक धारा 116 (3) के तहत अंतरिम बॉण्ड भरवाने के आदेश दिए जा सकते हैं। धारा 116 (6) में वर्णित जाँच आरम्भ की तिथि के सम्बन्ध में कई प्रकार के न्यायिक दृष्टांत उपलब्ध होते हैं। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पार्टी की उपस्थिति और स्पष्टीकरण के बाद ही कार्रवाई प्रारम्भ मानी जाये। कोर्ट में उपस्थिति और 111 के आर्डर को सुनाने और समझने के बाद कार्रवाई प्रारम्भ मानी जाती है। अभी तक यह माना जाता था कि गैरसायल की नोटिस तामील होने या प्रथम उपस्थिति के बाद या उसके प्रत्युत्तर से छह माह की गणना की जाये परन्तु इस प्रक्रिया में किये जाने वाले विलम्ब और दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय मीठ्या बनाम स्टेट में यह माना गया कि प्रकरण दर्ज होते ही या संज्ञान लेते ही यह छह माह की अवधि प्रारम्भ हो जाती है। राज्य में इस न्यायिक निर्णय को अब प्रभावी रूप से लागू करवाया जा रहा है। छह महीने में जाँच पूरी नहीं होने पर यह स्वतः ही निरस्त हो जाती है।

3.4. अंतिम आदेश एवं उपयुक्तता जाँच-प्रतिभू की वित्तीय क्षमता और उसका गैरसायल से सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठतर होने के पीछे निष्पादित बंध पत्र के सम्मान बनाए

रखने की कानून की मंशा है। सम्पत्तिविहीन होना और अत्यंत दूरस्थ निवास को धारा 121 के तहत अनुप्युक्त मानकर प्रस्तुत जमानत अस्वीकार की जा सकती है। चूंकि प्रतिभू के अपराधी एवं दुश्चरित्र होने की जानकारी तत्काल रूप से उपलब्ध नहीं होती है इसलिए इस आधार पर जमानत अस्वीकार करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436 एवं 436ए में क्रमशः जमानत देने और अधिकतम अवधि तक अभियुक्त को रखने की बात कही गई है परन्तु यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस धाराओं में अपराध और अभियुक्त का वर्णन है जबकि 107 आदि के मामले न तो अपराध की श्रेणी में आते हैं और न ही इसमें गैर सायल अभियुक्त होता है। 436(1) के दूसरे परन्तुक में यह स्पष्ट किया गया है कि यह धारा 116 या 446ए की कार्रवाईयों पर लागू नहीं होती है। परन्तु इससे यह अर्थ अवश्य निकलता है कि जमानत के निर्धारण और उपयुक्तता की जाँच के समय जमानत की शर्तों को परिस्थिति अनुसार रखना चाहिए ताकि गैरसायल जमानत सहित या रहित बांड निष्पादित कर सके। जाँच कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात् धारा 117 के तहत आदेश अंतिम किए जाते हैं और माकूल प्रतिभूति नहीं देने पर व्यक्ति को धारा 122 (1)(ए) के तहत विनिश्चित अवधि या प्रतिभूति देने तक कारावास में निरुद्ध रखा जाता है।

3.5. बंध पत्र भंग और परिणाम–धारा 117 के अंतिम आदेश की अनुपालना में परिशान्ति बनाए रखने के निष्पादित बन्धपत्र का उल्लंघन साबित हो जाने के बाद धारा 122 (1)(बी) के अनुसार ऐसा व्यक्ति बन्धपत्र की शेष अवधि के लिए कारावास में निरुद्ध रखा जाता है। सन् 2005 के संशोधन से पूर्व केवल प्रतिभूति रहित बन्धपत्र (मुचलका) निष्पादन पर ही इस उपधारा के तहत कार्रवाई होती थी। प्रतिभूति सहित बन्धपत्र के मामलों में केवल धारा 446 तहत जमानत जब्ती की कार्रवाई ही संभव थी। इस धारा में बन्धपत्र की शर्तों का उल्लंघन को साबित कराया जाना आवश्यक होता है। इस आशय का इस्तगासा पेश होने पर सीधे ही कारावास भेजना विधि अनुकूल नहीं है। इसलिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति को बंधपत्र निष्पादन का मौका दिया जाये और बन्धपत्र निष्पादन के पश्चात् बन्धपत्र अवधि में परिशान्ति भंग करने पर धारा 122 (1)(बी) की कार्रवाई की जाए। बन्धपत्र की शर्त भंग होने की स्थिति में गैर सायल को बची हुई अवधि के लिए कारावास में रखने के साथ बंधपत्र की जब्ती के आदेश जारी कर बन्धपत्र में वर्णित राशि या उसे कम कर शास्ति के तौर पर वसूली की जा सकती है। अतः प्रतिभूति कार्रवाईयों के दौरान समन/वारंट पर अनुपस्थित रहने और बन्धपत्र के उल्लंघन पर शास्ति आरोपित करने की अधिक से अधिक कार्रवाइयां की जानी चाहिए जिससे आदतन जमानतियों पर नियंत्रण बना रहे। हालांकि प्रतिभूति कार्रवाइयों के

निर्णयों के सम्बन्ध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1950 के तहत सुरक्षा प्राप्त है फिर भी विधिक प्रक्रिया अपनाकर और बिना पूर्वाग्रह कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कार्रवाई सम्पादित करनी चाहिए।

4. शिनाख्तगी कार्रवाई–कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों और बरामद वस्तु की पहचान के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की 54ए, धारा 291ए और सामान्य नियम (सिविल एवं दाण्डिक), 2018 उल्लेखनीय हैं। इसके अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायिक कार्रवाई हेतु व्यक्तियों और वस्तुओं की शिनाख्तगी कर रिपोर्ट भेजने के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। धारा 54ए के अनुसार यदि गिरफ्तार व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है तो उसकी शिनाख्तगी कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में सम्पादित की जाती है। साथ ही पहचानकर्ता शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है तो इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। धारा 54ए और धारा 291ए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में 23 जून, 2005 में हुए संशोधन के बाद जोड़ी गई है, जबकि सामान्य नियम (सिविल एवं दाण्डिक), 2018 दिसम्बर 31, 2018 से प्रभावी हुई है। इसके आदेश 35 नियम 10 में जेल में की जानेवाली शिनाख्तगी रिपोर्ट का मीमो फॉर्म F-143 और वस्तु की शिनाख्तगी रिपोर्ट F-144 में तैयार करनी होती है जिसे पंद्रह दिवस के अंदर पेश करना होता है। इस धारा में तैयार रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है और इसमें सामान्य या रूटीन तौर पर रिपोर्ट तैयारकर्ता कार्यपालक मजिस्ट्रेट को साक्ष्य के रूप में तलब करने की मनाही है। परन्तु प्रायः रिपोर्टकर्ता मजिस्ट्रेट को गवाह सूची में डालकर साक्ष्य के लिए तलब कर लिया जाता है, जो विधिसंगत नहीं है। मजिस्ट्रेट को आवश्यकता महसूस होने या बचाव पक्ष के आवेदन पर निर्णय उपरांत ही ऐसा करना नियमों में वर्णित है। फिर भी सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की कार्रवाई से सम्बंधित दस्तावेज की एक प्रति वैयक्तिक स्तर पर रखनी चाहिए ताकि एक लम्बी अवधि के बाद यदि परीक्षा हेतु न्यायलय द्वारा तलबी होती है तो अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।

5. लोक न्यूसेंस–आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 10 भाग बी की धारा 133 में उपखण्ड मजिस्ट्रेट को व्यापक शक्तियां प्रदान की हुई हैं जिनके द्वारा सार्वजनिक विद्यमान संकट पर शीघ्र कार्रवाई संभव हो पाती है। इसमें नागरिक समाज के उपयोग में आ रहे लोक–स्थल, मार्ग या अन्य कोई नदी–नाले में अवरोध पैदा करना, व्यापारिक या व्यावसायिक गतिविधियों से लोक–स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक, किसी भवन, वृक्ष या संरचना से संभावित जनक्षति, खुली नालियां एवं सीवरेज से हो रहे पर्यावरणीय एवं स्वच्छता नुकसान, कारखानों से निकलने वाले हानिकारक धुंए, हानिकारक रसायनों के वायु और जलस्रोतों में प्रवाह,

पार्किंग से होने वाले व्यवधान, और शोर, बाड़रहित कुँए, खड्डे से संभावित क्षति, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-क्षीर्ण मकान, संरचना, सड़क को खोदकर खड्डे नहीं भरना, खुले बोरवेल, अवैध ईट भट्टे आदि, अनियंत्रित ट्रैफिक एवं पार्किंग, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को रेगुलेट करना, खतरनाक एवं हिंसक पशुओं से सम्बन्धित मामले शामिल हैं जिनसे नागरिकों की दैनिक निर्बाध क्रियाकलाप प्रभावित होता है। विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के और भी विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं जिनका निवारण स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। धारा 143 में इसकी निरंतरता या पुनरावृत्ति को रोका जाता है। जनसामान्य को प्रभावित करने वाले ऐसे मुद्दों पर पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं के आधार पर संज्ञान लिया जा सकता है बशर्तें ऐसी सूचना में लोक न्यूसेंस निहित हो। आवासीय और शांत क्षेत्र यथा शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, राजकीय भवन आदि वर्तमान समय में लाउडस्पीकर, डीजे, ट्रेफिक और सोशल-धार्मिक कार्यक्रमों से उत्पन्न शोरगुल या कोलाहल की समस्या सभी लोगों के दैनिक गतिविधियों को बाधित करती है। विशेषकर बीमार, दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और इसके तहत बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के नियमों में कोलाहल नियंत्रण कानून, अधिनियम की धारा 4 द्वारा केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य में सभी एस डी एम को अधिकृत किया है। नियम 8 के तहत प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे ध्वनि प्रदूषण के कृत्य को निवारण, प्रतिषेध, नियंत्रण और विनियमन की शक्तियां प्रदत्त की हुई हैं। सक्षम आपराधिक न्यायालय में इस्तगासा दायर करने पर उल्लंघनकर्ता पर आर्थिक शास्ति और कारावास से दण्डित कराया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए धारा 133 की भी मदद ली जा सकती है। धारा 133 में दिए गए विषय की तकनीकी प्रवृत्ति को देखते हुए ऐसा करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को विशेषज्ञों की मदद की आवश्यकता रहती है। उसके उपरांत ही वह न्यायिक निर्णय पारित करने हेतु सक्षम हो पाता है। राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं 1964 की नियमावली में भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

6. मृत्यु समीक्षा-कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट का एक महत्वपूर्ण कार्य आत्महत्या या अप्राकृतिक या संदिग्ध मृत्यु के मामलों में मृत्यु की समीक्षा (धारा 174) और मृत्यु के कारणों की जाँच (धारा 176) करना है। मजिस्ट्रेट के लिए मृत्यु समीक्षा करना स्वैच्छिक है, परन्तु उसे पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उससे सहमत या असहमत होने के अधिकार हैं। सहमत होने पर रिपोर्ट स्वीकार कर पत्रावली वापिस लौटा दी जाती है। असहमत होने पर पुनः जाँच या

किसी की संलिप्तता की स्थिति में एफ आई आर के निर्देश देने होते हैं। किसी विवाहित महिला के विवाह के सात वर्ष के अंदर आत्महत्या या संदिग्ध मृत्यु के मामलों में उसे अनिवार्य रूप से मृत्यु के कारणों की जांच व्यक्तिगत रूप से करनी होती है और जाँच के परिणाम के अनुसार या तो मामले को फाइल करना होता है या प्राथमिकी के निर्देश देने पड़ते हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु के सम्बन्ध में चार बिंदुओं यथा कॉज ऑफ़ डेथ, टाइम ऑफ़ डेथ, मैनर ऑफ़ डेथ और मोड ऑफ़ डेथ के समावेशन पश्चात् चिकित्सक दल अपनी राय देता है और यदि विसरा संरक्षित किया जाता है तो अपने अभिमत को आरक्षित रखता है। मृत्यु का अनुमानित समय, क्या मृत्यु आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना या प्राकृतिक तरीके से हुई है। क्या चोट, फफांसी या अन्य किसी वजह से व्यक्ति के हृदय (syncope) मष्तिष्क (comma) लंग्स (asphyxia) ने काम करना बंद कर दिया था। पंचनामे और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में असंगतता की स्थिति में पोस्टमॉर्ट रिपोर्ट को प्रभावी माना जाएगा। पत्रावली का निस्तारण पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में चिकित्सक की अंतिम राय और धारा 174 के तहत पुलिस अधिकारी की पुनः टिप्पणी प्राप्त होने के उपरान्त ही करना चाहिए। मृत्यु के कारणों की जाँच में गड़े हुए शव को इक्कीस दिन के अंदर मजिस्ट्रेट की अनुमति से और इक्कीस दिन के अधिक होने पर सिविल सर्जन (इसकी शक्तियां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रत्यायोजित की हुई हैं) की राय और जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति अत्यावश्यक है। पुलिस, मजिस्ट्रेट या कोर्ट की कस्टडी में होने वाली ऐसी मृत्यु के मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट ही मृत्यु के कारणों की जाँच करने हेतु अधिकृत है।

6.1. रात्रिकालीन शव परीक्षण–मृत्यु के कारणों की जाँच के दौरान किये जाने वाले शव परीक्षण के सम्बन्ध में विहित प्रावधान धारा 174(3) एवं राज पुलिस नियम 1965 नियम 6.35 के क्रम में राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप–1 द्वारा दिनांक 08 जून 2005 को दिशा निर्देश जारी किये गए हैं जिसके अनुसार विशेष और आपात परिस्थिति में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण प्रकाश की उपलब्धता के बाद वरिष्ठतम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से रात में भी पोस्टमॉर्टम कराया जा सकता है।

6.2. मृत्युकालिक बयान–मरणासन्न व्यक्ति के बयान मृत्यु के कारण पता करने में विशेष महत्त्व रखते हैं। पुलिस नियमावली 1965 के नियम 6.2.21 के अनुसार यथासंभव मजिस्ट्रेट द्वारा कथनों को रिकॉर्ड करना चाहिए।ये बयान परिस्थिति के अनुसार किसी भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जा सकते हैं। इंडियन एविडेन्स एक्ट की धारा 321 और 157 में इसके गाह्यता का उल्लेख है। मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड किये बयान श्रेष्ठतर साक्ष्य के रूप में मान्य हैं। यदि ऐसा व्यक्ति उपचार के दौरान ठीक हो

जाता है तो कोर्ट में दिए बयानों के बाद स्वतः ही पूर्व बयान प्रभावहीन हो जाते हैं। इसमें यथासंभव चिकित्सक से व्यक्ति के कथन करने हेतु सक्षमता का प्रमाण लेना चाहिए।

7.रैली-जुलूस इत्यादि विनियमन-सार्वजनिक मार्गों और लोक स्थलों पर जुलूस, पर्व, रैली, आयोजन आदि की स्वीकृति जारी करने के लिए राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 44 के अनुसार क्षेत्र में धारा 144 लागू रहने की स्थिति एवं निर्वाचन आचार संहिता की अवधि को छोड़कर ऐसी अनुमतियाँ पुलिस विभाग द्वारा जारी की जाती हैं परन्तु उप धारा 1 के परन्तुक में अधिकृत पुलिस अधिकारी संभावित शान्ति भंग की संभावनाओं के मद्देनजर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा यह स्वीकृति जारी की जाती है। कोलाहल नियंत्रण विधि अनुसार लाउडस्पीकर आदि के उपयोग की स्वीकृति, नियंत्रण और प्रतिषेध करने हेतु सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अधिकृत है। वर्ष 2022 में राज्य में शोभा यात्राओं और जुलूसों में बनी कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आमजन की सुविधा, शान्ति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाये रखने के लिए वर्तमान में गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2022 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार धार्मिक त्यौहार, जयन्ती/शोभायात्रा/सार्वजनिक कार्यक्रमों, जुलूस आदि के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर/प्राधिकृत अधिकारी से आज्ञा प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

8. आपात स्थिति और निर्देश-लोक शान्ति, लोक हित और लोक सुरक्षा के आपात और आवश्यक मामलों में धारा 144 के तहत प्रतिषेधात्मक एवं व्यवस्था सम्बन्धी आदेश जारी करने के प्रावधान हैं। शान्ति और क़ानून व्यवस्था बनाये रखने, भीड़ और आवागमन को नियंत्रित करने के इन आदेशों का प्रवर्तन पुलिस के माध्यम से कराया जाता है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट और उपखण्ड मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी हैं।

9. स्थावर संपत्ति के विवाद-धारा 145 के अंतर्गत भूमि या जल क्षेत्र पर कब्जे के विवाद (स्वामित्व के विवाद इसमें नहीं आते हैं) से यदि यह संज्ञान में आता है कि इसके कारण परिशान्ति भंग हो सकती है तो इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है जिसमें विवादास्पद संपत्ति को रिसीवर की सुरक्षा में भी रखा जा सकता है। संपत्ति के सम्बन्ध में राजस्व या सिविल न्यायालय में स्थगन या अन्य कब्जे सम्बन्धी निर्णय/निर्देश में होने वाले विलम्ब की अवधि में किसी भी झगड़े या आपराधिक विवाद के लिए यह धारा प्रावधान करती है।

10. बंधक एवं बाल श्रम के मामले-भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बंधक श्रम पद्धति कानून के प्रवर्तन और इनके पुनर्वास की केंद्रीय योजना 17 अगस्त

2017 को बंधुआ श्रमिकों के चिन्हीकरण, अवमुक्ति और उल्लंघनकर्ता के अभियोजन के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया तय की है।

बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 एवं नियमों के प्रभावी प्रवर्तन और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश 03 मई, 2017 में बंधुआ श्रमिकों के चिन्हीकरण, अवमुक्ति और पुनर्वास हेतु प्रक्रिया समझाई गई है। राज्य के कई जिलों में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ईंट-भट्ठें, बड़े कृषि फार्म्स, गलीचा,होटल, कारखाने पत्थर की खदानों उद्योग आदि पर इस बारे में सूचना जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। अधिनियम की धारा 21 में अपराधों के विचारण के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किया हुआ है जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त कर नियोजक के विरुद्ध संक्षिप्तः विचारण के अधिकार दिए हैं। यदि इस अधिनियम के साथ अन्य अतिरिक्त कानूनों यथा एससी एसटी अत्याचार का उल्लंघन होना पाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में होता है जिसके लिए सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज होती है। कोई भी सम्बद्ध व्यक्ति यह प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। डीएम या एसडीएम द्वारा दर्ज कराया जाना अनिवार्य नहीं है। केवल यह सुनिश्चित करना है कि प्रकरण में प्राथमिकी दायर हो। प्रारंभिक जाँच (मिलने वाली मजदूरी, अन्य स्थान पर कार्य करने की स्वतंत्रता, एडवांस आदि) के बाद 24 घंटे में अवमुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना एवं विचारण प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण की जानी चाहिए। धारा 21(1) के तहत संक्षिप्त ट्रायल के माध्यम से धारा 9,16 से 20 के तहत सजा के अधिकार एसडीएम को दिए हुए हैं।

11. विविध-केंद्र और राज्य की विभिन्न सिविल और आपराधिक लघु विधियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सीधे ही या प्राधिकरण के रूप में सिविल कोर्ट्स के न्यायिक अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम 2007 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेटऔर इनके न्यायालय को सिविल कोर्ट्स की शक्तियां प्रदान की हुई हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य मामलों मृत्यु भोज, बाल विवाह, बाल एवं किशोरश्रम तथा विशेषकर महिला और बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण एवं किसी भी तरह की अव्यवस्था के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्तियां नहीं होने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर समाज की बहुत अपेक्षाएं इन अधिकारियों से रहती हैं। इसलिए उनके सम्बन्ध में जानकारी रखने की आवश्यकता महसूस होती है ताकि पीड़ितों की समस्या का समाधान हो सके। बालकों के द्वारा अपराध कारित करने पर इन अपचारी (विधि से संघर्षरत बालक) बालकों

के मामले किशोर न्याय बोर्ड में चलते हैं, वहीं घर से भागे हुए, अनाथ आदि बालक-बालिकाओं (Children in need of care and protection) (CNCP) के मामले में जिला बाल कल्याण समिति की भूमिका निर्धारित है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर क्रमशः नए अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 संसद द्वारा पारित होकर इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है। शीघ्र ही अधिसूचना जारी होने के बाद यह अधिनियम प्रभाव में आ जायेगा। वर्तमान सोशल मीडिया के दौर में बढ़ती हेट स्पीच, धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने, विभिन्न वर्गों में विद्वेष की घटनाओं को देखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 108 में वर्णित बातों में व्यक्ति को सदाचारी बनाए रखने का बॉण्ड भरवाकर पाबंद करवाना विशेष प्रभावकारी है। इसे नवीन कानून में धारा 127 के तहत कवर कर इसके क्षेत्र को समय के अनुसार थोड़ा परिवर्धित किया है।

सुझाव-1. प्रत्येक मामला अपने आप में विशिष्ट होता है इसलिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अपेक्षित है कि वह स्वयं एवं और उसका न्यायिक अनुभाग अच्छे से आपराधिक विधियों, विभिन्न उच्चतम और उच्च न्यायालयों के इस सम्बन्ध में जारी निर्णयों का अध्ययन कर व्यवस्था को सशक्त बनाए।

2.आंदोलन, बड़े मेले-पर्वों और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में प्रायः कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकार से जिला एवं उपखण्ड स्तर के पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारियों के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त कर अपेक्षाकृत कम सम्भावना वाले कार्यों में उनकी तैनाती की जाए।

3. कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए उसे सर्वप्रथम इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि किसी अधिनियम, नियम या सक्षम आदेश से कार्रवाई हेतु उसे अधिकृत किया हुआ है। क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर संतुष्टि उपरांत न्यायिक मस्तिष्क से निर्णय लिया जाना होता है क्योंकि उसके द्वारा पारित निर्णय और आदेश सेशन न्यायालय और आगे उच्चतर कोर्ट्स में प्रस्तुत होते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाईयों में आदेशिका और पत्रावली का संधारण न्यायिक तरीके से करना चाहिए जिससे पुनरीक्षण एवं अपील आदि में न्यायालय कोई विपरीत टिप्पणी न कर सके।

4. कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित न्यायिक, अर्धन्यायिक सभी कार्यवाहियां स्टेट की ओर से लड़ी जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य की ओर से पक्ष रखने हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रकरणों में पैरवी की जाये। बिना वारंट गिरफ्तार

गैरसायलों को 24 घंटे के अंदर पेश करते समय लिए गए निर्णयों को छोड़ दें तो तमाम अग्रिम कार्यवाहियों हेतु प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके न्यायलय में नियमित नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक या दो दिन ये अभियोजक पैरवी हेतु उपस्थित रहें।

5. राज्य अतिथियों के स्वागत/आतिथ्य हेतु कतिपय श्रेणियों में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को मनोनीत करने के प्रावधान हैं। प्रायः इस हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लगाया जाता है जिससे इनके कार्यालय/न्यायालय का कार्य प्रभावित होता है। अतः परिस्थिति अनुसार विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को इस कार्य हेतु मनोनीत करने पर विचार किया जा सकता है।

सारांश–समाज में होने वाली आपराधिक घटनाओं, सामाजिक और नैतिक प्रतिमानों के विरुद्ध आचरण को नियंत्रित, विनियमित और प्रतिषेध करने में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की महती भूमिका है। लोक व्यवस्था राज्य एवं समाज की कार्यक्षमता की द्योतक है। शांति और लोक–व्यवस्था के सभी मामलों में किसी न किसी रूप में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मुख्य भूमिका होती है। निवारक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में विधि द्वारा कई प्रकार के उत्तरदायित्व देने से कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में लोक व्यवस्था को अनुरक्षित रखते हुए ईज ऑफ़ लिविंग और ईज ऑफ़ डूइंग में सहयोग करते हुए सामाजिक स्थायित्व और अंततोगत्वा राज्य की आर्थिक समृद्धि तथा अंतिम व्यक्ति तक समृद्धि स्थानान्तरण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कानून एवं व्यवस्था का डोमेन अपेक्षाकृत विस्तृत होता है जिसमें पुलिस विभाग की मुख्य भूमिका रहती है परन्तु इनमें से कुछ मामले लोक व्यवस्था को प्रभावित करने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भूमिका शुरू होती है। न्यायिक प्रक्रिया को प्रशासनिक तरीके से डील करने के कारण कार्यपालक न्यायालय द्वारा सम्पादित कार्रवाइयां कई बार अनियमित और दूषित हो सकती हैं। इसीलिये कार्यपालक न्यायालय के ऐसे आदेश न्यायिक और अधिवक्ता बिरादरी में छबि धूमिल करते हैं। समस्त आपराधिक प्रकरण राज्य की ओर से लड़े जाते हैं इस कारण इन कार्रवाइयों में अभियोजन विभाग की महती भूमिका होती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए उन्हें अपनी शक्तियों, अधिकारिता और सीमा का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। इसके लिए नियमित रूप से कानूनों की जानकारी, अभ्यास और न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन आवश्यक है। लोक व्यवस्था को प्रभावित करने की स्थिति में बातचीत और संवाद के अतिरिक्त आपराधिक न्याय संहिता 1973 के प्रावधानों का उपयोग किया जाना जरूरी है।

चरागाह

-डॉ. गिरवर सिंह राठौड़ (RTS) (Rtd.)

राजस्थान में पशुपालन ग्रामीण आजीविका का आधार स्तंभ है। प्राचीन समय से राजस्थान में खुली चराई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती रही है। चरागाह भूमि ना केवल पशुपालकों के लिए आजीविका का साधन है, बल्कि यह ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अतः चरागाह का अपना विशेष महत्व है।

विकिपीडिया के अनुसार चरागाह उस भूमि को कहते हैं जिस पर घास लगी हो और जो पशुओं के चरने के काम आती हो, चरागाह भूमि शब्द का उपयोग गोचर भूमि या चरनोट भूमि के पर्याय के रूप में भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जहां जानवर घास चरते हैं अर्थात चराई के लिए प्रयुक्त भूमि या उपखण्ड चरागाह भूमि कहलाती है। भारत में जहां कृषि भूमि 51 प्रतिशत है, वहीं चरागाह भूमि का केवल 4 प्रतिशत है।

एक गांव में कितनी चरागाह भूमि की आवश्यकता होती है। चरागाह भूमि के क्षेत्र का निर्धारण गांव की पशुसंख्या के आधार पर किया जाता है। चरागाह भूमि की गणना की विधि कुछ इस प्रकार है ''एक बड़े मवेशी (पशु) के लिए आधा बीघा अर्थात् 1500 वर्ग गज भूमि इस आधार पर छोड़ी जाती है कि गांव में जितने बड़े मवेशी हैं, उनकी संख्या को आधा बीघा से गुणा कर, उतनी ही चरागाह भूमि की आवश्यकता होती है। जबकि छोटे जानवरों के लिए 5 छोटे मवेशी के बराबर एक बड़ा मवेशी माना गया है। अतः आसानी से यह भी हिसाब लगाया जा सकता है।

ऐसी भूमि जहां पर घास प्राकृतिक रूप से उगी हुई हो या फिर मनुष्यों द्वारा उगायी गई हो वह घास पशुओं के चरने के काम आती हो, चरागाह भूमि कहलाती है, दूसरे शब्दों में

ऐसी भूमि या मैदान जो पशुओं के चरने के लिए खाली छोड़ दिये जाते हैं, जहां पशु अच्छे से चरते हैं, उसे चरागाह भूमि कहते हैं। एक आदर्श चरागाह की घासों में, पतझड़ की ऋतु में काफी मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए, जिससे यह सर्दियों में पशुओं को चराने के काम आ सके।

1. चरागाह भूमि – विधिक प्रावधान

(Pasture land : Legal Provisions)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 की धारा 5 (28) में चरागाह भूमि की परिभाषा कुछ इस प्रकार दे रखी हैः–

1. वह भूमि जो गांव या गांवों के पशुओं को चराने के काम में ली जाती है या काश्तकारी अधिनियम 1955 के पूर्व सैटलमेन्ट अभिलेखों में चरागाह के रूप में अभिलिखित हो या शासन द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार बाद में अभिलेखों में चरागाह के रूप में आरक्षित कर दी गई हो।

दूसरे शब्दों में गांव में चरागाह भूमि का उपयोग पशुओं की चराई के लिए किया जाता है। यह या तो सैटलमेन्ट के अभिलेख में ''गोचर या चरागाह भूमि'' अभिलिखित है या सरकार द्वारा नियमों के प्रावधानानुसार चरागाह के रूप में आरक्षित की गई हो। काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में उन भूमियों का उल्लेख किया गया है जिनमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। धारा 16(1) में गोचर भूमि को नम्बर 1 पर रखा गया है। धारा 16 विगत् धाराओं का अपवाद है। अन्य धाराएं जहां व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान करती हैं यह धारा अपवाद है जो खातेदारी उत्पन्न नहीं करती है। यह धारा 16 के अनुसार चरागाह भूमि पर चाहे कब्जा काश्त हो तब भी चरागाह भूमि ही रहेगी और उस पर होने वाली खेती अस्थायी मानी जाएगी तथा खेती करने वाला अतिक्रमी माना जाएगा। उस पर राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। धारा 16 के अन्तर्गत चरागाह भूमि का आवंटन ना तो किया जा सकता है और ना ही कब्जे का विनियमन। 1970 के आवंटन नियम 4(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 16 में वर्णित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि चरागाह भूमि छोटी पट्टी के रूप में नहीं दी जा सकती।

2. उक्त परिभाषा के अनुसार चरागाहों को विनियमन करने के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के अध्याय–2 में नियम 3–7 बनाये गए हैं। यदि नियम 7 का अर्थ निकाला जाये तो नियम 6 के लागू के होने के परिणामस्वरूप तृतीय साधन से प्राप्त होने वाली भूमि को ही इस पुल में से बाहर लिया जा सकता है, जिसके लिए

उस भूमि को अलग से अंकित करना होगा, ताकि उसे पहचाना जा सके। जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। नियम 7 बनाने का यह उद्देश्य नहीं था कि वह कलेक्टर को प्रशासन के रूप में ऐसी दुविधा में डाले। अतः यह निश्चित किया गया है नियम 7 का प्रत्यक्ष प्रभाव चरागाह के रूप में गांव के अभिलेखों में अंकित भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग कलेक्टर की स्पष्ट स्वीकृति के बिना नहीं करने का प्रतिबंध लगाना है। इस अधिनियम में परिभाषित चरागाह भूमि के अन्तर्सम्बन्धित सभी नियमों को नियम 7 शासित करता है।

वृहत पीठ के निर्णय में प्रतिपादित कानून को आधार बनाते हुए नियम 7 की यह व्याख्या की गई है कि यह सम्पूर्ण चरागाह भूमि के मामलों को शासित करेगा, चाहे वह भूमि किसी भी साधन से चरागाह में आई हो अर्थात परिपाटी से सैटलमेन्ट अभिलेख में अंकन से, या नियम 6 द्वारा शासित भूमि के रूप में। वास्तव में नियम 7 द्वारा आरोपित वर्जन सभी चरागाह भूमि पर लागू होगा अन्यथा इसका अर्थ यह होगा कि चरनोट में शेष रहे दो साधनों से आई भूमि को कलेक्टर की स्पष्ट स्वीकृति के बिना बाहर नहीं निकाला जा सकता।

3. कलेक्टर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधान से चरागाह को किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बदल सकता है।

4. यह कहा जा सकता है कि नियम 7 कलेक्टर को ''चरागाह के रूप में अंकित भूमि के स्वरूप और उसके उपयोग को बदलने की शक्ति प्रधान करता है।'' उसकी स्वीकृति के बिना चरागाह भूमि का कोई अन्य उपयोग नहीं किया जा सकता।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के खण्ड 1 के अनुसार चरागाह भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।

6. यदि किसी गोचर भूमि पर अनेक वर्षों तक काश्त की गई हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि उस पर खातेदारी अधिकार दे दिये जायें, क्योंकि धारा 16(1) बहुत स्पष्ट है। चरागाह की भूमि व अन्य जन उपयोगी भूमि पर अतिक्रमी का कब्जा नियमित नहीं किया जा सकता।

7. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 93 राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नियमों के द्वारा चरागाह के उपयोग के लिए विनियमन (regularization) कर सकती है।

8. राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला) को भूमि के आवंटन नियम 1957 के नियम 6 (1, 2, 3) में यह व्यवस्था की गई है कि यदि गौशाला के आवंटन के लिए उपयुक्त सिवायचक भूमि उपलब्ध ना हो और गांव में पशु चराने के लिए पर्याप्त चरागाह भूमि उपलब्ध हो, तो इन नियमों के अधीन चरागाह भूमि का आवंटन किया जा सकता है।

9. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 110 व 165 में पंचायत को चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने बेदखल करने की व्यवस्था है। वहीं नियम 169 से 171 में चरागाह भूमि के विकास व उसके प्रबन्धन का दायित्व पंचायत को दिया गया है जो वैधानिक ज्यादा व व्यावहारिक रूप में कम है।

2. चरागाह भूमि के संदर्भ में जारी राज्य सरकार के परिपत्र (Circular) एवं अधिसूचना (notification)

1. परिपत्र-Group 1/62 दिनांक 14.07.1962-इस परिपत्र द्वारा गोचर भूमि का आबादी में परिवर्तन करने के लिए कलेक्टरों को प्राधिकृत किया गया , जिसमें कहा गया सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं होने पर आबादी, स्कूल खेल के मैदान और औषधालय निर्माण हेतु कलेक्टर गोचर भूमि का परिवर्तन कर सकता है।

2. अधिसूचना-Group 6/77 दिनांक 30.09.1977 इस अधिसूचना के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी को उपयोग करने की आज्ञा देने के आदेश दिये गये।

3. परिपत्र-Group 2/78/21 दिनांक 18.09.1981-उक्त परिपत्र द्वारा 31 दिसम्बर 1966 से पूर्व चरागाह भूमि पर किये गए अतिक्रमण के मामलों को नियमन की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार प्रेषित करने के आदेश दिये गये।

4. परिपत्र-Group 3/83/5 दिनांक 02.02.1983-उक्त परिपत्र में 1 जनवरी 1970 से पूर्व भूमिहीन कृषक जिन्होंने चरागाह पर अतिक्रमण किया गया है, के नियमन करने के आदेश किये गए।

5. अधिसूचना -Group 4/ दिनांक 22.10.1983-द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आबादी विस्तार हेतु चरागाह भूमि का आवंटन कलेक्टर 5 एकड़ प्रति गांव तक कर सकते हैं। पूर्व में यह सीमा 2 एकड़ प्रति गांव थी। साथ 1000 की आबादी के गांव हेतु 10 एकड़ भूमि का आवंटन।

6. आदेश -Group 5/2001/15 दिनांक 04.05.2002-इसके द्वारा 31 दिसम्बर 1989 तक चरागाह भूमि पर किये गए अतिक्रमण, नियमन किया जा सकता है।

7. परिपत्र -Group 6/2001/6 दिनांक 07.06.2005-दिनांक 01 जनवरी, 1972 से पूर्व के चरागाह भूमि के कब्जों के नियमन बाबत्।

8. परिपत्र -Group 6/2006/6 दिनांक12.01.2007-चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में।

9. परिपत्र-6/2001/7 दिनांक 25.04.2011-माननीय सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा सिविल अपील नम्बर1132/2011/SLP(C) No. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चरागाह, जोहड़ पायतन और तालाबों (Pasture attachments of ponds/ water reserviors ponds) की भूमियों में से किये निजी और व्यावसायिक के आवंटनों को अवैध माना। निर्णय की पालना में चरागाह भूमि के निजी व व्यावसायिक उपयोग के आवंटन व नियमन को रोक दिया गया है साथ ही इस परिपत्र में चरागाह भूमि पर कलेक्टर के अधिकारों को समाप्त करते हुए केवल अभिशंसा राज्य सरकार को भेजने और राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना भूमि का आवंटन नियमन रोक दिया गया।

10. परिपत्र क्रमांक प.10(3) राज.-62001/पार्ट-5 दिनांक 26.06.2012 - उक्त परिपत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11153/201 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 की अनुपालना में जारी किया गया, जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195 की धारा 16 का उल्लंघन कर किये गए भूमि के आवंटन / नियमन के कर्त्ता के विरूद्ध 16CC कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है।

11. परिपत्र-Group 6/2001/3 दिनांक 11.01.2013-उपर्युक्त परिपत्र ग्रुप 6 2001/7 दिनांक 25.04.2011 द्वारा चरागाह भूमि के उपयोग पर रोक लगा दी गई, तो चरागाह भूमि में खोदे गए कुंओं, ट्यूबवैल और पम्पिंग सेट का आवंटन व नियमन नहीं हो पा रहा। इस समस्या के निदान के लिए यह व्यवस्था की गई कि कुआं अथवा पम्प सेट 5 वर्ष से अधिक पुराना है तो शर्तों के साथ उसका नियमन किया जा सकता है।

12. परिपत्र-ग्रुप 6 2001/5 दिनांक 26.06.2013-राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के अनुसार जिला कलेक्टर 4 हैक्टेयर तक चरागाह भूमि का राजकीय विभागों को जनहित के लिए आवंटन करने में सक्षम है। अतः इस परिपत्र द्वारा परिपत्र दिनांक 25.04.2011 व 17.04.2013 के क्रम में नियम 7 के प्रावधानानुसार कलेक्टर को चरागाह भूमि का आवंटन करने का अधिकार शर्तों के अनुसार दिया गया।

13. परिपत्र-ग्रुप 6 2001/6 दिनांक 17.09.2013-इस परिपत्र में चरागाह भूमि के बदले अन्य भूमि को चरागाह घोषित कर उक्त भूमि में खनन की स्वीकृत दिया जाना। क्या जगपाल सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रतिकूल होगा, के बारे में विधि विभाग से राय ली गई, जिसने इस व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रतिकूल माना है।

14. परिपत्र-ग्रुप 6/2014 दिनांक 29.09.2014-इस परिपत्र द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई कि अगर कोई खातेदार चरागाह से होकर अपनी जोत तक पहुंचता है और वह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में चरागाह अंकित होने के कारण सम्परिवर्तन नहीं हो सकता तो इसमें निश्चय किया गया कि रास्ते हेतु जितनी भूमि चरागाह की दी जाएगी उतनी ही भूमिस्वयं खातेदार अपनी भूमि में से समर्पण करके अपनी भूमि में दर्ज करवायेगा। चरागाह में यह रास्ते की भूमि राजकीय रास्ता ''सार्वजनिक के रूप में अंकित की जाएगी। उसे चरागाह भूमि विनिमय में नहीं दी जा सकती।

15. परिपत्र-ग्रुप 6 2001/67 दिनांक 07.07.2017 द्वारा दिनांक 17.09.2013 (खनन स्वीकृति आवंटन) प्रस्तावों पर विचार नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन इस परिपत्र द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 10(3) राज-6/2001/7 दिनांक 25.04.2011, परिपत्र क्रमांक एफ 10(3) राज-6/2011/15 दिनांक 17.04.2013, परिपत्र क्रमांक एफ 10(3) राज-6/2001/6 दिनांक 26.04.2013 व परिपत्रक्रमांक एफ 10(3) राज-6/2001/6 दिनांक 17.09.2013 को अतिक्रमित करते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिये गए कि चरागाह भूमि का आवंटन या उसे अलग रखने हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1956 के नियम 7 के प्रावधानानुसार कार्यवाही करने हेतु कहा गया।

16. परिपत्र-ग्रुप 6/2017/09 दिनांक 06.01.2021-इस परिपत्र द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के अन्तर्गत अत्यधिक आवश्यकता के लिए वर्णित उद्देश्यों जैसे सिंचाई परियोजना, हवाई पट्टी (Airstrip) लिफ्ट सिंचाई, पम्पिंग स्टेशन, राजकीय भवन, राजकीय कार्यालय, श्मशान, कब्रिस्तान, गौशाला, पुनर्वास, सिंचाई योजनाएं, जल वितरण योजनाएं, औद्योगिक विकास, कृषि उपज मण्डी, अन्य गोदाम, राष्ट्रीय व राज्य हाईवे, मुख्य जिला सड़क, रेल्वेलाइन हेतु चरागाह भूमि के वर्गीकरण व परिवर्तन कर आवंटित किये जाने पर चरागाह की क्षतिपूर्ति के निर्देश दिये गए हैं।

17. अधिसूचना - ग्रुप 6/2001/पार्ट/94 दिनांक 01.10.2021 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 में 2 हैक्टेयर तक चरागाह भूमि के परिवर्तन करने का प्रावधान निरस्त कर दिया गया।

18. परिपत्र - ग्रुप 6 क्रमांक प.10(3) राज-6/2001/पार्ट/142 जयपुर दिनांक 06.09.2022 अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-16 (जिसमें चरागाह भूमि भी सम्मिलित है) का उल्लंघन कर कोई भी राजस्व अधिकारी किसी

भी प्रयोजनार्थ आवंटन / नियमन करता है, तो वह अनारक्षित रूप से किये गये आवंटन / नियमन करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रतण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत आवश्यक रूप से कार्यवाही की जायेगी।

नोट-जहां राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र (circular) का प्रशासन शासकीय राजपत्र (Gazette notification) में नहीं किया जाता वहीं अधिसूचना (notification) का प्रकाशन राजपत्र में किया जाता है जिसका अधिक महत्त्व होता है।

3. चरागाह भूमि का प्रबंधन (Pastureland management)

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 169, 170 और 171 में चरागाह भूमि का प्रबंध, उसका विकास और उससे प्राप्त 100 प्रतिशत आय प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। दूसरे शब्दों में ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित गांवों की चरागाह भूमि का प्रबंध करने के लिए दायित्व है। भूमि पर उगे हुए वृक्षों और अन्य प्राकृतिक उपज से प्राप्त आय पंचायत निधि में जमा करानी होती है। चरागाह भूमि में गिरे हुए पेड़ों का विक्रय गोबर की नीलामी आदि का प्रबंध भी पंचायत नियम 169 के अन्तर्गत करती है।

नियम 170 चरागाह के विकास के संदर्भ में निर्मित है। पंचायतें उपर्युक्त किस्म की घास, झाडियों और पौधों के विकास के लिए एवं अतिक्रमण को रोकने के लिए सभी कदम उठाने को बाध्य है। इस हेतु पंचायत प्रत्येक गांव की चरागाह भूमि का नियंत्रण 5 सदस्यों की एक समिति को देती है जिसकी अध्यक्षता सम्बन्धित गांव का वार्डपंच करता है और उसमें 4 सदस्य ग्रामसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। नियम 171 के अनुसार ग्राम पंचायत पशुओं की चराई के लिए फीस का निर्धारण कर सकती है। यह फीस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक नहीं होती है।

4. चरागाह भूमि पर अधिकार का सार्थक विश्लेषण

(rightson pasture land: meaningful analysis)

चरागाह भूमि पर अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(28) जिसमें गोचर भूमि की परिभाषा। इसी अधिनियम की धारा 16 जिसमें चरागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 में चरागाह भूमि को आरक्षित रखने सम्बन्धित प्रावधान। काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित सरकारी के नियम 5, 6, 7 में चरागाह भूमि की व्यवस्था व उपयोग के

संदर्भ में बताया गया है तथा पंचायतीराज अधिनियम के नियम 1996 के नियम 169 से 171 तक में चरागाह भूमि के प्रबन्धन व विकास के बारे में बताया गया है।

चरागाह भूमि पर अधिकार सम्बन्धी विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.1.2011 से प्रारम्भ हुआ जिसके अन्तर्गत चरागाह भूमि के आवंटन, नियमन, खनन एवं अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग पर रोक लगा दी गई। इसके उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जगपाल सिंह के पारित निर्णय दिनांक 28.1.2011 के क्रम में जब उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2011, 2012, 2013 में आई.ए. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 18.04.2013 को आदेश दिये कि चरागाह भूमि से संबंधित जितने भी राज्य सरकार के कानून हैं उनको लागू करें तथा ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत ऐसी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वालों पर कार्यवाही करें।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों की पालना हेतु उक्त निर्णय में राय लेने के लिए महाधिवक्ता महोदय ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आई.ए. दायर करने की सलाह दी जिसे आई.ए. संख्या 35/2016 के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर कर राय लेने हेतु कहा गया अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एस.एस. शमसेरी द्वारा प्रदत्त उक्त राय पर महाधिवक्ता श्री एन.एम. लोढ़ा से राय ली गई। दोनों की यही राय रही कि राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र 25/04/2011 को संशोधित किया जाये जिसमें चरागाह भूमि के निजी अथवा व्यावसायिक के रूप में रोक लगायी थी।

अतिरिक्त महाधिवक्ता और महाधिवक्ता की राय के उपरान्त राज्य मंत्रिमण्डल राजस्थान ने दिनांक 17.05.2017 को मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 88/2017 में लिये गए निर्णय की अनुपालना में दिनांक 25.05.2011, दिनांक 17.04.2013, दिनांक 26.06.2013 व दिनांक 17.09.2013 निरस्त करते हुए यह निर्णय किया गया कि चरागाह भूमि का आवंटन या उसे अलग रखने के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करने की दी जाये।

इसी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को निर्दिष्ट किया गया कि चरागाह भूमि में अवैध कब्जाधारियों पर कार्यवाही कर भूमि को मुक्त करवायें और इस हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करें।

भारतीय परिसीमन अधिनियम 1963 में यह व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की निजी भूमि पर 12 वर्ष और सरकारी भूमि पर 30 वर्ष की अवधि से अधिक तक

कब्जा रखता है तो वह उस भूमि पर अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद दायर कर सकता है। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार कुछ समय पहले परिपत्र जारी कर चरागाह भूमि पर 30 वर्ष से पूर्व काबिज व्यक्तियों का सर्वे करवाने का निर्णय लिया गया ताकि उनको नियमित किया जा सकें।

किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार चरागाह भूमि पर कब्जाधारी चाहे कितने भी पुराने हों, उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता, बल्कि अतिक्रमी मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए क्योंकि चरागाह भूमि पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम के अन्तर्गत नियमन नहीं किया जा सकता।

इस कानून पर लॉ कमीशन की गठित समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है (जून 2023) और कहा कि प्रतिकूल कब्जे को लेकर बने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है जो अपने हकों के प्रति सोये रहते हैं, उनको कानून भी मदद नहीं करता। लेकिन लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बहुलया से इस कानून में संसदीय संशोधन का रास्ता खोल दिया है तथा 12 व 30 वर्ष के कब्जे की व्यवस्था को हटाने का निर्णय विधि आयोग ने लिया है।

5. वर्तमान में चरागाह भूमि अधिकार की स्थितिः-

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित चरागाह गैरमु. नाला, तालाब, नदी, बाँध अथवा पायतन या पानी के बहाव क्षेत्र (कैचमेन्ट एरिया) के अन्तर्गत आने वाली भूमि के संदर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के संदर्भ में दिये गए 2 अगस्त, 2004 के निर्णय तथा जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य पारित आदेश दिनांक 28.11.2011 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 उसके उपरान्त जारी परिपत्र, आदेश व अधिसूचना के निष्कर्ष यह बताते हैं कि :-

1. चरागाह भूमि पर कभी भी किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।

2. चरागाह भूमि पर हुए अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाना ही होगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधानों से चरागाह भूमि पर 30 वर्ष से अधिक कब्जे को नियमित नहीं किया जा सकता अर्थात् चरागाह भूमि का नियमन नहीं होगा।

3. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 257 की प्रदत्त शक्तियों

का उपयोग करते हुए, जो नियम 4(1), (2), (3) नियम 5, नियम 7 जिसमें भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत चरागाह भूमि अन्य कृषि या गैर कृषि कार्य के लिए आवंटित करने हेतु परिवर्तन करने का अधिकार अब केवल राज्य सरकार को है, जिला कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी को नहीं होगा। साथ ही नियम 7(2) के अन्तर्गत कलेक्टर को दी गई शक्तियां वापस ले ली गयी हैं। अब उपखण्ड अधिकारी/जिला कलेक्टर नियम 7(2) के अन्तर्गत केवल राज्य सरकार को अनुशंषा ही कर सकेंगे, निर्णय लेना राज्य सरकार का कार्य है।

4. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित चरागाह भूमि केवल उसी विषय में उपयोग में ली जा सकती है जिस विषय को ध्यान में रखकर आरक्षित की गई है।

5. पंचायती राज अधिनियम के नियम 169 से 171 यथावत् रहेंगे, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत चरागाह भूमि का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होगी, लेकिन चरागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 व 91(6) के अन्तर्गत कार्यवाही कर अतिक्रमी को बेदखल किया जाएगा।

2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-16 (जिसमें चरागाह भूमि की सम्मिलित है) का उल्लंघन करके कोई राजस्व अधिकारी किसी भी उद्देश्य से भूमि का आवंटन/नियमन करता है, तो वह इसके लिए स्वयं उत्तररदायी होगा और उसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें उसे पदच्युति या पद से हटाने की सजा दी जा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजनों के लिए रूपान्तरित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन

घनश्याम सिंह देवल
(RTS)

राजस्थान में भू राजस्व की वसूली के बाद कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजनों के लिए भूमि रूपान्तरण की मद से प्राप्त होने वाली आमदनी राजस्व का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजनों के लिए भूमि रूपान्तरण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में राज्य के विकास की गतिशीलता के लिए प्रमुख कार्य हो गया है। एक ओर इससे शहरी एवं ग्रामीण विकास की झलक दिखाई देने लगी है, दूसरी ओर यह राज्य सरकारों की आमदनी का प्रमुख स्रोत भी होता जा रहा है।

कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कारोबार, कृषि प्रसंस्करण, वाणिज्यिक प्रयोजन जिसमें किसी भी परिसर का किसी भी व्यापार या वाणिज्य या कारोबार जिसमें कोई दुकान, वाणिज्यिक स्थापन, बैंक कार्यालय, अतिथि गृह, छात्रावास, होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा (चाहे पक्का हो या अस्थायी संरचना), शोरूम, सिनेमा, मल्टीप्लेस, पेट्रोल पम्प, बारूदशाला, तुलाचौकी, गोदाम, कार्यशाला, या कोई भी अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, औद्योगिक क्षेत्र प्रयोजनार्थ जिसमें आवश्यक कल्याण और सहायक सेवाओं जैसे डाकघर, कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनियां, शैक्षिक संस्थाएं, अवशीतन गृह, प्रदूषण नियंत्रण उपचार संयंत्र, विद्युत पावर स्टेशन और जल प्रदाय और मल निकास सुविधाएं, औषधालय या चिकित्सालय, बैंक, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, तुला चौकी को सम्मिलित करते हुए उद्योग या उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम या यथास्थिति, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित किया गया भूमि का कोई क्षेत्र सम्मिलित है, औद्योगिक प्रयोजनार्थ जिसमें सूचना प्रोंद्योगिकी उद्योग को सम्मिलित करते हुए किसी भी उद्योग चाहे वह लघु या मध्यम या बड़ी इकाई हो या कोई पर्यटन इकाई के लिए किन्हीं भी परिसरों या कार्यशालाओं या किसी खुले क्षेत्र का उपयोग शामिल है और इसमें ईंट भट्ठा या चूना भट्ठा सम्मिलित होगा किन्तु नियमों की परिभाषा व्यवस्था में दिये गये खण्ड (ख) में यथापरिभाषित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिए गये परिसर सम्मिलित नहीं होंगे, संस्था सम्बन्धी प्रयोजन, लोकोपयोगी प्रयोजन, आवासीय इकाई, आवासीय कोलोनी/परियोजना, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, सोलर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, पर्यटन इकाई, नमक विनिर्माण आदि के लिए रूपान्तरण की कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व

(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत किया जा रहा है।

इन नियमों के तहत संपरिवर्तन की जाने वाली भूमियों में से कतिपय भूमियों के लिए सपंरिवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा नहीं दिये जाने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही कतिपय पूर्व भूमि उपयोगों के निश्चित दूरी तक अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि सम्परिवर्तन की कार्यवाही को निषेध किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में भूमि संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 5 के अनुसार बिना संपरिवर्तन प्रभार दिये कोई खातेदार अभिधारी 500 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र पर निवास गृह या पशुशाला या भण्डार गृह के निर्माण के लिए अपनी कृषि जोत को संपरिवर्तन कराने का अधिकारी होगा। इस प्रकार संपरिवर्तन क्षेत्र उसकी खातेदारी अभिधृति में बना रहेगा। खातेदारां को ऐसे औपचारिक संपरिवर्तन आदेशों के बिना वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं मिल पा रहा था। और इस प्रकार यदि खातेदार अभिधारी द्वारा संपरिवर्तन आदेश के लिए आवेदन किया जाता है तो उक्त विहित सीमा तक औपचारिक संपरिवर्तन आदेश कराये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 17.09.2007 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। लेकिन ऐसे औपचारिक संपरिवर्तन आदेश का जमाबन्दी में अंकन नहीं किया जाता था। पुनः किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.07.2017 के पत्र द्वारा सभी जिला कलक्टर्स को रूपान्तरण नियम 2007 के नियम 12 में संशोधन का हवाला देते हुए निर्देश दिये गये कि आवेदक खातेदार द्वारा भूमि संपरिवर्तन कराने पर उसका अंकन जमाबन्दी में किये जावे ताकि ऐसे खातेदार अभिधारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सके। लेकिन इस समस्त प्रक्रिया के बावजूद खातेदार अभिधारी के कृषि सुधार एवं सुखाधिकार के लिए जारी किये गये इन औपचारिक संपरिवर्तन आदेश से खातेदारी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। खातेदार अभिधारी की खातेदारी यथावत बनी रहेगी।

ग्रामीण कृषि भूमि रूपान्तरण नियम 2007 के नियम 12 के अनुसार रूपान्तररित भूमि के रिकार्ड संधारण के लिए निम्न व्यवस्था दी गई है –

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तन आदेश जारी होने के पश्चात् तहसीलदार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां करके खातेदारी भूमि का क्षेत्र कर देगा।

   इस व्यवस्था के तहत खातेदारी भूमि का जिम्मन नम्बर खातेदारी से कम किया जाकर इस भूमि को जिम्मन नम्बर 1 के तहत संपरिवर्तित निवास या वास जोत क्रम में शिफ्ट किया जाना प्रासांगिक है।

2. भूमि के संपरिवर्तन के पश्चात इसकी अकृषिक भूमि के रूप में प्रविष्टि की जायेगी,

साथ ही जमाबन्दी में मृदा वर्गीकरण वाले कॉलम में यह प्रयोजन भी लिखा जायेगा जिसके लिए भूमि संपरिवर्तित की गई है।

3. संपरिवर्तित खसरा संख्याओं पर सुपरइम्पोज्ड अनुमोदित अभिन्यास योजना की प्रति जमाबन्दी के साथ सहबद्ध की जायेगी।

इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक संपरिवर्तित भूमि के लिए जारी किये गये सक्षम प्राधिकारी के आदेश तथा अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रति संलग्न की जावेगी, जो जमाबन्दी के साथ नत्थी रहेगी तथा उसके संलग्न दस्तावेजों का अंग रहेगी।

4. खातेदार अभिधारी द्वारा संपरिवर्तित भूमि के अन्तरण की स्थिति में वह तहसीलदार को ऐसे अन्तरण के बारे में सूचित करेगा। अन्तरण विलेख के आधार पर तहसीलदार राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के प्ररूप पी–21 में नामान्तरण खोलेगा। तहसीलदार अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि के लिए एक पृथक नामान्तरण रजिस्टर रखेगा। किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि के पश्चातवर्ती अन्तरण पर पश्चातवर्ती प्रविष्टिनामान्तरण रजिस्टर में की जायेगी।

5. कोई भी व्यक्ति, जिसने अपनी कृषि भूमि इन नियमों या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के संपरिवर्तन के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन किसी भी अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित करवा ली है, या उसके अन्तरिती नामान्तरण रजिस्टर में उसके नाम और मृदा वर्गीकरण की प्रविष्टि के लिए सम्बन्धित तहसीलदार के संपरिवर्तन आदेश और उसके पक्ष में भूमि के अन्तरण के विलेख सहित किसी भी समय आवेदन कर सकेगा।

इन नियमों में दी गई व्यवस्था के अपवाद में नियम 5 में खातेदार अभिधारी 500 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र पर निवास गृह या पशुशाला या भण्डार गृह के निर्माण के लिए अपनी कृषि जोत को संपरिवर्तन कराने का अधिकारी होगा। इस प्रकार संपरिवर्तन क्षेत्र उसकी खातेदारी अभिधृति में बना रहेगा।

इस के साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान में सामान्य तौर पर नामान्तरकरण की कार्यवाही कृषि भूमि की खातेदारी में परिवर्तन होने पर की जा रही है। भूमि का संपरिवर्तन हो जाने पर वह खातेदारी भूमि नहीं रह जाती है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा दिनांक 16.08.2012 द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार ''कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ

रूपान्तरण होने के पश्चात् भूमि खातेदारी में से कम किये जाने के प्रावधान हैं। नामान्तरकरण का कार्यक्षेत्र खातेदारी भूमि तक ही है। अतः विक्रय, दान, वसीयत, बख्शीश, उत्तराधिकार द्वारा रूपान्तरित भूमि का हस्तान्तरण होने पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जावे'' मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

खातेदारी भूमि के नामान्तरकरणों की सही, विधिसम्मत ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित है। कृषि भूमि के संपरितर्वन हो जाने के बाद ऐसी संपरिवर्तित भूमि के लिए आफलाइन नामान्तरकरण की स्पष्ट सही एवं विधिसम्मत प्रक्रिया निहित है। स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद भूमि के संपरिवर्तन हो जाने के बाद के अन्तरणों के लिए इस व्यवस्था के विपरीत जितने भी नामान्तरण ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किये जा रहे हैं, आगे जाकर यह सभी नामान्तरकरण कृषि के लिए संधारित राजस्व अभिलेख में नई अव्यवस्था को जन्म दे रहे हैं तथा आगे जाकर यह अधकचरी मिश्रित व्यवस्था खातेदारी रिकार्ड के साफ एवं विधिसम्मत संधारण में समस्या उत्पन्न करेंगे।

इस नामान्तरकरण की कार्यवाही में सम्बन्धित एलआरसी पटवारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है वह जब कभी भी रूपान्तरण आदेश प्राप्त हो तो तदनुसार उस रूपान्तरित भूमि को ऑनलाइन रिकार्ड हेतु कम्प्यूटर में दी गई व्यवस्था के अनुरूप ही खातेदारी क्षेत्र में से कम करेगा।

इन नियमों में कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो जाने के बाद नामान्तरकरण करने की सरल प्रक्रिया दी गई है। कृषि भूमि से अकृषि भूमि के संपरिवर्तन के उपरान्त जमाबन्दी/राजस्व अभिलेख में संपरिवर्तित क्षेत्र खातेदारी से कम किया जायेगा तथा जमाबन्दी के मृदा वर्गीकरण के कॉलम में अकृषि भूमि प्रयोजन सहित अंकन की जावेगी। तहसील कार्यालय में ग्रामवार एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें ग्रामवार कृषि प्रयोजन से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के हस्तांतरण पर विक्रय पत्र प्राप्त होने पर तहसील कार्यालय में संपरिवर्तित भूमि के हस्तांतरण सम्बन्धी रजिस्टर में दर्ज की जाकर सम्बन्धित पटवारी को भेजा जावे। पटवारी इस विक्रय पत्र के आधार पर ग्रामवार नामान्तरकरण पंजिका में दर्ज करेगा तथा संपरिवर्तित उक्त भूमि के बाद के हस्तांतरण भी उक्त नामान्तरकरण पंजिका में सतत रूप से दर्ज होते रहेंगे।

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. **अपील/एश्रीट एक्ट/2388/2016/जयपुर**

खेतड़ी ट्रस्ट जरिये प्रबंधक न्यासी खेतड़ी ट्रस्ट पृथ्वीराज सिंह पुत्र स्व. श्री नटवर सिंह निवासी डी–66 बी सवाई माधोसिंह रोड, बनी पार्क जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

............अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

............प्रत्यर्थी

2. **अपील/एश्रीट एक्ट/2467/2016/जयपुर**

गजसिंह अलसीसर पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी अलसीसर हेवली, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।

............अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, जयपुर।
2. तहसीलदार, जयपुर तहसील, कलेक्ट्रेट, बेनीपार्क, जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।
4. तहसीलदार, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

............प्रत्यर्थीगण

3. **अपील/एश्रीट एक्ट/2465/2016/झुंझुनूं**

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र लादूसिंह, जाति राजपूत, निवासी अलसीसर अपार्टमेंट, 42–ए, शिवपथ, रामनगर, सोड़ाला, जयपुर।
2. योगेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी मधुवन फार्म, रेल्वे कोलोनी, जगतपुरा, जयपुर।

............अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

.............प्रत्यर्थी

खण्ड–पीठ

श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष

श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थित :-

1– श्री ओ.एल. दवे एवं श्री गौरव दवे, विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी अपील संख्या 2388/2016 की ओर से।

2– श्री माधोराज सिंह, श्री लवप्रताप सिंह राठौड़ एवं श्री देवेन्द्र सिंह राघव, विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी अपील संख्या 2465/2016 की ओर से।

3– श्री अशोक अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी अपील संख्या 2467/2016 की ओर से।

4– श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी राजस्थान सरकार की ओर से।

निर्णय

दिनांक :- 01/02/24

1– प्रकरण में अपील संख्या 2388/2016 के अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका पर हुई बहस के साथ ही मूल अपील के गुणावगुण के संबंध में भी बहस सुनी गई। पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार होने के फलस्वरूप तीनों अपीलों को पुनः नंबर पर लिया जाकर उक्त तीनों अपीलों का पुनः निस्तारण इस निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2– चूंकि उक्त तीनों अपीलें राजगामी विनियम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अंतर्गत जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित एक ही निर्णय दिनांक 2–2–2016 के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है। हालांकि उक्त तीनों अपीलों के अपीलार्थीगणों के परस्पर दावों के तथ्य भिन्न–भिन्न हैं, किन्तु उक्त तीनों अपीलों में जिला कलक्टर, जयपुर

द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 2-2-2016 की वैधता को चुनौती दिये जाने का आधार एक ही है। अतः उक्त तीनों अपीलों का निस्तारण इस एक ही निर्णय से किया जाना उचित है।

3- प्रकरण के तथ्यों पर प्रकाश डालने हेतु सुविधा की दृष्टि से अपीलार्थी खेतड़ी ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2388/2016 के तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है। खेतड़ी ट्रस्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ठिकाना खेतड़ी के राजा बहादुर सरदार सिंह देश के प्रमुख नागरिक होकर भारत की संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य व लाओस में भारत के राजदूत थे, जिनका स्वर्गवास दिनांक 28-1-87 को मुम्बई में हो गया। राजा बहादुर सरदार सिंह की मृत्यु के बाद उनकी ठिकाना खेतड़ी व जयपुर में स्थिति सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्तियों को कलक्टर जयपुर व झुंझुनूं द्वारा राजा बहादुर सिंह को लावारिश मानकर व निर्वसीयत मानकर बिना कोई जांच पड़ताल किये राजगामी अधिनियम के प्रावधानों की उपेक्षा करते हुये राजगामी सम्पत्ति घोषित करते हुये अपीलार्थी खेतड़ी ट्रस्ट के ट्रस्टियों से कब्जे में दिनांक 29-7-87, 31-7-87 व 3-8-87 को बिना किसी वैध नोटिफिकेशन के ले लिया। राजा बहादुर सिंह द्वारा एक अंतिम वसीयत दिनांक 30-10-85 को निष्पादित कर एक सील बंद लिफाफे में उसी दिन उप पंजीयक कार्यालय तीन हजारी नई दिल्ली में धारा 43 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जमा करवा दी। वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को वसीयत के दोनों साक्षियों ने उपपंजियक के समक्ष तस्दीक किया तथा उक्त अंतिम वसीयत में राजा बहादुर सरदार सिंह ने राजस्थान के कई जिलों में स्थित समस्त चल अचल सम्पत्ति शिक्षा प्रसार हेतु खेतड़ी ट्रस्ट के नाम कर दी। खेतड़ी ट्रस्ट एक वसीयत द्वारा निर्मित वसीयती ट्रस्ट है, जिसका निर्माण राजा बहादुर सरदार सिंह द्वारा अपनी वसीयत में किया जो उनकी मृत्यु दिनांक 28-1-87 से प्रभावशील हुई। राजा बहादुर सरदार सिंह द्वारा निष्पादित अंतिम वसीयत में खेतड़ी ट्रस्ट हेतु निम्न व्यक्तियों को ट्रस्ट का न्यासी नियुक्त किया गया :-

1- लेडी ओल्गा मेनिंग ऑफ हम्पटन

2- श्री डेनियल लतीफी

3- श्री रोमेश थापर

4- श्री परमेश्वर प्रसाद

राजा बहादुर सिंह की समस्त सम्पत्तियों को जागीर कमिश्नर द्वारा अपने निर्णय

दिनांक 2-12-57 से उनकी निजी सम्पत्ति घोषित कर दी थी तथा उक्त समस्त सम्पत्तियों राजा सरदार सिंह की मृत्यु के बाद अंतिम वसीयत दिनांक 30-10-85 के अनुसार समस्त अधिकार व स्वत्व खेतड़ी ट्रस्ट को प्राप्त हो गये व समस्त चल अचल सम्पत्तियां व कृषि भूमि को खेतड़ी ट्रस्ट के के ट्रस्टीज के कब्जे में थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने राजा सरदार सिंह की सम्पत्तियों को लावारिस व निर्वसीयत मानते हुये राजस्थान राजगामी अधिनियम की उपेक्षा करते हुये खेतड़ी ट्रस्ट के ट्रस्टियों से कब्जे में ले लिया। राजा बहादुर सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 30-10-85 के आधार पर खेतड़ी ट्रस्ट के तत्कालीन न्यासी परमेश्वर प्रसाद ने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में एक प्रोबेट याचिका सं. 26/87 दिनांक 13-3-87 प्रस्तुत की जो दिनांक 2-7-2012 को एकल पीठ में अस्वीकार कर दी गई लेकिन एकल पीठ ने माना कि वसीयत के सम्पादन तथा वसीयत पर हुये वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर तथा साक्षियों के हस्ताक्षर पर कोई विवाद नहीं है। उक्त निर्णय के विरुद्ध खेतड़ी ट्रस्ट ने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली की खंड पीठ में एफएओ (ओएस) नम्बर 347/12 एवं 348/12 प्रस्तुत की, जो एडमिट होकर विचाराधीन है। राजस्थान सरकार ने बिना कोई जांच किये व बिना नोटिस दिये राजस्थान राजगामी विनियम अधिनियम 1956 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुये जयपुर स्थित सम्पत्ति जो खेतड़ी ट्रस्ट के कब्जे एवं स्वामित्व की थी, को दिनांक 29-7-87 को तथा खेतड़ी में स्थिति सम्पत्ति एवं कृषि भूमि को दिनांक 31-7-87 व 3-8-87 को खेतड़ी ट्रस्ट से कब्जे में ले लिया। राज्य सरकार ने एश्चीट प्रावधानों के विपरीत जाकर 1987 से कृषि भूमियों को कब्जे राज में ले रखा है, जबकि खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि पर एश्चीट एक्ट लागू ही नहीं है। जिसके विरुद्ध श्री गजसिंह अलसीसर द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 23-11-2012 को खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत स्पेशल अपील में खंड पीठ ने एकल पीठ के निर्णय को संशोधित करते हुए निर्देश दिये कि तहसीलदार दो सप्ताह में उक्त अधिनियम की धारा 4 डी के तहत कलक्टर को रिपोर्ट प्रेषित करें तथा कलक्टर झुंझुनूं उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत तीन माह में कार्यवाही करें। तहसीलदार से प्राप्त धारा 4 डी की रिपोर्ट के ब्राद जिला कलक्टर जयपुर ने राजस्थान राजगामी सम्पत्ति अधिनियम 1956 की धारा 6 एवं राजस्थान राजगामी नियम 1957 के नियम के तहत दिनांक 28-7-2014 को अधिसूचना जारी की, जिसमें राजस्थान में स्थित तहसीलदार व जिला जयपुर, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं व तहसील आबू जिला सिरोही में स्थित सम्पत्तियों के बारे में

यदि कोई विधिक वारिस/हितधारी हो तो अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिस पर खेतड़ी ट्रस्ट की ओर से अन्दर अवधि आपत्ति प्रस्तुत की, कि राजा बहादुर सिंह द्वारा निष्पादित पंजिकृत वसीयत तीस हजारी कोर्ट में धारा 43 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जमा करा दी है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में सुरेन्द्र सिंह, नगेन्द्र सिंह, हेमेन्द्र सिंह पुत्रगण राजेन्द्र सिंह, श्री गजसिंह अलसीसर सगौत्री होने की आपत्तियां पेश कर उक्त अधिनियम की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का निवेदन किया। विद्वान जिला कलक्टर ने अवैधानिक रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल पीठ के निर्णय दिनांक 3-7-2012 एवं इसके विरूद्ध पेश की गई स्पेशल अपील में स्थगन नहीं होना मानकर अपीलार्थी की आपत्तियों को इस कारण खारिज कर दिया कि अपीलार्थी खेतड़ी ट्रस्ट आपत्तियां प्रस्तुत करने की लिये प्रभावित पक्षकार नहीं है। उक्त निर्णय दिनांक 2-2-2016 को पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

4- अपीलार्थी खेतड़ी ट्रस्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.एल. दवे एवं अपीलार्थी गजसिंह अलसीसर के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ने निवेदन किया कि जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 2-2-2016 केवल मात्र इस आधार पर पारित किया गया है कि अपीलार्थीगण की प्रोबेट संबंधित याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा खारिज कर दी गई है। जिला कलक्टर, जयपुर का आक्षेपित निर्णय दिनांक 2-2-2016 केवल मात्र इसी निष्कर्ष पर आधारित है, अन्य कोई जांच कार्यवाही जिला कलक्टर द्वारा संपादित नहीं की गई है, किन्तु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ का निर्णय माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पलट दिया गया तथा Lord Northbook के हक में प्रोबेट जारी कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाये।

5- अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह व योगेन्द्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता माधोराज सिंह ने उपरोक्त तथ्यों पर सहमति जाहिर करते हुए यह भी निवेदन किया कि चूंकि प्रश्नगत संपत्ति व कार्यवाही के संबंध में उभय पक्षों के मध्य माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने तक स्थगित रखा जाये।

6- विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये अपनी बहस में

कथन किया कि राजा बहादुर सरदार सिंह निःसंतान एंव निर्वसीयत फौत हुए, जिनकी चल-अचल सम्पत्ति को तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान राजगामी अधिनियम के अनुसरण में राज्य सरकार के पक्ष में कब्जे में लिया गया। जिला कलक्टर जयपुर ने विधिनुसार जांच व कार्यवाही करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी की रिट माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा खारिज की जा चुकी है तथा खंड पीठ द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का स्थगन नहीं दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर जयपुर द्वारा में पारित निर्णय पूर्णतः विधिपूर्ण निर्णय है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत तीनों अपीलों को खारिज किया जाये।

7- उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ठिकाना खेतड़ी के राजा बहादुर सरदार सिंह की मृत्यु दिनांक 28-1-1987 को हो गई, जिसके पश्चात् informer द्वारका प्रसाद पारीक की सूचना पर जिला कलक्टर व तहसीलदार, जयपुर एवं झुंझुनूं द्वारा Escheat proceeding प्रांरभ की गई तथा संबंधित संपत्तियों का possession लेने के संबंध में तीन आदेश दिनांक 3-7-1987, दिनांक 22-7-1987 एवं दिनांक 3-8-1987 को जारी किये गये। जिला कलक्टर द्वारा Escheat proceeding का निस्तारण आक्षेपित आदेश दिनांक 2-2-2016 के द्वारा किया गया, जिसके द्वारा जिला कलक्टर जयपुर ने प्रश्नगत संपत्तियों को राजगामी करते हुए राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिनांक 2-2-2016 पारित किया, जिसके विरूद्ध ये तीनों अपील प्रस्तुत की गई है। इससे पूर्व प्रश्नगत संपत्तियां राज्य सरकार द्वारा कब्जे में लेने के संबंध में पारित किये गये आदेश दिनांकित 3-7-1987, 22-7-1987 एवं 3-8-1987 के विरूद्ध खेतड़ी ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष डी.बी. सिविल याचिका संख्या 2713/1987 पेश की गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका का निस्तारण दिनांक 17-11-2016 को किया गया तथा आदेश दिनांक 17-11-2016 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ ने आदेश दिनांक 3-7-1987, 22-7-1987 एवं 3-8-1987 को अपास्त कर दिया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ के उक्त आदेश दिनांक 17-11-2016 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 6677/2019 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के निर्णय स्वरूप दिनांक 28-8-2019 को खण्ड-पीठ के माननीय न्यायाधीशगण द्वारा परस्पर अलग-अलग मत व्यक्त किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रकरण larger bench को

रेफर किया गया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की larger bench के समक्ष उक्त अपील अभी विचाराधीन है।

8- The Rajasthan Escheats Regulation Act, 1956 की धारा-7 अपील के संबंध में है जो निम्नानुसार विहित करती है :-

7- "7. Appeal.-Any **person** aggrieved by the final order of the Collector under sub-section (9) of section 6 may appeal to the Board within sixty days of passing thereof."

इस प्रकार Escheats Act की धारा-7 से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर द्वारा धारा-6 (9) के तहत पारित आदेश के विरूद्ध कोई भी व्यथित व्यक्ति मण्डल के समक्ष अपील कर सकता है।

9- Escheats act की धारा-6(7) निम्नानुसार उपबंधित करती है कि :-

"(7) The collector may, if any inquiry under this section involves a complicated question of law as to title or status which has not been previously adjudicated upon by a Civil Court of competent jurisdiction, and shall, if there are two or more claimants in respect of the same property, require any or all of the claimants to apply for a succession certificate in respect of such property or to institute a suit for a declaration of title thereto within such period not exceeding six months in the aggregate as the Collector may from time to time fix, and if such application or suit has been made or instituted, the Collector shall stay the proceedings before him and the disposal of the property shall be subject to the result thereof."

इस प्रकार Escheats act की धारा-6(7) में यह स्पष्टः प्रावधान है कि यदि किसी दावेदार द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों बाबतब कोई कार्यवाही की जाती है तो जिला कलक्टर द्वारा उसके समक्ष की गई कार्यवाही सिविल न्यायालय के अंतिम निर्णय तक रोक दी जायेगी। धारा-6(7) की अंतिम पंक्तियों में स्पष्टः अंकित है कि "Collector ***shall*** stay the proceedings before him"

उक्त पंक्ति में "shall" शब्द अंकित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि कलक्टर को सिविल न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक अपने समक्ष की कार्यवाही रोकनी ही होगी। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प कलक्टर के पास उपलब्ध नहीं है।

10– इस प्रकरण में जिला कलक्टर, जयपुर के समक्ष Escheat proceeding लंबित रहने के दौरान अपीलार्थीगण दावेदारों द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रोबेट याचिका test case no. 26/1987 पेश की गई है। उक्त प्रोबेट याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनांक 3–7–2012 को खारिज करते हुए निस्तारित की गई तथा इसी निर्णय को आधार मानते हुए योग्य जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–2–2016 पारित किया गया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 3–7–2012 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा पुनः तीन भिन्न–भिन्न अपीलें पेश की गई हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड–पीठ के निर्णय दिनांक 11–7–2023 द्वारा Lord Northbook (जो कि खेतड़ी ट्रस्ट का ट्रस्टी है) के हक में प्रोबेट जारी की गई तथा FAO (OS) 348/2012 को स्वीकार किया गया एवं FAO (OS) 347/2012, FAO (OS) 211/2013 को सारहीन मानते हुए निस्तारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में प्रश्नगत वसीयत के संबंध में Lord Northbook के हक में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा प्रोबेट जारी की जा चुकी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या 6677/2019 संतहमत इमदबी को रेफर होने के पश्चात उक्त अपील में आदेश दिनांक 22–9–2022 पारित किया गया है। उक्त आदेश द्वारा राज्य सरकार को कुछ तथ्यों के संबंध में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही उक्त आदेश दिनांक 22–9–2022 के पृष्ठ संख्या–6 के तृतीय पैरा में निम्नानुसार अंकित किया गया है :–

"There is little doubt over the issue that if the probate of Will is granted or the cognates/agnates are able to establish their rights, the Escheat proceedings would really be void ab initio."

इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत वसीयत के संबंध में प्रोबेट जारी होने की स्थिति में Escheats proceeding प्रारंभतः शून्य हो जायेगी।

11– इस प्रकार इस प्रकरण में संबंधित कलक्टर के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि प्रश्नगत संपत्ति के दावेदारों द्वारा अपने अधिकारों के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यवाही की गई है। एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध यदि खण्ड पीठ के समक्ष कोई अपील की गई है तो वह भी continuity of suit ही मानी जायेगी।

अतः संबंधित कलक्टर से यह अपेक्षित था कि जब तक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित न किया गया हो तब तक उन्हें Escheats proceeding में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिये था। कोई भी निर्णय अंतिम तब माना जाता है जब या तो उसके विरूद्ध कोई अपील उपलब्ध न हो अथवा यदि अपील उपलब्ध हो तो वह प्रकरण अपील न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया गया हो अथवा अपील किये जाने के समय का अवसान हो गया हो तथा व्यथित पक्षकारों द्वारा कोई अपील न की गई हो, किन्तु इस प्रकरण में संबंधित खण्ड पीठ के समक्ष अपील लंबित थी, जिससे स्पष्ट है कि कलक्टर द्वारा व्यथित आदेश दिनांक 2-2-2016 पारित किये जाने के वक्त प्रोबेट कार्यवाही में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ था। अतः ऐसी स्थिति में संबंधित कलक्टर से अपेक्षित था कि Escheats proceeding में कोई अंतिम आदेश पारित करने के बजाय वह प्रोबेट कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित होने तक म्बीमंजे चतवबममकपदह की कार्यवाही को स्थगित रखते, किन्तु ऐसा न करने में संबंधित कलक्टर ने विधि एवं तथ्य संबंधी गंभीर त्रुटि कारित की है। अतः ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, जयपुर का आक्षेपित आदेश दिनांक 2-2-2016 अपास्त किये जाने योग्य है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6677/2019 के आदेश दिनांक 22-9-2022 के पृष्ठ संख्या-6 के तृतीय पैरा में दिये गये observation ***(There is little doubt over the issue that if the probate of Will is granted or the cognates/agnates are able to establish their rights, the escheat proceedings would really be void ab initio.)*** के अनुक्रम में प्रकरण में सम्बंधित जिला कलक्टर को प्रतिप्रेषित किये जाने की भी आवश्यकता नहीं है।

12- परिणामतः उपरोक्त समस्त अपीलें स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02-02-2016 अपास्त किया जाता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6677/2019 के आदेश दिनांक 22-9-2022 के पृष्ठ संख्या-6 के तृतीय पैरा में दिये गये observation ***(There is little doubt over the issue that if the probate of Will is granted or the cognates/agnates are able to establish their rights, the escheat proceedings would really be void ab initio.)*** के अनुक्रम में प्रकरण इस स्तर पर सम्बंधित जिला कलक्टर को प्रतिप्रेषित नहीं किया जाता है, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित उक्त सिविल अपील 6677/2019 के अंतिम निर्णय में यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित निष्कर्ष से भिन्न कोई निष्कर्ष लिया जाता है तो उक्त निर्णय के आलोक में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रकरण

का पुनः निस्तारण किया जायेगा तथा प्रकरण पुनः नंबर पर लेने की request राज्य सरकार द्वारा की जा सकेगी।

उक्तानुसार, हस्तगत तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावलियों में संलग्न की जाकर, पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविनाश चौधरी)	**(राजेश्वर सिंह)**
सदस्य	अध्यक्ष

पत्रिका विवरण

1. नाम	-	राविरा त्रैमासिक अंक -128
2. आकार	-	राविरा 6.2 X 9.2 इंच
3. मुद्रित प्रतियाँ	-	7500
4. प्रयुक्त कागज	-	(क) कवर कार्डशीट्स 300 जी.एस.एम. (ख) रंगीन पृष्ठ 110 जी.एस.एम. (ग) साधारण कागज (मेपलिथो) 80 से 90 जी.एस.एम.
5. प्रकाशक	-	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
6. मुद्रक	-	राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर
7. कवर पेज	-	4 पृष्ठ
8. रंगीन पृष्ठ	-	16 पृष्ठ
9. साधारण पृष्ठ	-	152 पृष्ठ

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/4569/2019/जयपुर

1– लल्लूलाल मीणा पुत्र श्री लादूराम मीणा निवासी ग्राम खोरा मीणा तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 4034 रास्ता मीठी कोठी सूरजपोल बाजार, जयपुर। (नाम तर्क) व अन्य

........अपीलाण्ट

बनाम

1– प्रभाती बेवा मंगलाराम जाति मीणा निवासी ग्राम डोडा चौड तहसील बस्सी जिला जयपुर व अन्य

.........रेस्पोडेंट्स

खण्ड पीठ

श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष

डा. महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता अपीलाण्ट।

श्री एन.के. यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–20.10.2023

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय दिनांक 27–03–2019 जो अपील सं0 667/2017 में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित किया गया के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट लल्लूलाल ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर मु0 जयपुर के समक्ष एक वाद बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खोरामीणा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 275 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/2, प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/10 व प्रतिवादी क्रम 04 हिस्सा 1/10 दर्ज रिकॉर्ड है। पक्षकारान अपने–अपने

हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण ने अविभाजित आराजी में रास्ते के लगते पक्का मकान बनाने के इरादे से दिनांक 09-03-2008 को गड्ढा खोदने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए वादी के हिस्से अनुसार विभाजन कर अलग से खात कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

3- प्रतिवादी क्रम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार कर वादी के वादपत्र को खारिज करने का कथन किया।

4- परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08-06-2016 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर विभाजन के प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। तत्पश्चात परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03-03-2017 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी।

5- परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर मु. जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03-03-2007 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27-03-2019 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03-03-2017 निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08-06-2016 की अनुपालना में पुनः तहसीलदार आमेर को निर्देश जारी करे कि वे स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए उनकी उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करे, तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः अंतिम डिक्री पारित करें।

6- अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-03-2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने मण्डल के समक्ष उक्त हस्तगत अपील पेश की।

7- अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पहले नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब अपीलान्ट अपने कब्जेशुदा भूमि पर बाजरे की फसल बुवाई करने के लिए गया तब रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नानगाराम व लालाराम द्वारा मना किया कि अब तुम उक्त विवादित भूमि को नहीं जोत सकते क्योंकि तुमने जो तकासमा उपखण्ड अधिकारी आमेर से करवाया था उसको हमने दिनांक 27-03-2019 को राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर से निरस्त करा दिया है जिस पर अपीलान्ट ने जानकारी कर अपीलाधीन निर्णय प्राप्त करने हेतु नकल का आवेदन प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील माननीय मण्डल के समक्ष पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2018 (1) आरआरटी पेज 601, आरबीजे (25) 2018 पेज 42 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

8- विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

9- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय कानून के विपरीत एवं पक्षपातपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना व बिना सम्मन नोटिस दिये एकतरफा निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की सम्यक पूर्वक तामील करवाई गई है जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करते रहे तथा परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 08-06-2016 को उभयपक्ष की बहस सुनकर ही प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तथा उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार आमेर स्वयं मौके पर जाकर पटवारी एवं गिरदावर के सहयोग से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे अवैध ठहराना न्यायोचित नहीं है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छुपाते हुए मिथ्या कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत की थी जिससे अपीलान्ट को अपील की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट का पता ग्राम खोरा मीणा लिख, जिस पर न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड एडी के नोटिस जारी किये गये, जबकि अपीलान्ट उक्त पते पर निवास ही नहीं करता है । इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट स्वयं ने अपने जवाब व प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में स्वयं ने माना है कि जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेन्ट ने तथ्यों को छुपाते हुए अपील प्रस्तुत कर एकतरफा निर्णय अपने पक्ष में करा लिया। अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के यहाँ प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की अपील संख्या 353/2016 प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपीलान्ट का पता लिखा था वह सही था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कतई गौर नहीं किया कि उक्त अपील प्रभाती पत्नी मंगलराम द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिस पर अपीलान्ट प्रभाती ने न तो अपील पर हस्ताक्षर किये न ही अंगूठा निशानी की है और न ही अपीलान्ट संख्या 02 के उक्त अपील पर हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट क्रम 1 व 2 के द्वारा बिना हस्ताक्षर अपील प्रस्तुत की गई थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखी थी जिसमें अपीलान्ट उपस्थित रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट को प्रोपर नोटिस तामील नहीं हुए है और अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय में स्वयं पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 27-12-2016 को क्रमांक 8474-75 की पालना में पक्षकारों को अदालती नोटिस भिजवाये जिनको जमादार ने दिनांक 03-01-2017 को अपने हस्ताक्षरों एवं तहसीलदार को प्रेषित किया गया तथा दिनांक 11-01-2017 को चस्पांगी की रिपोर्ट नोटिस संलग्न किये हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह मानने में गंभीर त्रुटि की है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर नहीं जाकर रिपोर्ट तैयार की है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि तहसीलदार आमेर के आदेश दिनांक 09-01-2017 व 30-01-2017 को अपने अधीनस्थ कर्मचारी भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया गया था कि वे पक्षकारों को सूचित करके कि तहसीलदार आमेर दिनांक 06-02-2017 को स्वयं व पटवारी हल्का गिरदावर के साथ मौके पर खसरा नम्बर 275 का विभाजन हेतु मौका निरीक्षण किया जावे। जिसके सम्बन्ध में भू-अभिलेख निरीक्षक अचरोल द्वारा पक्षकारों को दिनांक 03-02-2017 को नोटिस जारी किये गये, के पश्चात् दिनांक 06-02-2017 को स्वयं तहसीलदार आमेर हल्का पटवारी व गिरदावर को साथ लेकर प्रश्नगत आराज़ी पर उपस्थित होकर मौका निरीक्षण करके पटवारी हल्का व गिरदावर की सहायता से कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारों के कब्जे काश्त को ध्यान में रखकर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार की गई जिस पर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया जिस पर तहसीलदार ने अपने हस्ताक्षरों से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार पर परीक्षण न्यायालय को भिजवाई गई।'' इन सब तथ्यों को नजरअन्दाज कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शों को देखने मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी संख्या

1 लगायत 3 रेस्पोडेन्ट को आराजी के मुख्य फ्रन्ट पर उसके हिस्से के अनुसार खसरा नम्बर 275/4 में 0.24 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 275/1 प्रतिवादी के मकानात व कब्जे को ध्यान में रखकर दिया गया है, शेष रकबा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निर्णित करना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम के बिन्दु पर किसी प्रकार का कोई विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। उपुर्यक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-03-2019 निरस्त फरमाया जाकर परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर मु0 जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 92/2008 उनवानी लल्लू बनाम नानगराम व अन्य में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03-03-2017 यथावत रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे (26) 2019 पेज 276, आरबीजे (29) 2022 पेज 715, आरआरटी 2021 (2) पेज 1250, आरआरटी 2021 (2) पेज 1253, आरआरटी 2022-23 (सप्ली0) पेज 148 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

10- विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष उक्त वाद बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें अपीलान्ट ने अपना आवासीय पता अपीलीय न्यायालय के समक्ष दर्ज पते के समान ही दर्ज किया है किन्तु फिर भी अपीलान्ट ने जानबूझकर न्यायालय को मुगाता आमेज कर अपने स्वयं द्वारा दर्ज करवाये गये आवासीय पते के विपरीत जाकर अपील में तथाकथित गलत पता 4034 रास्ता मिठी कोठी सुरजपोल बाजार जयपुर सआशय पूर्वक अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करने के उद्देश्य से अपने पुत्र का पता दर्ज किया है, जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष किसी दस्तावेज अथवा अभिवचनों में उक्त पता कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष झूठे कथन कर उक्त अपील अवधि बाधित पेश की है । अपीलान्ट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित, पर्याप्त एवं संतोषप्रद नहीं हैं। कानूनन धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी के प्रत्येक दिन का युक्ति-युक्त कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, परन्तु अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किये हैं। आरआरटी 2016 पेज 1110 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि लापरवाह पक्षकार के

कृत्य से लचीला रूख अपनाते हुए दूसरे पक्षकार के अधिकार किसी भी सूरत में समाप्त नहीं किये जा सकते और पूर्ण-रूपेण तथ्य को छिपाते हुए पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर किसी भी पक्षकार द्वारा अभिवचन दर्ज किये जाते हैं तो वह किसी भी अवस्था में लचीले रूख का तात्पर्य नहीं है । न्यायालय को पक्षकारों द्वारा अभिवचित दर्ज अभिवचनों तथा उनके व्यवहार पर भी अभिवचनों के माध्यम से गौर किये जाने का कानूनी प्रावधान है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 08-06-2016 को प्रारंभिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार आमेर को आदेशित किया था कि ग्राम खोरा मीणा स्थित आराजी खसरा नं0 275 रकबा 0.35 है0 का विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मय नक्शा आगामी नियत दिनांक से पूर्व भिजवाए। तहसीलदार आमेर द्वारा दिनांक 28-02-2017 को कुरेजात रिपोर्ट परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिसपर वादी के वकील को सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 03-03-2017 के द्वारा अंतिम डिक्री पारित कर दी। तहसीलदार आमेर ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री की पालना नहीं कर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करवाई है। तहसीलदार न तो स्वयं मौके पर गए एवं पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाकर उस पर काउन्टर हस्ताक्षर कर रिपोर्ट परीक्षण न्यायालय को प्रेषित कर दी गई। पटवारी हल्का द्वारा भी रेस्पो0 को मौके पर उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किए गए। उक्त रिपोर्ट मौके पर पक्षकारान के कब्जे को ध्यान में रखे बिना तैयार की गई है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने विभाजन नियम 18 से 21 की पालना किए बिना अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-03-2019 बहाल रखा जावे। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2006-2007 आरआरटी पेज 552, आरआरटी 2013 पेज 1235, आरबीजे 2013 पेज 687, आरआरटी 2016-17 (सप्ली0) पेज 711, आरआरटी 2019 पेज 1410, आरआरटी 2021 पेज 469, आरबीजे 2017 पेज 299, आरआरटी 2021 पेज 1318, आरआरटी 2007 पेज 1316, एससीसी 2007(2) पेज 322, एससीसी 2005 पेज 3460, एआईआर 1998

(एससी) पेज 2276, एआईआर 2004 (एससी) पेज 1508, आरआरटी 2015 पेज 232, सीसीसी 2015 (सप्ली0) पेज 511, आरआरटी 2015 पेज 811 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

11– हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से अपील पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध अपीलाधीन निर्णयों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। हमने सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपीलाण्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण दर्शित किए हैं वह संतोषजनक, पर्याप्त प्रतीत होते हैं, क्योंकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपीलाण्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाना हम न्यायहित में उचित समझते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाना हो तो ऐसे प्रकरणों में मियाद के बिंदु पर नरमी का रूख अपनाते हुए गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है।

12– वादी/अपीलान्ट लल्लूलाल ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर मु0 जयपुर के समक्ष एक वाद बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने का कथन किया। प्रतिवादी क्रम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार कर वादी के वादपत्र को खारिज करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08-06-2016 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर विभाजन के प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी । तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03-03-2017 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी । परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर मु0 जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03-03-2007 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,

जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27-03-2019 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03-03-2017 निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-03-2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने मण्डल के समक्ष उक्त हस्तगत अपील पेश की। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी उक्त अपील के साथ प्रतिवादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किए जाने का कथन किया था प्रतिवादी रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपना कोई विवेचन/विश्लेषण किए बिना सीधे ही निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। किसी भी न्यायालय के समक्ष अपील के साथ यदि धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो उसका विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक होता है। आरबीजे 2019 पेज 276 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिमत दिया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-धारा 88, 223-अपीलेट प्राधिकारी वाद के गुणावगुण पर विचार करने के पहले मियाद के बिन्दु पर पहले निर्णय करें। जब अपील मियाद में मानी जाती है तब वह गुणावगुण के बारे में देख सकते हैं। आरबीजे 2022 पेज 714 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि जिस अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र लंबित हो, सर्वप्रथम उसका निस्तारण किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के पश्चात् ही अपील का गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना होता है। आरआरटी 2021(2) पेज 1250 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो और राजस्व अपील प्राधिकारी ने धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश किए बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। हमने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियां

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को सर्वप्रथम प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष/विवेचन पारित कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 पर किसी प्रकार का निर्णय पारित किए बिना सीधे ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

13– परिणामतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–03–2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष दिनांक 28–11–2023 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड दिनांक 28–11–2023 से पूर्व लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/1067/2022/जयपुर

1- छीतरमल शेरावत पुत्र स्व0 श्री रामदेव शेरावत जाति जाट निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर व अन्य

........अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी कन्हैयालाल व अन्य

........रेस्पोंडेन्ट

खण्ड पीठ

श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष

डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः-

श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अधिवक्ता अपीलाण्ट।

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पो संख्या 1 की ओर से।

श्री लालचन्द जाट, अधिवक्ता रेस्पो संख्या 3 की ओर से।

श्री प्रदीप बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो संख्या 3, 5 व 6 की ओर से।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः-03.11.2023

1- यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरुद्ध निर्णय दिनांक 25-02-2022 जो अपील सं0 313/2021 में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित किया गया के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलाण्ट ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर जिला जयपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 09 के संयुक्त खातेदारी व स्वामित्व की ग्राम मांचवा तहसील व जिला जयपुर में खसरा नं0

613 रकबा 04 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 748 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नं0 597 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 01 लगायत 09 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपने-अपने हिस्से पर मनबट के आधार पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण को अधिकार प्राप्त हैं कि वे विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन करवाए तथा पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक लगान कायम करवाए। अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी का तकासमा मौके पर कब्जे अनुसार या अल्टरनेटिवली बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराया जावे तथा वादीगण के हिस्से में आई हुई भूमि का अलग से संयुक्त खाता कायम किया जावे एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 का अलग से खाता कायम किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें एवं न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

3- दिनांक 20-12-2019 को प्रतिवादी क्रम 1, 3 लगायत 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लालचंद जाट ने वकालत नामा पेश किया।

4- परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07-04-2021 के द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रारंभिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार जयपुर को आदेषित किया कि वह राजस्व ग्राम मांचवा पटवार हल्का माचवा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवा तहसील जयपुर जिला माचवा की सरहद में स्थित आराजी खसरा नं0 748 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 613 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं0 597 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा का तकासमा सभी पक्षकारों की मौजूदगी में राजस्व विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर व कब्जे अनुसार कुरेजात रिपोर्ट में नक्शे के तीन प्रतियों में नियत तारीख पेशी दिनांक 05-05-2021 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णयानुसार प्रारंभिक डिक्री जारी हो।

5- परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07-04-2021 से व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट

ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील पेश की जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25-02-2022 के द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज कर दी।

6- अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-02-2022 से व्यथित होकर वादीगण अपीलाण्ट ने मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की।

7- विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

8- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व विक्रय पत्र में अंकित तथ्यों तथा कालांतर में अन्य सह-कृषकों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों अर्थात रेस्पो0 को किए गए विक्रय पत्रों तथा उनमें से कुछ रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादोत्तर में अंकित अभिवचनों पर अपना न्यायिक विवेक लगाकर कोई निष्कर्ष अंकित किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि विभाजन के वाद में यदि वादी एवं प्रतिवादी द्वारा किसी विशिष्ट भू-भाग को क्रय किया गया है और उक्त हस्तांतरण के संबंध में दूसरे सह-कृषकों को कोई आपत्ति नहीं है अर्थात जो सह कृषक जिस स्थान पर किसी विक्रय पत्र के अधीन काबिज हो उस स्थान को प्राथमिकता से उसके हिस्से में समायोजित करते हुए विभाजन के द्वारा उसकी स्वतंत्र खातेदारी में अंकित किया जाना चाहिए। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा विभाजन के सम्बंध में प्रतिपादित किए गए नियम 18 से 21 में भी यही व्यवस्था दी है जो कि बाध्यकारी है किन्तु फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के इस सुस्थापित सिद्धान्त एवं बाध्यकारी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए विधि के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। वादी/अपीलाण्ट के पूर्वज स्व0 श्री रामदेव ने लगभग 50-55 वर्ष पूर्व विवादित भूमियों को क्रय किया था तब से ही वादीगण अपीलाण्ट निरंतर अपने क्रय किए गए भू-भाग पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने अपने-अपने हक हिस्से अनुसार विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण कर लिए हैं और अपने द्वारा क्रय किए गए तथा निर्माण किए गए भू भाग पर काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने

निर्णयों में उल्लेखित किया है कि 55 वर्ष पूर्व किए गए विक्रय पत्र में विशिष्ट भू–भाग को क्रय विक्रय करने का अधिकार नहीं था इसलिए विभाजन के वाद में प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री सरस नरस के आधार पर ही पारित की जावेगी तथा कब्जे को प्राथमिकता नहीं दी जावेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किए हैं जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपीलाण्टगण के पूर्वजों के हित विक्रय पत्र का निष्पादन करते समय विवादित भूमि के तीन ही खातेदार काश्तकार थे जिनमें से तीनों ही खातेदारों ने अपने नाम अंकित भूमियों में से अपने–अपने हिस्से को विक्रय कर भूमि का कब्जा काश्त संभलाया था। वादीगण/अपीलाण्ट विगत 55 वर्षों से उसी स्थान पर काबिज काश्त है। इसी प्रकार रेस्पो0 ने अपने नाम अंकित हिस्से में से कुछ और भूमियों का बेचान अन्य व्यक्तियों को किया है जो अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। इस वजह से अब भूमि को भौतिक रूप से किसी अन्य प्रकार से विभाजन के वाद में विभाजित किया जाना असंभव है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व लैण्ड होल्डर अर्थात तहसीलदार की सहमति आवश्यक थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने लैण्ड होल्डर तहसीलदार से जवाब प्राप्त किए बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया। विधि का सुस्थापित एवं बाध्यकारी प्रावधान है कि जब वादी के वाद का प्रतिवादीगण द्वारा कन्टेस्टिंग जवाब दिया जाता है तो उक्त वाद का निस्तारण विधिवत तनकी कायम कर पक्षकारों की साक्ष्य सबूत प्राप्त कर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिए किंतु परीक्षण न्यायालय ने विधि के उक्त बाध्यकारी प्रावधान पर अपना न्यायिक विवेक लगाए बिना अवैध रूप से पक्षकारों से साक्ष्य सबूत प्राप्त किए बिना ही अवैध रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णयों में कोई विधिसम्मत निष्कर्ष पारित नहीं किए हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक निष्कर्ष पारित किए बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–02–2022 तथा सहायक कलेक्टर जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07–04–2021 निरस्त फरमाये जाकर पत्रावली को तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों के दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अभिलिखित कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

9– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अभिभाषक अपीलाण्ट के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादी/अपीलाण्ट भैरूलाल शेरावत व छीतरमल शेरावत पि0 रामदेव की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जिस पर दिनांक 23–03–2021 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक डिक्री जारी करने के निवेदन के साथ अपने हस्ताक्षर भी किए। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी कब्जे को प्राथमिकता देते हुए प्रारंभिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया। तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर कब्जे के आधार पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु प्रारंभिक डिक्री पारित की। वादीगण अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जिसमें वादीगण ने विवादित भूमि को शामलाती भूमि मानते हुए वाद प्रस्तुत किया था। वादी ने वादपत्र की मद संख्या 02 में वादी एवं प्रतिवादीगण को विवादित भूमि का संयुक्त रूप से मालिक व स्वामी अंकित किया है तथा वाद पत्र की मद संख्या 04 में शामलाती भूमि मानते हुए मौके व कब्जे काश्त के अनुसार अल्टरनेटिवली बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करने का तथ्य अंकित किया है जिसमें अंकित किया गया है कि ''विवादग्रस्त भूमि का तकासमा मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार या अल्टरनेटिवली बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराया जावे तथा वादीगण की भूमि का अलग से संयुक्त खाता कायम किया जावें एवं प्रतिवादीगण क्रम 01 लगायत 09 का अलग से खाता कायम किया जावे।'' वादीगण का वाद विभाजन का होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 23–03–2021 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु वादीगण के अभिभाषक एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा सहमति प्रदान की गई। ऐसी अवस्था में जब कोई विवाद ही शेष नहीं रहा तो विचारण न्यायालय ने वादीगण/अपीलाण्ट का वाद डिक्री कर दिया। जिसमें परीक्षण न्यायालय ने वादीगण की प्लीडिंग को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय में अंकित किया है कि ''तकासमा सभी पक्षकारान की मौजूदगी में राजस्व विभाजन नियम 18–21 की पालना करते हुए व बाई मिट्स व बाउण्ड्स के आधार पर कब्जे अनुसार कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों में नियत तारीख पेशी दिनांक 05–05–2021 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की सहमति के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया गया है जिसके विरुद्ध

अपीलाण्ट को आपत्ति करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन वादी/अपीलाण्ट ने दुर्भाग्य से विधिक प्रावधानों के विपरीत न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है जो खारिज किए जाने योग्य है। धारा 96(3) No appeal shall lie from a decree passed by the Court with the consent of parties. ऐसी स्थिति में जब प्रथम अपील ही चलने योग्य नहीं है तो द्वितीय अपील लाई नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। आरआरडी 1986 पेज 10 में प्रावधान किया गया है कि कोर्ट की आर्डर शीट है व कन्क्ल्यूजिव है। यह निर्णय एआईआर 1982 एससी पेज 1249 स्टेट महाराष्ट्र बनाम रामदास श्रीनिवास नायक के आधार पर पारित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मण्डल के समक्ष चलने योग्य नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा एक ही निर्णय दिया गया है अर्थात कॉनकरण्ट फाइण्डिंग है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई भी आधार अपील मीमों में नहीं है जिससे कॉनकरण्ट फाइण्डिंग में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने एआईआर 2001 एससी पेज 341, आरआरटी 2007(2) पेज 1266, आरआरटी 2008 (2) पेज 1002, आरआरटी 2009 (1) पेज 540 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलाण्ट प्रभावित नहीं है अर्थात न तो उसका हिस्सा कम किया गया है और न ही समाप्त किया गया है। जिस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय किया गया है तथा उसके विरूद्ध कोई आदेश नहीं है तो उसे अपील करने का अधिकार नहीं है। एआईआर 1974 राज० एचसी० पेज 21 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि That substantial question of law is the sine qua non (an essential condition) for exercise of jurisdiction under the provisions of second appeal. AIR 2004 SC Pg. 1913, एआईआर 2003 कान्ट पेज 242 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 15 नियम 1 के अनुसार पक्षकारान में विवाद नहीं रहने पर कोर्ट को यह अधिकार है कि वह निर्णय पारित करें तथा इस निर्णय के लिए आदेश 20 की पालना भी आवश्यक है। इसी प्रकार यदि प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा या विवादित तथ्य हटा लिये जाते हैं तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार है कि वह आदेश 15 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार निर्णय पारित कर सके। सह खातेदारी की भूमि में से किसी सहखातेदार द्वारा केवल अपने हिस्से तक ही विक्रय किया जा सकता है विशिष्ट भू भाग का विक्रय करने का अधिकार किसी भी सह खातेदार काश्तकार को नहीं है

जब तक कि विधिवत विभाजन नहीं करवाया गया हो। धारा 224(2) के प्रावधानों के अनुसार सहमति के आधार पर पारित किये गये विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा बहाल रखा गया हो के विरुद्ध द्वितीय अपील संधारणीय नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-02-2022 एवं परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07-04-2021 को बहाल रखा जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1975 इल्हा0 पेज 113 एससी0, एआईआर 1994 ए0पी0 पेज 301, एआईआर 2004 एनओसी पेज 26 ऑल, आरआरटी 2007 (2) पेज 1110 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

10- हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से अपील पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध अपीलाधीन निर्णयों का अवलोकन किया गया तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबंद सम्वत 2072-75 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मांचवा में खाता संख्या नया 269 में खसरा संख्या 613 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि रामदेव पुत्र भुवाना हि0 2/9, प्रभातीलाल, सोहनलाल, जगदीश प्रसाद पि0 रामनाथ हि0 1/5, बिला रहन रतनलाल पुत्र रामनाथ हि0 1/15, कन्हैयालाल पुत्र झूंथा हि0 1/9, मांगीलाल पुत्र झूंथा हि0 1/3, राहिन इल्हाबाद बैंक हाथोज मुर्तहिन, लालचंद पुत्र रामनाथ हि0 1/15 राहिन राज0 मरुधरा बैंक शाखा कालवाड जाति जाट सा. देह के खातेदारी में दर्ज है। खाता संख्या नया 272 में खसरा नं0 748 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि रामदेव पुत्र भुवाना हि0 1/2, प्रभातीलाल, जगदीश प्रसाद पि0 रामनाथसिंह 1/15, मांगीलाल पुत्र झूंथा हि0 1/6, कन्हैयालाल पुत्र झूंथा हि0 1/6, रतनलाल पुत्र रामनाथ हि0 1/30, लालचंद पुत्र रामनाथ हि0 1/30, सोहनलाल पुत्र रामनाथ हि0 1/30 के खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 273 में आराजी खसरा नं0 597 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा भूमि रामदेव पुत्र भुवाना हि0 1/6, मांगीलाल पुत्र झूंथा हि0 816/2316 दर हि0 1/6 प्रभातीलाल, जगदीशप्रसाद पि0 रामनाथ हि0 2/15 बिला रहन कन्हैयालाल पुत्र झूंथा हि0 1/3 रतनलाल पुत्र रामनाथ हि0 1/15 राहिन इलाहाबाद बैंक शाखा हाथोज मुर्तहीन लालचंद पुत्र रामनाथ हि0

1/15 के खातेदारी में दर्ज है।

11- वादीगण/अपीलाण्ट ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर जिला जयपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 09 के संयुक्त खातेदारी व स्वामित्व की ग्राम मांचवा तहसील व जिला जयपुर में खसरा नं0 613 रकबा 04 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 748 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नं0 597 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 01 लगायत 09 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपने-अपने हिस्से पर मनबट के आधार पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन करवाए तथा पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक लगान कायम करवाए। अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी का तकासमा मौके पर कब्जे अनुसार या अल्टरनेटिवली बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराया जावे तथा वादीगण के हिस्से में आई हुई भूमि का अलग से संयुक्त खाता कायम किया जावे एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 का अलग से खाता कायम किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें एवं न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। दिनांक 20-12-2019 को प्रतिवादी क्रम 1, 3 लगायत 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लालचंद जाट ने वकालतनामा पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07-04-2021 के द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रारंभिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार जयपुर को आदेशित किया कि **''राजस्व ग्राम मांचवा पटवार हल्का माचवा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवा तहसील जयपुर जिला माचवा की सरहद में स्थित आराजी खसरा नं0 748 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 613 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं0 597 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा का तकासमा सभी पक्षकारों की मौजूदगी में राजस्व विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर व कब्जे अनुसार कुरेजात रिपोर्ट में नक्शे के तीन प्रतियों में नियत तारीख पेशी दिनांक 05-05-2021 से पूर्व भिजवाया जाना**

सुनिश्चित करें। निर्णयानुसार प्रारंभिक डिक्री जारी हो।'' परीक्षण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री पारित की है परंतु प्राथमिक डिक्री में पक्षकारान के कोई हिस्से आदि निर्धारण नहीं किए हैं, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते समय समस्त सहखातेदार जो राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से सहखातेदार है के मध्य उनके हिस्से निर्धारण कर, उन हिस्सों पर लगान का भी निर्धारण किया जाना होता है, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने सीधे ही तहसीलदार जयपुर को आदेशित किया है कि ''वे विवादित आराजी का तकासमा सभी पक्षकारान की मौजूदगी में राजस्व विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर व कब्जे के अनुसार कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 05-05-2021 से पूर्व भिजवाए।'' इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा जो प्रारंभिक डिक्री में आदेश पारित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है क्योंकि परीक्षण न्यायालय को पहले जो राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार हैं उनके हिस्सों का निर्धारण किया जाना चाहिए था उसके बाद ही कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को आदेशित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना किए बिना सीधे ही तहसीलदार जयपुर से कुरेजात रिपोर्ट मंगवाए जाने के आदेश पारित कर दिए जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होते हैं।

12- मण्डल के समक्ष रेस्पोडेन्टगण ने लिखित बहस पेश की जिसमें उन्होंने बिन्दु संख्या 03 में कथन किया है कि **''वादीगण ने सम्पूर्ण वादपत्र में विवादग्रस्त भूमि को शामलाती कृषि भूमि होने के आधार पर कब्जा काश्त या बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जिसको परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति के आधार पर डिक्री फरमा दिया है। वादी की सहमति से डिक्री किए गए वाद के विरुद्ध मण्डल के समक्ष अपील विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।''** विद्वान अभिभाषक रेस्पो० द्वारा किया गया उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है। चूंकि परीक्षण न्यायालय में वाद संख्या 31/2018 में प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस वाद संख्या 29/19 को समेकित किए जाने की प्रार्थना की थी जिस पर परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12-01-2021 के द्वारा दोनों वादों को समेकित करने का आदेश पारित किया। प्रतिवादीगण द्वारा वाद संख्या 31/2018 में ही जवाबदावे पेश किए गए हैं क्योंकि दोनों वादों को

परीक्षण न्यायालय द्वारा समेकित करने के आदेश पारित कर दिए गए थे। हमने परीक्षण न्यायालय की आदेश संचिका का अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय की आदेश संचिका दिनांक 23-03-2021 के अनुसार प्रतिवादी अधिवक्ता व वादी अधिवक्ता ने वाद को पी0डी0 करने हेतु सहमति दी। परीक्षण न्यायालय ने वास्ते आदेश दिनांक 07-04-2021 को आगामी तारीख़ पेशी नियत कर दी। परीक्षण न्यायालय की आदेश संचिका पर वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं जिसमें पी.डी. जारी करने का अंकन किया गया है। इसके अलावा कोई राजीनामा अथवा सहमति पत्र परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। **उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा पी0डी0 जारी करने हेतु सहमति दी गई है परंतु पी0डी0 राजीनामे अथवा लिखित में किसी प्रकार की कोई सहमति जिसमें सहमति के आधार पर अपने हिस्सों का निर्धारण किया गया हो के बिना केवल पी0डी0 जारी करने का अंकन करते हुए अपने हस्ताक्षर किए गए हैं।** विद्वान अभिभाषकगण द्वारा आदेश संचिका पर पी0डी0 जारी करने के निवेदन को यह नहीं माना जा सकता कि परीक्षण न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा प्रतिपादित विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखे बिना केवल प्रारंभिक डिक्री ही पारित करें। परीक्षण न्यायालय को प्राथमिक डिक्री पारित करते समय प्रत्येक पक्षकार/सहखातेदार के हिस्सों का निर्धारण करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिए थी। इसके अलावा रेस्पोडेण्टगण ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि धारा 224 (2) के प्रावधानों के अनुसार सहमति के आधार पर पारित किए गए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा बहाल रखा गया हो के विरुद्ध द्वितीय अपील संधारणीय नहीं है और अपील खारिज किए जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्टगण द्वारा किया गया उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करते हुए परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरे से पूर्व पैरा में अंकित किया है कि **''वकील वादी ने प्रकरण में प्रारंभिक डिक्री पारित किए जाने हेतु निवेदन किया व आदेशिका में हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दी। दिनांक 23-03-2021 को वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता ने वाद में प्रारंभिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया इस बाबत् उन्होंने आदेशिका में हस्ताक्षर भी किए।''** परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सहमति का तथ्य अंकित किया है वह विधिक प्रावधानों अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत

स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार विभाजन के वाद में न्यायालय प्रारंभिक डिक्री पारित करता है तो वह सहमति के आधार पर हो अथवा असहमति के आधार पर हो उसमें विधिक प्रावधानों के अनुसार पक्षकारान के हिस्सों का निर्धारण किया जाना आवश्यक होता है, हिस्सों का निर्धारण किए जाने के पश्चात् ही पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जाती है जिसमें कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए कुरेजात रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की जाती है। प्रारंभिक डिक्री कब्जे के आधार पर नहीं होती है। प्रारंभिक डिक्री में न्यायालय को पक्षकारान के हिस्से तय करना आवश्यक होता है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा जो प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है वह विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07-04-2021 को बहाल रखा गया है जो त्रुटिपूर्ण है। हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु एवं पक्षकारों के हिस्से तय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। हमने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से भिन्न है।

13- परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-02-2022 एवं परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07-04-2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वर्तमान राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी में दर्ज पक्षकारान के हिस्से अनुसार प्रारंभिक डिक्री पारित करे। तत्पश्चात् विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की जावे। यदि पक्षकारान प्रारंभिक डिक्री पारित करने में सहमत हो तो उनसे इकबालिया जवाबदावा प्राप्त कर सहमति के आधार पर डिक्री पारित की जावे। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक

04-12-2023 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड दिनांक 04-12-2023 से पूर्व लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. महेन्द्र लोढ़ा)	**(राजेश्वर सिंह)**
सदस्य	अध्यक्ष

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

1. अपील डिक्री/टी.ए./6458/2011/चित्तौड़गढ़

उगम बाई बनाम मनोहरलाल व अन्य

2. अपील डिक्री/टी.ए./6457/2011/चित्तौड़गढ़

उगम बाई बनाम मनोहरलाल व अन्य

खण्डपीठ

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित

श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता अपीलांट्स।

श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक रेस्पो0।

निर्णय

1- अपीलांट द्वारा यह दोनों अपीलें अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ दिनांक 29-07-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त दोनों प्रकरण में विवादित आराजी, पक्षकार एवं वाद की विषय-वस्तु एक समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक-पृथक संलग्न की जावें।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो. ने अपील मीमों में अंकित विवादित आराजी बाबत एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 10-03-1981 को प्रारंभिक डिक्री एवं दिनांक 02-02-1982 को अंतिम डिक्री पारित की। तत्पश्चात इसी विवादित आराजी के संबंध में एक नया वाद पुनः प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद अपीलांट/प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया कि भूमि का बंटवारा पूर्व में ही हो चुका है तो ऐसी स्थिति में उसी भूमि के संबंध में खातेदार क्रेता को नया वाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित आराजी का आबादी में रूपांतरण करवा लिया गया है तथा अपीलांट के हक में कथित भूमि के बाबत आबादी का पट्टा भी जारी कर

दिया गया है। आबादी भूमि के संबंध में कोई भी वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं होता। अतः वादी का वाद खारिज किया जाये। परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को अपने निर्णय दिनांक 11-09-2008 से स्वीकार करते हुये वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध वादी/रेस्पो द्वारा एक अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29-07-2011 से स्वीकार करते हुये प्रकरण का पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील प्रकरण में सुनी गयी।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि जब विवादित आराजी को कृषि से अकृषि भूमि में रूपांतरण कर दिया गया तथा उस रूपांतरण को आज तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि विवादित आराजी आबादी की भूमि है तथा जमाबंदी में भू-प्रबंध विभाग द्वारा गलत इन्द्राज हो जाने से भूमि पुनः कृषि भूमि नहीं हो जाती। विवादित भूमि आबादी की भूमि है इसलिए विवादित आराजी के संबंध में कोई भी वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं होता। परीक्षण न्यायालय ने उक्त संबंध में उचित निर्णय पारित किया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से अपास्त कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0/वादी ने अपने आप को विवादित आराजी का खरीददार कहकर दावा पेश किया। जब भूमि का विक्रेता ही कथित भूमि का खातेदार काश्तकर नहीं है क्रेता अपने आप को खातेदार काश्तकार कैसे साबित कर सकता है। इसलिये उसी भूमि बाबत दोबारा वाद पेश नहीं किया जा सकता। परंतु अपीलीय न्यायालय ने दावा बार्ड बाय लॉ मानते हुए अपील को स्वीकार कर लिया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0 को वाद पेश करने का अधिकार नहीं था क्योंकि उसके हक में किया गया विक्रय पत्र द्वितीय विक्रय पत्र कहलायेगा एवं द्वितीय विक्रय पत्र एबईनिश्योवोईड होता है एवं वोईड विक्रय पत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अधिकार एवं टाइटल प्राप्त नहीं होता इसलिये परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद विधिक रूप से निरस्त किया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजी को अवैध रूप से क्रय

किया है और गलत रूप से ही राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया हैं। वादग्रस्त भूमि में वादी/रेस्पो० का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को विधिसम्मत रूप से स्वीकार किया था परंतु अपीलीय न्यायालय ने अपने विधि विरुद्ध आदेश से उसे खारिज कर दिया जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2023 (2) आर०आर०टी० पेज 941, 1975 आर०आर०डी० पेज 190, 2017 डी०एन०जे० (एस०सी०) पेज 832, 2017 (2) आर०आर०टी० पेज 1037, 2021 (4) डी०एन०जे० पेज 1204, 2022 (4) डी०एन०जे० (एच०सी०) पेज 1327, 2009 डी०एन०जे० (एस०सी०) पेज132, 2023 (3) डी०एन०जे०(एस०सी०) पेज 831 इत्यादि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पो० ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी/रेस्पो० ने वाद घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था। जिसमें प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करके सीधे ही प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० इन आधारों पर प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण द्वारा क्रय कर लेने, खातेदारी इन्द्राज होने एवं जिला कलेक्टर द्वारा भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक रूपांतरण हो जाने आदि तथ्यों के आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से अपास्त किया जाये। जबकि परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2060-63 में विवादित भूमि वादी/रेस्पो० के सहखातेदारी में अंकित होना और वादी/रेस्पो० द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा भूमि क्रय किये जाने से नामांतरकरण संख्या 1278 वादी/रेस्पो० के नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार के तौर पर दर्ज है। इस तथ्य से यह स्पष्ट था कि वादी/रेस्पो० के पास वाद पेश करने के ठोस आधार उपलब्ध है। परंतु परीक्षण न्यायालय ने बिना जवाबदावा एवं साक्ष्य के आधार पर वादी के वाद को केवल मात्र प्रार्थना पत्र में अंकित आधारों पर वाद को खारिज कर दिया जो पूर्णतः विधि विरुद्ध था जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करते हुये प्रकरण को पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये दावे का निर्णय करे। अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्ज्युडीकेटा का बिंदु तथ्य एवं कानून का मिश्रित प्रश्न होने से इसे साक्ष्य में ग्राह्य करना आवश्यक था। वादग्रस्त भूमियों के बारे में प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा आबादी, व्यवसायिक रूपांतरित होने का प्रश्न भी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जिसके आधार पर वादी ने वाद पेश किया है, के संबंध में उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरांत ही निर्णित किया जा सकता है। वादी/रेस्पो० का पंजीकृत विक्रय पत्र का शून्य होना एवं पूर्व के विक्रय पत्र आदि के साक्ष्य में प्रदर्श एवं

प्रमाणित करवाये बिना इस निष्कर्ष पर पहुंचना विधिसम्मत नहीं है। परंतु परीक्षण न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजअंदाज करते हुए अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को अपने विधि विरुद्ध आदेश से स्वीकार किया जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करते हुए प्रकरण अपने निर्णय में वर्णित निर्देशों के आधार पर प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2019 (2) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 764, 2018 डी0एन0जे0 (एस0सी0) पेज 470, 2012 डी0एन0जे0 (एस0सी0) पेज 734, 2009 आर0बी0जे0 पेज 387, 2010 आर0बी0जे0 पेज 589, 2000 आर0बी0जे0 पेज 289, 2019 डी0एन0जे0 (एस0सी0) पेज 1 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए हस्तगत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6- अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि:-

''प्रथम विक्रय पत्र व द्वितीय विक्रय पत्र का तथ्य, निर्णित वाद पत्रों के संदर्भ में वर्तमान इन्द्राज का प्रश्न, लम्बित इन्द्राज दुरस्ती आदि आवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में केवल कानूनी बिन्दु विवादित नहीं है, बल्कि तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न निहित है, जो वाद पत्र के जवाबदावा विवाद्यक व उभयपक्ष की साक्ष्य उपरान्त रेसज्युडिकेटा के प्रश्न का निर्णय होना विधिक आवश्यकता है। वादी अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय व्यवस्था आर0आर0टी0 2010 पेज 89 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह मत प्रतिपादित किया है किरेसज्युडिकेटा का विवाद्यक तथ्य व विधि का मिश्रित विवाद्यक है, जिससे आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना साक्ष्य लिये निर्णित नहीं किया जा सकता है। आर0आर0टी0 2007 पेज 36 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि तथ्य एवं विधि के प्रश्न पर बिना वाद बिन्दु विरचित किये तथा साक्ष्य लिये निर्णित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 2002 पेज 428 में माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि रेसज्युडिकेटा के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण से जवाबदावा लेकर विवाद्यक कायम कर साक्ष्य के उपरान्त निर्णय करना उचित माना है। आर0आर0टी0 2010 पेज 282 में माननीय उच्च न्यायालय ने रेसज्युडिकेटा का बिन्दु तथ्य व कानून का मिश्रित प्रश्न होने से इसे साक्ष्य से लेखबद्ध करना आवश्यक माना है। भूमि के बारे में प्रतिवादीगण द्वारा आबादी, व्यावसायिक प्रश्न भी वर्तमान का प्रश्न भी वर्तमान राजस्व इन्द्राज, जिनके आधार पर वादी ने वाद पेश किया है, के मुकाबले उभयपक्ष की साक्ष्य उपरान्त निर्णय का है। वादी का पंजीकृत विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य प्रारम्भ प्रभावी होना और पूर्व के विक्रय पत्र आदि के साक्ष्य में

प्रदर्श व प्रमाणित कराये बिना निष्कर्ष अंकन करना विधिसम्मत नही है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नही किया है, जबकि आर0आर0टी0 2009 पेज 230 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह मत प्रतिपादित किया है कि उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना विधि व तथ्यों का मिश्रित प्रश्न निहित होने पर प्रकरण उपरान्त निर्णय किया जाना उचित है । उक्त अनुसार विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार वाद निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है जिससे अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण है। फलस्वरूप यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतिवादी जवाबदावा लेकर विवाद्यक विरचित करने के पश्चात् से परन्तु करने का समुचित अवसर देकर विधिसम्मत निर्णय पारित होने से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। रूपान्तरित होने का है साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर विधिसम्मत निर्णय पारित करना अपेक्षित होने से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।''

7- हमने उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया।

8- इस प्रकरण की समस्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य विभिन्न राजस्व व सिविल न्यायालयों में वाद विचाराधीन रहे हैं। इसी प्रकार विवादित भूमि के संबंध में जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किये गये है उनकी विधिसंगतता के परीक्षण के लिए पक्षकारों की मौखिक व लिखित साक्ष्य अपेक्षित है। रेसज्यूडिकेटा के बिन्दु पर मंडल की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय 2009 (16) आर0बी0जे0पेज 387 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम भोमाराम व अन्य में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि -

Code of Civil Procedure , 1908- Order 7 Rule 11- Res-judicata is a mixed question of fact and law and can be decide only after framing of necessary issues and leading evidence.

9- इस स्थिति में अन्य विचाराधीन वादों व उनमें पारित निर्णयों के क्रम में पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर किसी प्रकार के विधिसंगत निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पक्षकारों की लिखित व मौखिक साक्ष्य आवश्यक होती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पूर्व न्याय का सिद्धान्त तथ्य व विधि का एक मिश्रित विवाद्यक बिन्दु होता है। इसके विधिसंगत निर्णय के लिए उभयपक्ष पक्षकारों की साक्ष्य आवश्यक होती है।

10- आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में निम्नानुसार उद्धरित किया गया है :-

Order 7 Rule 11-

11- **Rejection of plaint-** The plaint shall be rejected in the following cases:-

(a) Where it does not disclose a cause of action.

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so.

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;

(e) where it is not filed in duplicate;

where the plaintiff fails to comply with the provision of Rule 9:

इस संबंध में 2012 डी0एन0जे0 (एस.सी.) पेज 734 पर निम्नानुसार अभिलिखित किया गया है–

Civil Procedure Code, 1908 - order 7 Rule 11- Rejection of plaint- Power can be exercised at any stage of the suit - Only averments made in the plaint can only be considered Defence plea taken in the written statement are irrelevant.

इसी प्रकार 2013 (20) आर0बी0जे0 पेज 159 पर निम्नानुसार अभिलिखित किया गया है–

Code of Civil Procedure, 1908- Order 7 Rule 11 - For rejection of the plaint only pleading of the plaintiff should be taken into consideration. It is trite that the maintainability of a suit with reference to order 7 Rule 11 CPC has to be evaluated on the basis of pleadings of the plaintiff wihtout anything more. In this state of law, a

bare look at the pleadings indicates that the pleading as made did not occasion the dismissal of the suit for declaration and injunction filed by the petitioners at the thershould under order 7 Rule 11 CPC.

11- उपरोक्त सभी विधिक दृष्टांतों के आधार पर विवादित भूमि के कृषि से अकृषि उपयोग और गैर कृषि संपरिवर्तन किये जाने व उसके आधार पर राजस्व न्यायालय में वाद वर्जित होने के लिए उभयपक्ष की संबंधित लिखित दस्तावेजी साक्ष्य ली जानी आवश्यक है। उसके पश्चात साक्ष्य के उपरांत ही इस बाबत सही विधिक स्थिति की पुष्टिहोने पर ही किसी विधिसंगत निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। इस प्रकार इस प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत चस्पा नहीं होकर रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत पूर्णरूप से चस्पा होते हैं।

12- परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-07-2011 यथावत रखा जाता है।

13- निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/6626/2019/जैसलमेर

1- पीराराम पुत्र कानाराम (मृतक जरिये वारिसान):

1/1 भगवानदास पुत्र पीराराम जाति माली निवासी रूपसी तहसील व जिला जैसलमेर।

...अपीलार्थीगण

बनाम

1- नैनूराम पुत्र कानाराम जाति भील निवासी रूपसी तहसील व जिला जैसलमेर।

2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर जिला जैसलमेर।

..रेस्पोंडेण्ट्स

खण्ड पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

डॉ. महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित:-

श्री हरदत्त सहारण, अधिवक्ता अपीलाण्ट।

निर्णय

दिनांक :- 09.11.2023

1- यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर, कैम्प जैसलमेर द्वारा अपील सं. 20/2015 में पारित निर्णय दिनांक 27-06-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो. नैनूराम ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सहपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के पिता कानाराम पुत्र लिछमणराम जाति भील निवासी रूपसी के आवेदन पर उसे भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20-05-1965

को ग्राम लुद्रवा के समरी खसरा नं. 11/3 में 46 बीघा कृषि भूमि आवंटित की गई। जिसका आवंटन आदेश तहसीलदार जैसलमेर द्वारा दिनांक 20-05-1965 जारी किया गया। आवंटि द्वारा सनद् फीस दिनांक 05-09-1965 को जमा करवा दी गई। तत्पश्चात् हल्का पटवारी द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा सुपूर्द किया गया। वादी के पिता के नाम का नामांतकरण संख्या 12 दिनांक 27-08-1968 द्वारा ग्राम लोद्रवा के समरी खसरा नं. 11/3 रकबा 46 बीघा में अमल दरामद कर दिया। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2023-26, सम्वत 2027-30 एवं सम्वत 2031-34 एवं जमाबंदी सम्वत 2027-30 में कानाराम काश्तकार के रूप में दर्ज है। ढाल बांच ग्राम लोद्रवा खसरा नं. 11/3 रकबा 46 बीघा के लिए अस्थाई मांग सम्वत 2022 से कायम होकर जमा है। बंदोबस्त में उक्त भूमि के खसरा नं. 129 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा है जिसे वादी के पिता कानाराम के नाम दर्ज नहीं कर सिवायचक बंजड़ दर्ज कर दिया गया है, जबकि भू प्रबंध विभाग को नियमित बंदोबस्त में पूर्ववर्ती इंद्राज की आवृत्ति करनी थी। भू प्रबंध विभाग की उक्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बाहर एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। खसरा नं0 129 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा पर वादी के पिता अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त रहे व उनके निधन के पश्चात् वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी को उक्त भूमि पर अतिक्रमी दर्ज किया गया है जो विधि विरुद्ध है अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम लोद्रवा के खसरा नं0 129 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा संलग्न नक्शानुसार वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे।

3- पैरोकार राज ने जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र को खारिज करने का कथन किया।

4- परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर ने अपने निर्णय दिनांक 08.05.2015 के वाद वादीगण स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित करने का आदेश पारित किया।

5- परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08-05-2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट सरकार जरिए जिला कलेक्टर ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा

प्रस्तुत अपील खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय सहायक एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08-05-2015 को बहाल रखने के आदेश पारित किए।

6- अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-06-2017 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की।

7- अपीलाण्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लोद्रवा के खेत खसरा संख्या 11/2 में रकबा 30.10 बीघा का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01-06-1965 को अपीलाण्ट के पिता पीराराम पुत्र कानाराम को आवंटन किया गया एवं आवंटन की पालना में फीस दिनांक 10-08-1965 को जमा करवाने पर हल्का पटवारी द्वारा कब्जा अपीलाण्ट के पिता को सौंप दिया था। परंतु रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा तथ्य छिपाकर परीक्षण न्यायालय को वास्तविक तथ्यों से परे रखते हुए अपीलाण्ट की भूमि का निर्णय एवं डिक्री अपने पक्ष में प्राप्त कर ली। अपीलाण्ट परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से पूर्ण रूप से प्रभावित है, जबकि उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। इसलिए अपीलाण्ट यह अपील पेश की जा रही है। विवादित भूमि मूल खातेदार मृतक कानाराम अपीलाण्ट के पिता की है, जबकि प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाए ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपीलाण्ट के पिता को आवंटित भूमि अपने पक्ष में निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली। अपीलाण्ट उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार है एवं प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाण्ट को प्रस्तुत प्रकरण में अपील करने की अनुमति प्रदान की जावे।

8- अपीलाण्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लोद्रवा के खेत खसरा संख्या 11/2 में रकबा 30.10 बीघा का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01-06-1965 को अपीलाण्ट के पिता पीराराम पुत्र कानाराम को आवंटन किया गया एवं आवंटन की पालना में फीस दिनांक 10-08-1965 को जमा करवाने पर हल्का पटवारी द्वारा कब्जा अपीलाण्ट के पिता को सौंप दिया था।

परंतु रेस्पो० क्रम 1 द्वारा तथ्य छिपाकर परीक्षण न्यायालय को वास्तविक तथ्यों से परे रखते हुए अपीलाण्ट की भूमि का निर्णय एवं डिक्री अपने पक्ष में प्राप्त कर ली। अपीलाण्ट को प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब रेस्पो० ने अपीलाण्ट को धमकी दी कि भूमि हमारे नाम दर्ज हो गई है अब हम इस भूमि का बेचान करेंगे तब अपीलाण्ट ने पटवारी हल्का से दिनांक 08-07-2019 को सम्पर्क किया तब उनके द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी दी गई। जिस पर अपीलाण्ट ने अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा नकल प्राप्त कर यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

9- रेस्पो० की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आने से रेस्पो० के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस अपील पर सुनी गई।

10- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम लोद्रवा के खेत खसरा नं0 11/2 में रकबा 30.10 बीघा का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01-06-1965 को अपीलाण्ट के पिता पीराराम के पुत्र कानाराम को आवंटन किया गया एवं आवंटन की पालना में सनद फीस 05 रुपये जरिये रसीद संख्या 10060/13 दिनांक 10-08-1965 को जमा कराने पर हल्का पटवारी रूपसी द्वारा कब्जा अपीलाण्ट के पिता को सौंप दिया एवं विधिवत रूप से अपीलाण्ट के पिता पीराराम के नाम नामांतकरण संख्या 16 दिनांक 27-09-1968 को दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया । उक्त भूमि नियमित बंदोबस्त व हदूद अनुसार ग्राम लिद्रवा की वर्तमान खेत खसरा नं0 129 की 55 बीघा 10 बिस्वा समाहित है परन्तु नियमित बंदोबस्त ने उक्त भूमि ग्राम लिद्रवा के खसरा संख्या 129 का रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा अपीलाण्ट के पिता आवंटी पीराराम के नाम नहीं दर्ज कर रकबाराज दर्ज कर दी। अपीलाण्ट के पिता को आवंटनशुदा भूमि बाबत् वास्तविक तथ्यों को छिपाकर जो वाद प्रस्तुत किया गया था वह निरस्त किये जाने योग्य था क्योंकि नैनाराम को 11/3 का आवंटन हुआ था एवं उक्त भूमि 11/2 की खातेदारी बाबत् दावा प्रस्तुल किया गया था। आवंटी

पीराराम को दिनांक 10-08-1965 को प्रार्थी के आवंटित खसरे का कब्जा पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर मौका फर्द बनाई जाकर कब्जा सौंपा था जिसमें पीराराम के आवंटन की भूमि के पूर्वी साईड में भील काना के कब्जे की भूमि है जो कि उनको आवंटन खसरा नं0 11/3 में हुआ था एवं 11/2 में अपीलाण्ट के पिता को आवंटित भूमि पर आवंटी पीराराम का कब्जा चला आ रहा था एवं उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् आवंटी के विधिक वारिसान अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर नियमित रूप से कब्जा होकर काश्त चली आ रही है परंतु बंदोबस्त विभाग की गलती से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज होने से उसका फायदा उठाकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की भूमि बाबत दावा प्रस्तुत कर दावा डिक्री करा लिया, जबकि कानाराम पुत्र लिछमणराम की भूमि अलग थी। खसरा नं0 11/2 नवीन खसरा नं0 129 के बाबत् नैनाराम का कोई हक व अधिकार नहीं था। अपीलाण्ट के पिता पीराराम को खसरा नं0 11/2 की 34.10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था एवं इसी भूमि के चिपती हुई भूमि 11/3 की 46 बीघा नैनाराम के पिता कानाराम पुत्र लिछमण राम को आवंटन हुई थी जिसके खसरा नं0 11/3 के नियमित बंदोबस्त व हदूद के अनुसार ग्राम लिद्रवा के वर्तमान खेत खसरा नं0 130/198 की 10.14 बीघा, 131 की 11.16 बीघा, 132 की 17.10 कुल 46 बीघा समाहित हुई जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 काबिज होकर राजस्व रिकार्ड में आवंटन के अनुसार दर्ज चला आ रहा है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाकर अपीलाण्ट के पिता की आवंटनशुदा आराजी को बंदोबस्त विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दी के बाबत अपने पिता को तथाकथित आवंटन होना बताकर विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के समक्ष एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था जबकि रेस्पो0 संख्या 01 के पिता को आवंटित खसरा नं0 11/3 के नवीन खसरा नं0 130/198 की 10.14 बीघा, 131 की 11.16 बीघा, 132 की 17.10 कुल 46 बीघा समाहित हुई जो रेस्पो0 संख्या 1 के पिता कानाराम के विधिक वारिसानों के नाम चली आ रहीं है इस प्रकार स्पष्ट रूप से बिना किसी आधार एवं सबूत के अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि बाबत जो खातेदारी बाबत दावा प्रस्तुल किया गया है वह निराधार एवं षड्यंत्रपूर्वक पेश किया गया था। रेस्पो0 संख्या 1 के पिता कानाराम को आवंटित भूमि कानाराम के विधिक वारिसानों के नाम दर्ज चली आ रही है रेस्पो0 संख्या नैनाराम के अलावा अन्य भी वारिस है को छिपाकर अकेला काना का वारिस बताकर जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह कूटरचित न्यायालय को गुमराह

कर षड्यंत्रपूर्वक एवं गलत फायदा प्राप्त करने के नियत से जो कार्यवाही की गई है वह सर्वप्रथम निरस्त किये जाने योग्य थी । रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरुद्ध कूटरचित मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत कर जो धोखाधड़ी कर अपीलान्ट को आवंटित भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर भूमि का अन्यत्र बेचान कर दिया। अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आवंटन की पालना में दर्ज चला आ रहा था किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई । सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से भूमि रकबा राज दर्ज हो गई जिस पर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 का कोई हक व अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर कैम्प जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-06-2017 एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08-05-2015 निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता की आवंटित है के आधार पर अपीलान्ट को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का आदेश पारित किया जावे अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण को रिमाण्ड कर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत रूप से तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे ।

11- हमने अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हमने सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से कथन किया है कि ''**ग्राम लोद्रवा के खेत खसरा संख्या 11/2 में रकबा 30.10 बीघा का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01-06-1965 को अपीलाण्ट के पिता पीराराम पुत्र कानाराम को आवंटन किया गया एवं आवंटन की पालना में फीस दिनांक 10-08-1965 को जमा करवाने पर हल्का पटवारी द्वारा कब्जा अपीलाण्ट के पिता को सौंप दिया था। परंतु रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा तथ्य छिपाकर परीक्षण न्यायालय को वास्तविक तथ्यों से परे रखते हुए अपीलाण्ट की भूमि का निर्णय एवं डिक्री अपने पक्ष में प्राप्त कर ली। अपीलाण्ट परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से पूर्ण रूप से प्रभावित है, जबकि उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया**

गया।'' हम अपीलाण्ट के उक्त कथन से सहमत हैं कि अपीलाण्ट के पिता को दिनांक 01-06-1965 को विवादित आराजी खसरा नं. 11/2 में रकबा 30.10 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जिसकी राशि जमा कराने पर अपीलाण्ट के पिता को कब्जा दिया गया। परंतु हम इस कथन से सहमत नहीं हैं कि रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय अपने पक्ष में पारित करवा लिया। रेस्पो0 ने अपने पक्ष में आवंटित आराजी खसरा नं0 11/3 में 46 बीघा भूमि के आवंटन के संबंध में वाद पेश किया है, जबकि अपीलाण्ट ने स्वयं की आराजी खसरा नं0 11/2 रकबा 30.10 बीघा स्वयं को आवंटित होना बताया है। इस प्रकार रेस्पो0 द्वारा तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किए जाने का अपीलाण्ट द्वारा कथन साबित नहीं हो रहा है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 03 में कथन किया है कि **''विवादित भूमि मूल खातेदार मृतक कानाराम अपीलाण्ट के पिता की है जबकि प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाए ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाण्ट के पिता को आवंटित भूमि अपने पक्ष में निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली है इसलिए अपीलाण्ट को आवश्यक, प्रभावित, हितबद्ध पक्षकार होने के नाते अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27-06-2017 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।''** हम अपीलाण्ट के उक्त कथन से भी सहमत नहीं है क्योंकि हम ऊपर स्पष्ट रूप से विवेचन कर चुके हैं कि रेस्पो0 ने अपने पिता के पक्ष में आवंटित आराजी खसरा संख्या 11/3 रकबा 46 बीघा भूमि के संबंध में वाद पेश किया था जिससे अपीलाण्ट का क्या संबंध है किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज के द्वारा नहीं बताया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक27-06-2017 से किस प्रकार से व्यथित है साबित नहीं किया है। जब तक अपीलाण्ट द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता कि वे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-06-2017 से व्यथित है तब तक उन्हें व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट ने स्वयं को विवादित आराजी खसरा नं. 11/2 में रकबा 30.10 बीघा भूमि आवंटन होने का कथन किया है, जबकि रेस्पो. ने परीक्षण न्यायालय में विवादित आराजी खसरा संख्या 11/3 रकबा 46 बीघा भूमि के संबंध में वाद पेश किया था। इस प्रकार अपीलाण्ट ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य आदि पेश नहीं किए हैं। अपीलाण्ट ने अपील में यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने

अपीलाण्ट के पिता के पक्ष में आवंटित भूमि पर रेस्पो को खातेदार घोषित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने खसरा नं0 129 के कुल रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा में से 46 बीघा भूमि का रेस्पो0 को खातेदार घोषित किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी जो कि पृष्ठ संख्या 40 पर संलग्न है के अनुसार खसरा नं0 129 रकबा 55.10 बीघा भूमि बंजड सरकार के खाते में दर्ज है। उक्त भूमि से अपीलाण्ट का क्या संबंध है यह उन्होंने अवगत नहीं करवाया है। अपीलाण्ट के द्वारा कोई मिलान क्षेत्रफल अपील में पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट व्यथित पक्षकार एवं हितबद्ध पक्षकार होना साबित नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना न्यायहित में उचित समझते है। प्रस्तुत प्रकरण में जब अपीलाण्ट द्वारा प्ररतुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में जब अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम धारा 5 पर किसी प्रकार का विवेचन अर्थात निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

12- हम प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। वादी/रेस्पो0 नैनूराम ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें मुख्य रूप से अपने पिता के नाम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि के आवंटन का कथन करते हुए आवंटित भूमि पर हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था। परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विवादित आराजी वादी के वादपत्र में अंकित कथनों के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादी के पिता को आवंटित किया जाना कथन किया है। इस प्रकार विवादित आराजी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादी के पिता को आवंटित की गई है। आवंटित भूमि पर खातेदारी हेतु वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि आवंटित भूमि पर हक घोषणा का दावा चलने योग्य

नहीं होता है। आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटन अधिकारी सक्षम होता है। आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटी जिसके पक्ष में भूमि का आवंटन किया गया है वह आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा, जिस पर आवंटन अधिकारी आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तों की पालना की जांच करते हुए यदि आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तों की पालना कर दी गई हो तो उसे आवंटन नियमों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाते हैं। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि के सम्बन्ध में हक घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने विधि विरुद्ध रूप से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है जो निरस्तनीय है। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर में सरकार जरिए जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधि विरुद्ध रूप से खारिज कर दिया। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि विरुद्ध रूप से निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

13- परिणामस्वरूपः प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08-05-2015 एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर, कैम्प जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-06-2017 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

अपील/टी0ए0/3468/2006/बीकानेर

मोटाराम बनाम लालूराम व अन्य

खण्डपीठ

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित

श्री जे.के. पंत, अभिभाषक अपीलांट

श्री एस.पी. सिंह अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1

श्री भींयाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 5

शेष रेस्पो. के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

दिनांक- 29.11.2023

निर्णय

यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर दिनांक 28.02.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो./वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी उसके पिता नानुराम की खातेदारी की भूमि थी। नानुराम के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात विवादित आराजी उसके वारिसों के नाम जरिये नामांतरकरण संख्या 1164 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। जमाबंदी संवत 2053-58 में विवादित आराजी अपीलांट/प्रतिवादी एवं रेस्पो0/वादी संख्या 1 से 6 के 1/5-1/5 हिस्से दर्ज हुई। रेस्पो0 संख्या 5 मु0 चतरी बेवा लिछमण राम ने अपना हिस्सा दिनांक 01-02-1999 को जरिये रजि0 बेयनामा मोटाराम के हक में कर दिया। वादी लालुराम ने वाद कारण यह बताया कि मु0 चतरी ने मौखिक इकरारनामे के आधार पर अपना 1/5 हिस्सा हस्तांतरित होना कहा है। वादी ने अपना वाद कारण बताया कि लंबे समय से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त करता आ रहा है। इसलिये एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी द्वारा किया गया बेचान शून्य माना जाये। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा वाद का

जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी का प्रतिवादी सहकाश्तकार दर्ज है। तथा उसने मु0 चतरी से 1/5 हिस्सा रजि0 बैयनामें के आधार पर क्रय किया है इस कारण उसे 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। परीक्षण न्यायालय ने दावा, जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम का परीक्षण करते हुए तनकीयात कायम की एवं तनकीयात के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया एवं अपीलांट/प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-05-2003 से उसे विवादित आराजी में 3/5 हिस्से की बंटवारे की डिक्री पारित कर दी। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध रेस्पो0 ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28-02-2006 से स्वीकार करते हुये प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोखा को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा कब्जा मुखालफाना एवं मौखिक इकरारनामे के आधार पर अनुतोष चाहा है तथा मुख्य रूप से बैयनामा को प्रभाव शून्य करने का अनुतोष चाहा है। परंतु वादी/रेस्पो0 द्वारा इन दस्तावेजों के संबंध में ना तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है और ना ही वादपत्र में कहे गये कथनों की पुष्टि के लिये कोई मौखिक साक्ष्य पेश किया गया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर है। बैयनामों को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। परीक्षण न्यायालय ने इसी आधार पर वादी का वाद खारिज किया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने विधि विरुद्ध निर्णय से अपास्त कर दिया जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का कोई भी जवाब पेश नहीं किया गया। आदेश 8 नियम 10 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार अपीलांट/प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वतः ही प्रमाणित था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण का पूर्व से कब्जा काश्त ना होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर तनकीयात कायम करके अपना विधिसम्मत निर्णय से वादी/रेस्पो. का वाद खारिज किया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से

निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में तर्क दिया कि रेस्पो./वादी ने परीक्षण न्यायालय में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वाद पेश किया था एवं अपीलांट/प्रतिवादी ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने वाद में पक्षकारों के अभिकथनों के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की और ना ही उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। केवल अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम कर अपने विधि विरुद्ध आदेश से बादी/रेस्पो. का वाद खारिज कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट/प्रतिवादी ने खरीद के आधार पर विवादित आराजी पर अपना हक माना है जबकि खरीदने के बाद भी वो एक अजनबी (Stranger Person) की श्रेणी में थे तथा विवादित आराजी पर उनका कभी भी भौतिकरूप से कब्जा नहीं है। विवादित आराजी एक स्वअर्जित संपत्ति है। स्वअर्जित संपत्ति के मालिक के जीवित रहते हुये इसकी सम्पत्ति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी/रेस्पो. का भूमि पर कब्जा नहीं है इसलिए उसके पक्ष में खातेदारी घोषणा नहीं की जा सकती। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपने विधि विरुद्ध निर्णय से प्रतिवादी/रेस्पो० को 3/5 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने द्वारा वादपत्र में किये गये अभिकथनों एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम में किये गये अभिकथनों पर विवाद्यक का निर्धारण किये बिना ही अंतिम बहस सुनकर वादपत्र एवं काउन्टर क्लेम का निस्तारण कर दिया जबकि उन्हें आदेश 10 नियम 2 सी0पी0सी0 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये दावा, जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पर पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरांत तनकीयात कायम करनी चाहिए थी एवं प्रत्येक तनकी का पृथक-पृथक निर्णय पारित करना चाहिए था। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने दावे में ना तो चाहे गये अनुतोष के आधार पर तनकीयात कायम की और ना ही उन पर पृथक-पृथक निर्णय पारित किया गया। इस आधार पर भी परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय था जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आदेश 14 नियम 1 सी0पी0सी0 में स्पष्ट प्रावधान है कि जंहा पक्षकारों के मध्य विवाद हो तो न्यायालय को उन विवादों पर तनकीयात कायम करने चाहिए थी एवं उस पर पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात ही दावे का निस्तारण करना चाहिए। परन्तु

परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रावधान के विरूद्ध जाकर अपना निर्णय पारित किया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से परीक्षण किया।

अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि :-

''इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा वादपत्र में किये गये अभिकथनों एवं प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम में किये गये अभिकथनों पर विवाधक का निर्धारण किये बिना ही अंतिम बहुत सुनकर वादपत्र एवं क्लेम का निस्तारण कर दिया गया । यहां यह एक तथ्य है कि अंतिम बहस सुनने से पूर्व तक योग्य पीठासीन अधिकारी ने कोई विवाद्यक बिन्दु कायम नहीं किये किन्तु अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय के योग्य पीठासीन अधिकारी ने अवश्य तीन विवाद बिन्दु कायम किये हैं, जिन्हें व्यवहार प्रक्रिया संहिता में विवाद्यक बिन्दु निर्धारित करने की जो प्रक्रिया दी हुई है उसके अनुरूप नहीं माना जा सकता। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 1 उपनियम 5 में यह है कि न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में वादपत्र को और यदि कोई लिखित कथन हो तो उसे पढ़ने के पश्चात् और आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा करने के पश्चात् तथा पक्षकारों या उनके प्लीडरों की सुनवाई करने के पश्चात् यह अभिनिश्चित करेगा कि तथ्य की या विधि की किन वास्तविक प्रतिपादनों के बारे में पक्षकारों में मतभेद है और तब वह उन विवाद्यको की विरचना और अभिलेखन करने के लिये अग्रसर होगा जिनके बारे में यह प्रतीत होता है कि मामले का ठीक विनिश्चय उन पर निर्भर करता है। हमारे समक्ष विचाराधीन इस हस्तगत प्रकरण में इन प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गयी है। माननीय राजस्व मंण्डल राजस्थान अजमेर की खण्डपीठ ने 'मनीराम बनाम यासीन खां एवं अन्य' 1999 आर0आर0डी0 पेज 509 में डिप्टी कलेक्टर (जागीर), हनुमानगढ़ द्वारा कोई तनकी कायम न कर सीधे ही वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य दर्ज कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने को उचित नहीं माना और प्रकरण पुनः निस्तारण के लिये रिमाण्ड किया गया है। हमारे समक्ष हस्तगत विचाराधीन प्रकरण में भी उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने कोई तनकी कायम न कर सीधे ही वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य के लिये प्रकरण को निश्चित करते हुए निस्तारण कर दिया जो उक्त दृष्टान्त के प्रकाश में पुष्टि योग्य नहीं है क्योंकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के

आदेश 14 नियम 1 में स्पष्ट प्रावधान है कि जहां पक्षकारान के मध्य विवाद हो तो न्यायालय हमारे समक्ष को उन विवादों पर विवाद्यक बिन्दु कायम करने चाहिये।''

इस प्रकार इस अपील में वर्णित समस्त तथ्यों का पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त भूमियों के संबंध में उभयपक्ष के मध्य एक वाद अंतर्गत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का विचाराधीन चल रहा था। उक्त विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। जब परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन वाद में जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया गया हो तो उस स्थिति में सी0पी0सी0 के आदेश 14 नियम 1 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होते हैं। उक्त विधिक प्रावधान में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :-

आदेश 14 नियम 1 सी0पी0सी0 में वर्णित किया गया है कि :-

"**Framing of issues.** - (1) Issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other.

(2) Material propositions are those propositions of law or fact which a plaintiff must allege in order to show a right to sue or defendant must allege in order to constitute his defence.

(3) Each material proposition affirmed by one party and denied by the other shall form the subject of a distinct issue.

(4) Issues are of two kinds :

(a) issues of fact; and

(b) issues of law.

(5) At the first hearing of the suit the Court shall, after reading the plaint and the written statements, if any, and '[after examination under Rule 2 of Order X and after hearing the parties or their pleaders] ascertain upon what material propositions of fact or of law the parties are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appears to depend.

(6) Nothing in this rule requires the Court to frame and record issues"

उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार परीक्षण न्यायालय को दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विवाद्यक कायम कर उसके संबंध में उभयपक्षों को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत ही प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निर्णय करना चाहिये।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी का जवाबदावा आने के पश्चात दिनांक 29-08-2002 को पत्रावली वास्ते तनकी नियत की गई थी। लेकिन तनकी नहीं बनाई गई और बरवक्त निर्णय तीन तनकियां बनाई जाकर तनकीवार विनिश्चय किया गया है। जबकि आदेश 14 नियम 1 सी0पी0सी0 के तहत जब तनकी बनाई जाती है तो पक्षकारों को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है लेकिन इस प्रकरण में बहस सुनी जाने के पश्चात तनकी विरचित करते हुये और उन्हीं के आधार पर निर्णय किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त आज्ञापक प्रावधानों की उनके यहां विचाराधीन वाद में पालना की जानी आवश्यक थी परंतु परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद के निर्णय में इनकी पालना नहीं की गई है। इस स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 15-05-2003 अपास्त योग्य होने से अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-02-2006 यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष दिनांक 16-01-2024 को पेश हो।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य

बाजदायरी अपील/डिक्री/टी.ए./7405/2022/चितौड़गढ़

केसरी लाल बनाम सांवरमल

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

खण्डपीठ

श्री गणेश कुमार, सदस्य

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित –

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री ईश्वर देवडा, अधिवक्ता, केवियटकर्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 11.09.2023

प्रार्थी अधिवक्ता ने यह बाजदायरी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत् राजस्व मण्डल खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या-5063/2015 बउनवानी केसरीमल बनाम सावरमल में पारित आदेश दिनांक 07-10-2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपील को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बाजदायरी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी एवं प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 31-7-2023 के प्रार्थनापत्र पर सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि अपीलान्ट को आश्वस्त किया हुआ था कि उनकी ओर से पैरवी अधिवक्ता स्वयं करते रहेंगे, उसको आने की जरूरत नहीं है और दिनांक 7-10-2022 को उनके मुंशी द्वारा पत्रावली दिनांक 17-12-2022 के मुद्दे में रख दी और पत्रावली आवाज लगाने के समय नहीं मिलने से न्यायालय में हाजिर नहीं हुए और अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी। अतः इसे गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु पुनः नम्बर पर लिया जावे। अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने अपना स्वयं का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आपत्ति है कि मूल अपील संख्या 5063/2015 केसरीमल बनाम सावरमल वर्ष 2015 से लम्बित है और एक मात्र अपीलान्ट केसरीमल का देहान्त दिनांक 13-2-2016 को हो चुका था और उसके

विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लेने के कारण अपील अबेट करने बाबत् प्रार्थनापत्र भी दिनांक 14-12-2020 को पेश कर दिया था, उसके बावजूद भी मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की और दिनांक 7-10-2022 को अदम हाजरी में अपील खारिज करवा ली। इसलिए इस अपील को पुनः नम्बर पर नहीं लिया जा सकता। अपील अबेट हो चुकी है। अतः बाजदायरी प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

मूल अपील में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपील संख्या 2015/5063 केसरीमल बनाम सावरमल वगैराह अपील दिनांक 20-8-2015 को जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश जैन पेश हुई है और विपक्षी की ओर से दिनांक 14-12-2020 को जरिये अधिवक्ता श्री ईश्वर देवडा ने यह आवेदन पेश किया हुआ है कि एक मात्र अपीलान्ट केसरीमल का देहान्त दिनांक 23-2-2016 को हो चुका है और अपील अबेट होने का आदेश पारित किया जावे। इसी सम्बन्ध में रैस्पोंडेन्ट अधिवक्ता द्वारा मूल अपील की आदेशिका दिनांक 1-11-2021 में भी पुनः अपील अबेट करने का निवेदन किया हुआ है लेकिन खण्डपीठ द्वारा कार्यवाही करने हेतु एक अवसर प्रदान किया गया है और आगामी पेशी दिनांक 22-01-2022 नियत की गयी है, उसके बावजूद भी अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गयी और दिनांक 22-9-2022 को पुनः न्यायहित में अन्तिम अवसर और दिया गया है, उसके बावजूद भी मृतक अपीलान्ट के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु कोई कार्यवाही की नहीं की गयी है और दिनांक 7-10-2022 को अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गयी है। इसलिए विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख करना कि मुकदमें की सम्पूर्ण पैरवी करने की जिम्मेदारी अपने पर ली हुई थी पूर्णतयाः मनगढ़ंत और कपोल कल्पित है। जब न्यायालय के अभिलेख पर यह तथ्य आ चुका है कि अपीलान्ट का देहान्त हो चुका है तो उसी क्षण अधिवक्ता का प्रकरण में पैरवी करने का अधिकार खत्म हो जाता है। आदेश 22 नियम 10 सीपीसी में यह उल्लेख किया गया है -

10-क न्यायालय को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए प्लीडर का कर्तव्य-वाद में पक्षकार की ओर से उपसंजात होने वाले प्लीडर को जब कभी यह जानकारी प्राप्त हो कि उस पक्षकार की मृत्यु हो गई है तो वह न्यायालय को इसकी इत्तिला देगा और

जब न्यायालय ऐसी मृत्यु की सूचना दूसरे पक्षकार को देगा और इस प्रयोजन के लिए प्लीडर और मृत पक्षकार के बीच हुई संविदा अस्तित्व में मानी जाएगी।

अर्थात् अधिवक्ता और मृतक पक्षकार के बीच केवल मृत्यु की सूचना देने तक ही संविदा अस्तित्व में मानी गयी है लेकिन इस प्रकरण में तो अपीलार्थी अधिवक्ता ने मृतक अपीलान्ट के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु बार-बार समय चाहा है जबकि उनका वकालतनामा ही समाप्त हो चुका था और उसके बावजूद गलत तथ्यों पर यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया है जो विधिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है।

अपीलार्थी की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से ही अपील को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थनापत्र पेश हो सकता है, चूंकि इस प्रकरण में अपीलान्ट फौत हो चुका था तो उसके विधिक वारिसान द्वारा ही मय शपथपत्र अपील को पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदन पेश किया जा सकता था। अपीलांट अधिवक्ता को ऐसा आवेदन पेश करने का कोई अधिकार शेष नहीं रहता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने 2014 (3) डब्ल्यूएलएन पेज 97 जयदेवी पाण्डे बनाम रामगोपाल सैनी व अन्य में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने पर अधिवक्ता को बाजदायरी पेश करने का अधिकार नहीं है और अधिवक्ता द्वारा आदेश 9 सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया गया है। इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश 3 नियम 2(2) एवं आदेश 3 नियम 4 सीपीसी का विवेचन करते हुए आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थनापत्र खारिज किया गया है।

ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा मृतक अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पोषणीय नहीं है और मरे हुए व्यक्ति के अधिवक्ता को उसकी ओर से आवेदन पेश करने का अधिकार भी नहीं है और प्रार्थी द्वारा उपरोक्त जो कारण बताये गये वे भी निराधार हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह बाजदायरी प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अधिवक्ता द्वारा कोई भी आवेदन पेश करने से पूर्व आवेदन में वर्णित तथ्यों की जानकारी करने के बाद ही आवेदन पेश किया जाना चाहिए। अधिवक्ता हमेशा पक्षकार की पैरवी करने के लिए नियुक्त होता है जिससे उसे न्याय मिलने में सुविधा हो सके। जानकारी के बिना किसी भी तथ्य का शपथ-पत्र पेश किया जाना वकालत के पेशे के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

मूल अपील पत्रावली संख्या–2015/5063 की आदेशिका की प्रति दिनांक 07–10–2022 के सहित अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य

नजरसानी निगरानी/ टीए/ 2023/2042/बूंदी

रामसिंह सोलंकी बनाम राजेन्द्र कुमार जैन

एकल-पीठ

श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य

उपस्थित :-

श्री रोहित सोनी, अभिभाषक प्रार्थी

श्री सी.पी. पाराशर, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 04 जुलाई, 2023

निर्णय

1- यह नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा-151 सीपीसी के तहत राजस्व मडल की एकल-पीठ के माननीय सदस्य, श्री भंवर सिंह सान्दू द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- इस नजरसानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी के समक्ष प्रार्थीगण के पूर्वज राधेश्याम सिंह ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक वाद अधिनियम की धारा-88, 89, 188 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद दिनांक 3-8-2022 को अदम तकमील में खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष दिनांक 24-8-2022 को निगरानी प्रस्तुत की गयी। दिनांक 25-8-2022 को मण्डल की एकलपीठ ने निगरानी को विचारार्थ ग्रहण कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब करने एवं विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित करते हुये उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बूंदी द्वारा आदेश दिनांक 3-8-2022 में अंकित वादग्रस्त आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की मण्डल की आगामी नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये। तत्पश्चात दिनांक 29-11-2022 को प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से एक प्रार्थना पत्र निगरानी को विड्रो किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसमें आगामी तारीख पेशी 30-11-2022 नियत की गयी। दिनांक 30-11-2022 को मण्डल की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया है कि ''पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री अशोक अग्रवाल उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत निगरानी विड्रो किये जाने दिनांक 29-11-2022 पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है अतः राजीनामा के आधार पर प्रार्थी पत्रावली को विड्रॉ करना चाहते

हैं। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल रहे। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली विड्रो (खारिज) की जाती है।''

3– मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध उक्त नजरसानी प्रार्थना पत्र मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

4– बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी नजरसानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से बार–बार सम्पर्क करने पर अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को यह आश्वासन दिया कि आपको हर तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है एवं जब भी आवश्यकता होगी बुलवा लिया जावेगा। वैसे भी राजस्व प्रकरण को तय होने में समय लगता है। इस प्रकार अपने अधिवक्ता द्वारा दिये गये आश्वासन पर प्रार्थीगण निश्चिन्त थे साथ ही आक्षेपित आदेश दिनांक 30–11–2022 को उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता से प्रार्थीगण ने निगरानी विड्रो किये जाने का निवेदन नहीं किया और ना ही कोई राजीनामा पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार प्रार्थीगण सद्भावना पूर्वक न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके। तत्पश्चात भी मण्डल द्वारा प्रार्थीगण की निगरानी विड्रो कर खारिज कर दी। जो ''Error apparont on the face of record'' की श्रेणी में आता है। अतः आक्षेपित निर्णय निरस्त कर न्यायहित में नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। वास्तव में हाल अप्रार्थी संख्या–10 श्यामसिंह ने प्रार्थीगण के वाद आदि कार्यवाही में उचित पैरवी हेतु प्रदत्त पूर्व हस्ताक्षरित दस्तावेजात पर प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2022 टाईप करवाकर उनके नियोजित अधिवक्ता को सौंप दिये। जिस पर पूर्व नियोजित अधिवक्ता ने सद्भावना पूर्वक प्रार्थना पत्र मण्डल में पेश कर दिया। जबकि विड्रो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र मात्र हाल अप्रार्थी संख्या–10 श्यामसिंह ने ही प्रस्तुत किया है। अन्य किसी भी प्रार्थीगण के शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं है। उसके पश्चात भी मण्डल की एकलपीठ ने प्रार्थीगण की हद तक भी निगरानी विड्रो कर खारिज कर दी, जो कि अभिलेख के मुख पर परिलक्षित त्रुटि की परिभाषा में आता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मंडल की एकल–पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–11–2022 निरस्त किया जाकर निगरानी को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अपने कथन के समर्थन में 2006 डीनजे एससी पेज 271, अपील डिक्री टीए 2963/2016/नागौर रामूराम बनाम झूमरडी, विड्रो आदेशिका दिनांक 6–3–2019 विड्रो प्रार्थना पत्र दिनांक 6–3–2019 रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 10–6–2019 रेस्टोरेशन स्वीकार आदेशिका दिनांक 20–6–2019 रेस्टोरेशन स्वीकार की आपत्ति खारिज आदेशिका दिनांक 16–10–2019 पेश की।

6- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि राजस्व मण्डल की एकल-पीठ का आलोच्य निर्णय दिनांक 30-11-2022 विधिसम्मत है। नजरसानी का दायरा सीमित होता है नजरसानी के माध्यम से प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इसलिये यह नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

1- निगरानी/टीए/4766/2015/बूंदी निर्णय
दिनांक 16-5-2023

2- प्रार्थना अपील एलआर 2331/2018 कोटा
निर्णय दिनांक 2-8-2018

3- प्रार्थना पत्र अपील डिक्री 1088/2019 कोटा
निर्णय दिनांक 26-9-2019

7- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

8- पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि दिनांक 29-11-2022 को प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से निगरानी को विड्रो किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 30-11-2022 को मण्डल की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया है कि ''**पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री अशोक अग्रवाल उपस्थित हैं। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत निगरानी विड्रो किये जाने दिनांक 29-11-2022 पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है अतः राजीनामा के आधार पर प्रार्थी पत्रावली को विड्रो करना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल रहे। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली विड्रो (खारिज) की जाती है।**'' उक्त आदेशिका पर श्री अशोक अग्रवाल के हस्ताक्षर हैं श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक को महेन्द्र सिंह, हरजेन्द्र सिंह, रामसिंह, श्यामसिंह, रेखाबाई, गीताबाई व पुष्पा ने अपना अभिभाषक नियुक्त किया है। श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत वकालतनामे पर उक्त सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं। अभिभाषक पत्र की परिभाषा निम्न प्रकार है। ''**अभिभाषक नियुक्त कर प्रतिज्ञा करता हूं/प्रतिज्ञा करते हैं कि उक्त सज्जन को मेरे/ हमारे पक्ष समर्थन व उसके संबंध में पूर्ण कार्यवाही करने का अधिकार होगा। अभिभाषक महोदय को समझौता करने, वाद प्रस्तुत करने, शपथ पूर्वक**

विवरण, स्वीकारोक्ति-पत्र प्रस्तुत करने तथा न्याय पत्र प्राप्त करने की दशा में न्याय अधिकार प्रस्तुत करने, धन प्राप्त करने तथा वादपत्र, प्रतिवादपत्र, पुनरावलोकन पत्र आदि पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने का अधिकार मेरी/ हमारी ओर से होगा। आवश्यकतानुसार किसी अन्य अभिभाषक को अपने स्थान पर नियुक्त करने का अधिकार भी होगा। जो अभिभाषक नियुक्ति होंगे उनकी भी संपूर्ण कार्यवाही स्वीकृत होगी। वाद में चालू समय में अथवा स्थगित होने के पश्चात् जो व्यय अथवा क्षति धन प्राप्त होगा उसे ग्रहण करने का अधिकार उक्त सज्जन को होगा।

मैं प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहूंगा। अनुपस्थिति के कारण जो परिणाम होगा उसका उत्तरदायित्व अभिभाषक महोदय पर न होगा, यदि आवश्यक शर्त पूरी नहीं करूं तो उक्त सज्जन को अधिकार होगा कि वे पक्ष समर्थन अस्वीकार कर दें और उस दशा में कोई उत्तरदायित्व उक्त सज्जन पर न होगा।'' कानूनन नजरसानी के माध्यम से तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब निर्णय में कोई ऐसी परिलक्षित भूल हो। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों ने अभिभाषक नियुक्त कर मुकदमे के सभी अधिकार अभिभाषक को प्रदत्त कर दिये, विड्रो प्रार्थना पत्र एवं आदेशिका में अभिभाषक के हस्ताक्षर हैं और इस आधार निगरानी को विड्रो किया गया है जिसे तकनीकी आधार पर खारिज किया जाना नहीं माना जा सकता है। जो ''Error apparent on the face of record'' की श्रेणी में नहीं आता है। जहां तक वकील या अन्य पक्षकारों द्वारा फर्जी कार्य किये जाने का प्रश्न है, इस बाबत् प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में उनके विरुद्ध चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। जैसा कि मंडल की एकल पीठ ने प्रकरण संख्या 2331/2018 आदेश दिनांक 2-8-2018 एवं प्रकरण संख्या 1088/2019 निर्णय दिनांक 26-9-2019 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

9- यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि विड्रो प्रार्थना पत्र पर समस्त अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर हैं तथा अभिभाषक के भी हस्ताक्षर हैं। प्रार्थीगण का यह कथन कि **''हाल अप्रार्थी संख्या-10 श्यामसिंह ने प्रार्थीगण के वाद आदि कार्यवाही में उचित पैरवी हेतु प्रदत्त पूर्व हस्ताक्षरित दस्तावेजात पर प्रार्थना पत्र दिनांक 29-11-2022 टाईप कराकर उनके नियोजित अधिवक्ता को सौंप दिये। जिस पर पूर्व नियोजित अधिवक्ता ने सद्‌भावनापूर्वक प्रार्थना पत्र मण्डल में पेश कर दिया जबकि विड्रो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र मात्र हाल अप्रार्थी संख्या-10 श्याम सिंह ने ही प्रस्तुत किया, अन्य किसी भी प्रार्थीगण के शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं है।''**

10- इस परिप्रेक्ष्य में प्रथम तो इस बाबत् अभिभाषक श्री अशोक अग्रवाल का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे प्रार्थी के कथन को सत्य माना जावे। जहां तक पक्षकारान में से हाल अप्रार्थी संख्या-10 श्यामसिंह द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का प्रश्न है। इस प्ररिप्रेक्ष्य में प्रकरण को विड्रो करने हेतु पक्षकारान द्वारा नियुक्त अभिभाषक ही सक्षम है। इसलिये समस्त अपीलार्थीगण के शपथ पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रकरण को विड्रो करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विड्रो करवाने के पश्चात उसी प्रार्थना पत्र को गलत बताया जाकर नजरसानी के माध्यम से चुनौती देकर न्यायालय को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ऐसे मामलों में नजरसानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र में उठाये गये आक्षेप चलने योग्य नहीं होने से नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

11- अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर सिंह सान्दू)
सदस्य

अधिसूचनाएँ

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(89)राज-1/2023/तहसील बाटाडू   जयपुर, दिनांक 3 अगस्त, 2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला बाड़मेर की तहसील बायतु का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील बाटाडू को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील बाटाडू का सृजन करती है।

नवीन क्रमोन्नत तहसील बाटाडू, जिला बाड़मेर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	बाटाडू (पुनर्गठित)	14139	12791	बाटाडू	4460	4194	06
				साईयों का तला (नवसृजित)	3883	2394	06
				हरखाली (पुनर्गठित)	3883	4554	06
				रेवाली (नवसृजित)	1913	1649	05
2	भीमड़ा (पुनर्गठित)	22978	21363	भीमड़ा	5895	6031	10
				हुडो की ढाणी (नवसृजित)	3470	3277	08
				छीतर का पार	4834	5235	08
				चौखला	8779	6820	18

3	खींपर (नवसृजित)	17231	12439	खींपर	5472	3823	04
				झाक	8831	6300	16
				लुनाड़ा (पुनर्गठित)	2928	2316	05
योग	03	54348	46593	11	54348	46593	92

पुनर्गठित तहसील बायतु, जिला बाड़मेर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	बायतु भोपजी	26306	25041	बायतु भोपजी	3613	6325	15
				बायतु चिमनजी	6429	6007	15
				माघासर	3029	3925	09
				नौसर	13235	8784	21
2	नगोणी धतरवालों की ढाणी	19594	18409	नगोणी धतरवालों की ढाणी	4289	4298	15
				बायतु भीमजी	4304	3687	12
				सेवनियाला	6642	5991	13
				बोडवा	4359	4433	08
3	बायतू पनजी	19174	16985	बायतु पनजी	7417	6963	14
				कोसिरया	5307	4327	18
				माडपुरा बरवाला	6450	5965	12
4	पनावडा	21336	18159	पनावडा	4486	4012	06
				अकदडा	9089	7217	22
				कोलू	7761	6930	10
योग	4	86410	78594	11	86410	78594	190

नोट– नवसृजित क्रमोन्नत बाटाडू जिला बाड़मेर में 01 भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त खींपर एवं 03 पटवार मण्डल साईयों का तला, रेवाली, हुडों की ढाणी का नवसृजन किया जाता है।

आज्ञा से,

ह./–

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(89)राज-1/2023/तहसील सवाईपुर जयपुर, दिनांक 3 अगस्त, 2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला भीलवाड़ा की तहसील कोटड़ी, बनेड़ा, माण्डल एवं भीलवाड़ा का पुनर्गठन करते हुए नवीन तहसील सवाईपुर का सृजन करती है।

नवीनसृजित तहसील सवाईपुर, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011) अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011) अनुसार	
1	सवाईपुर (पुनर्गठित)	12275	21228	सवाईपुर	2071	5007	04
				बन का खेड़ा	3250	6088	03
				रैड़वास	3843	5951	09
				किशनगढ़	3111	4182	05
2	आकोला (आंशिक)	2712	5603	बड़ला	2712	5603	05
योग	1+1 आंशिक	14987	26831	05	14987	26831	26

पुनर्गठित उप-तहसील बड़लियास, नवसृजित तहसील सवाईपुर, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	बड़लियास	10353	20393	बड़लियास	2071	5880	02
				सुठेपा	3250	5453	06
				आमां	3843	4344	04
				गेन्दलियां	3111	4716	04
2	आकोला (आंशिक)	8254	15084	आकोला	2705	4253	03
				गेगा का खेड़ा	2683	5588	06
				जीवा खेड़ा	2866	5243	06
योग	1+1 आंशिक	18607	35477	07	18607	35477	31

पुनर्गठित तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	कोटड़ी (पुनर्गठित)	10427	23932	कोटड़ी	1917	9864	01
				मालीखेड़ा	1173	1528	04
				लसाड़िया	2616	4187	04
				उदलियास	2686	4286	05
				सातोला का खेड़ा	2035	4067	05
2	मंशा (आंशिक)	8545	15542	मंशा	2938	5845	08
				गेहूली	3137	5565	07
				जावल	2470	4132	07
3	नन्दराय (पुनर्गठित)	8601	17807	नन्दराय	2761	5625	02
				मरड़ा की झूंपड़िया	1774	4204	06
				ककरोलिया घाटी	4066	7978	10

4	बीरधोल (आंशिक)	8597	14813	बीरधोल	2744	5616	06
				रासेड़	2452	3480	04
				रीठ	3401	5717	07
योग	02+02 आंशिक	36170	72094	14	36170	72094	76

पुनर्गठित उप-तहसील पारोली, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	पारोली	11409	21593	पारोली	2447	5864	01
				धनवाड़ा	1378	2216	05
				बिशनियां	2846	5065	05
				कोठाज	2067	4668	09
2	मंशा (आंशिक)	2671	3780	कांटी	2671	3780	06
3	छापड़ेल	9371	12804	छापड़ेल	2129	4122	04
				दांतड़ा	2386	2196	02
				बोरड़ा	1553	2664	05
				आसोप	3303	3822	05
4	बीरधोल (आंशिक)	2590	4206	सांखडा	2590	4206	07
योग	02+02 आंशिक	23370	38603	10	23370	38603	49

पुनर्गठित तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	बनेड़ा (पुनर्गठित)	7937	20773	बनेड़ा प्रथम	2725	11436	01
				बनेड़ा द्वितीय			

				कंकोलिया	2663	4245	06
				बालेसरिया	2549	5092	05
2	सरदारनगर	9099	16838	सरदारनगर	1797	4547	01
				बामणिया	2556	3512	05
				राक्षी	1911	3094	02
				सालरिया	1463	3003	02
				सुल्तानगढ़	1372	2682	04
3	उपरेड़ा	10429	14782	उपरेड़ा	2411	3405	05
				मेघरांस	1900	3155	02
				बल्दरखां	3187	4350	04
				मुशी	2931	3872	03
योग	03	27465	52393	13	27465	52393	40

पुनर्गठित उप–तहसील रायला, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	रायला (पुनर्गठित)	14633	27168	रायला	2916	9968	01
				कुण्डिया कलां प्रथम	3130	3918	01
				कुण्डिया कलां द्वितीय	554	889	02
				निम्बाहेड़ा कलां	3143	4297	06
				लम्बियां कलां	3042	4889	04
				लम्बियां खुर्द	1848	3207	03
2	डाबला	9106	13579	डाबला	3000	4453	02
				घरटा	3067	4327	02
				कासोरिया	1383	2269	01
				जासोरिया	1656	2530	02
योग	02	23739	40474	10	23739	40747	24

पुनर्गठित तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	भीलवाड़ा	5123	315834	भीलवाड़ा प्रथम	1814	315834	01
				भीलवाड़ा द्वितीय	987	0	03
				हरणी कलां	2322	0	05
2	पुर	7821	28127	पुर प्रथम	5399	22321	01
				पुर द्वितीय			
				भोपालगढ़	2422	5806	04
3	सांगानेर	8129	39558	सांगानेर	2059	21328	01
				मालोला	1747	6024	05
				पालड़ी	2511	5645	07
				आरजिया	1812	6561	07
4	पांसल (आंशिक)	4912	10565	पांसल प्रथम	2192	4441	01
				पांसल द्वितीय			
				दरीबा	2720	6124	05
5	आटूण	6650	15302	आटूण	1514	3223	02
				गठीला खेड़ा	1999	6345	05
				भोली	1648	2012	02
				मण्डपिया	1489	3722	05
6	महुआ खुर्द (पुनर्गठित)	5308	11070	महुआ खुर्द	1337	4032	01
				बबराणा	2980	4494	06
				खेडलिया	991	2544	04
योग	05+01 आंशिक	37943	420456	20	37943	420456	65

पुनर्गठित उप-तहसील कारोई कलां, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	कारोई कला	8134	16991	कारोई कला	2426	6384	04
				सेथूरिया	1147	2073	03
				जागदरी	1627	2803	05
				सांगबा	1440	2100	02
				तिलोली	1494	3631	03
2	पांसल (आंशिक)	2099	3778	गून्दली	2099	3778	03
3	गुरला	6945	13528	गुरला	2273	5612	04
				रामपुरिया	2027	3530	06
				कोचरिया	1431	2667	03
				मुझरास	1214	1719	03
योग	02+01 आंशिक	17178	34297	10	17178	34297	36

पुनर्गठित उप-तहसील सुवाणा, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	सुवाणा	6386	16875	सुवाणा	2327	7341	02
				हलेड	2137	4973	03
				कोदूकोटा	1922	4561	03
2	महुआ कला	9042	14074	महुआ कला	1812	2287	01
				खायड़ा	1416	1743	03
				सिदडियास	2682	4691	03
				रीछड़ा	3132	5353	07
3	दान्थल	7549	14190	दान्थल	2817	5670	07
				कान्दा	2312	3891	04
				रूपाहेली	2420	4629	03
योग	03	22977	45139	10	22977	45139	36

पुनर्गठित तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	माण्डल	7596	24813	माण्डल प्रथम	3626	17637	05
				माण्डल द्वितीय	31		01
				धुंवाला (मा)	2082	4031	04
				दांता कलां	1857	3145	05
2	मेजा	8548	21534	मेजा	2949	5762	06
				सुरास	1366	3474	02
				संतोकपुरा	1477	7660	07
				बावड़ी	2756	4638	06
3	भगवानपुरा	7438	15607	भगवानपुरा	2686	4956	02
				सीड़ियास	1935	5070	05
				भीमडियास	1631	3340	05
				जिन्द्रास	1186	2241	3
4	लुहारिया	7264	12433	लुहारिया प्रथम	2086	5189	02
				लुहारिया द्वितीय	1109	1826	03
				भादू	2286	3063	02
				गेगास	1783	2355	04
5	आलमास	5387	9894	आलमास	1333	2825	03
				केरिया	2938	5434	04
				हिरानियां	1116	1635	03
6	बैरां (पुनर्गठित)	10279	19504	बैरां	2709	4759	05
				रूपाहेली खुर्द	3347	4668	04
				बरण	1889	4669	04
				चमनपुरा	2334	5408	07
योग	06	46512	103785	23	46512	103785	92

पुनर्गठित उप–तहसील बागोर, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	बागोर	7274	16966	बागोर प्रथम	1802	9500	02
				बागोर द्वितीय	2417	2461	06
				भावलास	1722	2366	04
				जोरावरपुरा	1333	2639	04
2	पीथास	8399	14858	पीथास	1803	3614	03
				टहूका	2000	3926	09
				अमरगढ	2176	3570	04
				घोडास	2420	3748	04
3	लेसवा	7613	10931	लेसवा	2333	3245	05
				बावलास	2787	4372	05
				चांखेड	2493	3314	05
योग	03	23286	42755	11	23286	42755	51

आज्ञा से,

ह./–

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान–सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक :प.9(89)राज–1/2023/तहसील अण्टाली जयपुर, दिनांक 3 अगस्त, 2023

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला भीलवाड़ा की तहसील आसींद, बदनौर एवं हुरड़ा का पुनर्गठन करते हुए नवीन उप–तहसील अंटाली को क्रमोन्नत कर नवीन तहसील अंटाली का सृजन करती है।

नवीन सृजित क्रमोन्नत तहसील अंटाली, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	दांतड़ा	13066	22523	दांतड़ा	2668	3208	03
				खेजड़ी	1627	3175	03
				भीमलत	1471	2319	03
				अंटाली	1770	3969	02
				बारणी	1331	3104	03
				जालमपुरा	1491	3022	02
				फलामादा	2708	3726	03
2	गागेड़ा	10428	17926	गागेड़ा	3587	4281	04
				कानिया	1260	3625	01
				तस्वारिया	2960	4686	04
				लाम्बा	2621	5334	02
3	आकड़सादा (आंशिक)	4264	8989	मोटरास	2523	5492	04
				संग्रामगढ़	1741	3497	03
योग	02+01 आंशिक	27758	49438	13	27758	49438	37

पुनर्गठित उप–तहसील टोंकरवाड़, नवसृजित तहसील अंटाली, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	टोंकरवाड़	9552	15771	टोंकरवाड़	3203	5066	04
				कंवलियास प्रथम	1224	3099	01
				कंवलियास द्वितीय	2006	4023	03
				ऊंखलिया	1701	2195	03
				देवरिया	1418	1388	02
2	सरेरी	8496	17033	सरेरी	3105	8232	06
				गढ़वालों का खेड़ा	1647	2250	02
				बोरखेड़ा	769	2079	04
				सोडार	2975	4472	04
योग	02	18048	32804	09	18048	32804	29

पुनर्गठित उप–तहसील शंभूगढ़, नवसृजित तहसील अंटाली, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	शंभूगढ़ (पुनर्गठित)	4360	11670	शंभूगढ़	2072	5556	03
				जगपुरा	2288	6114	07
2	आकड़सादा (आंशिक)	2242	3793	आकड़सादा	2242	3793	02
3	कालियास (पुनर्गठित)	12369	20880	कालियास	3095	5590	02
				ईरांस	1867	3365	04
				जोधड़ास	1598	2575	04

				मोतीपुर	3337	4771	04
				गांगलास प्रथम	965	1023	02
				गांगलास द्वितीय	1507	3556	05
4	आमेसर (पुनर्गठित)	7159	12414	आमेसर	3568	4940	05
				बरसनी	2370	4908	01
				रूपपुरा (ब)	1221	2566	05
योग	03+01आंशिक	26130	48757	12	26130	48757	44

पुनर्गठित तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	हुरड़ा	9640	44226	हुरड़ा सेजा	1167	9123	02
				हुरडा मंगरा	4798	30970	02
				बडला	1869	2493	03
				सुल्तानपुरा	1806	1640	03
2	आगूचां	8574	16772	आगूचां प्रथम	2548	6385	01
				आगूचां द्वितीय	1667	2668	03
				कोटडी	1600	3792	03
				बराठियां	2759	3927	06
3	कालियास (रूपाहेली)	5971	11478	रूपाहेली प्रथम	2460	4085	01
				रूपाहेली द्वितीय	497	846	02
				भोजरास	1366	3160	01
				आपलियास	1648	3387	04
योग	03	24185	72476	12	24185	72476	31

पुनर्गठित तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	आसीन्द (पुनर्गठित)	11065	38607	आसीन्द	2509	16611	01
				बोरेला	2382	3518	07
				प्रतापपुरा	1050	2750	05
				दांतड़ा	1738	5275	06
				दड़ावट	2579	6095	08
				परासोली	807	4358	01
2	कांवलास	8605	17748	कांवलास	1287	2913	03
				मालासेरी	1451	3794	05
				बराणा	3328	5556	05
				नेगड़िया	2539	5485	08
3	ब्राह्मणों की सरेरी (पुनर्गठित)	7398	14892	ब्राह्मणों की सरेरी	2603	4592	01
				पालड़ी	2086	4499	03
				रूपपुरा (ला)	2709	5801	09
4	दौलतगढ़	9717	20560	दौलतगढ़	1705	5572	01
				रघुनाथपुरा	2830	6055	04
				जालरिया	3047	5112	07
				कटार	2135	3821	07
5	लाछुड़ा	7599	14677	लाछुड़ा	1891	4095	02
				रतनपुरा (ला)	2473	4096	07
				तिलोली	3235	6486	05
6	मोड़ का निम्बाहेड़ा (पुनर्गठित)	6464	12143	मोड़ का निम्बाहेड़ा	1341	4699	01
				जीवलिया	1619	1913	03
				करजालिया	1654	2294	04
				दुल्हेपुरा (क)	1850	3237	05
योग	06	50848	118627	24	50848	118627	108

पुनर्गठित तहसील बदनौर, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	बदनौर	11452	26772	बदनौर	3901	9215	02
				रतनपुरा	1628	3086	05
				मोगर	1862	5973	04
				भादसी	1619	3132	05
				भोजपुरा	2442	5366	07
2	पाटन (पुनर्गठित)	7362	19043	पाटन	1324	4035	02
				चतरपुरा	2201	6251	09
				रामपुरा	2742	5896	05
				ओझियाणा	1095	2861	03
3	परां (पुनर्गठित)	10550	24879	परां	2619	5582	05
				बाजुन्दा	3002	5303	08
				मोठी	1254	4505	05
				जेतगढ़	1494	3926	03
				चैनपुरा	2181	5563	06
योग	03	29364	70694	14	29364	70694	69

आज्ञा से,

ह./-

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(89)राज-1/2023/तहसील काछोला जयपुर, दिनांक 3 अगस्त, 2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला भीलवाड़ा की तहसील माण्डलगढ़ तथा बिजौलियां का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील काछोला को क्रमोन्नत कर नवीन तहसील काछोला का सृजन करती है।

नवीन क्रमोन्नत तहसील काछोला, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	काछोला	10835	19206	काछोला	2031	7350	01
				थल कलां	2736	4092	03
				राजगढ़	3555	4036	11
				सरथला	2513	3728	10
2	धामणिया	9509	18424	धामणिया	1656	4788	03
				जस्सूजी का खेड़ा	2744	3778	08
				मानपुरा	2414	5387	04
				रलायता	2695	4471	07
3	महुआ (पुनर्गठित)	25088	33165	महुआ	2007	5913	02
				झंझोला	3925	3168	09
				श्रीनगर	4228	6582	14
				बीकरण	4801	3903	10
				मांगटला	2872	3464	04
				माल का खेड़ा	3825	4783	04
				जलीन्द्री	3430	5352	04
योग	03	45432	70795	15	45432	70795	94

पुनर्गठित तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	माण्डलगढ़	7836	24417	माण्डलगढ़	3042	13844	07
				खाचरोल	1576	3663	04
				गेणोली	2056	3947	05
				होडा	1162	2963	03
2	सिंगोली	7980	15067	सिंगोली	2956	4254	03
				धाकड़खेड़ी	1086	3347	03
				मोटरों का खेड़ा	1569	3893	06
				सराणा	2369	3573	04
3	बीगोद	7838	28654	बीगोद	1965	14576	03
				मुकुन्दपुरिया	1456	5097	09
				कल्याणपुरा	1592	4422	10
				जालिया	2825	4559	09
4	लाडपुरा	13270	16924	लाडपुरा	4069	5698	06
				मोहनपुरा	5026	5082	10
				बल्दरखां	1132	2213	04
				फूलजी की खेड़ी	3043	3931	08
5	श्यामपुरा (पुनर्गठित)	4195	4899	श्यामपुरा	4195	4899	05
6	बरून्दनी	9652	21299	बरून्दनी	3465	8082	03
				सुरास	2371	4140	04
				जोजवा	1351	3616	01
				खटवाड़ा	2465	5461	02
योग	06	50771	111260	21	50771	111260	109

पुनर्गठित तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	बिजौलियां (पुनर्गठित)	14711	21999	बिजौलियां कलां	1361	14140	01
				भोपतपुरा	9842	5216	07
				लक्ष्मीखेड़ा	3508	2643	06
2	सलावटिया	13274	18691	सलावटिया	1388	4969	04
				आरोली	2967	5273	05
				नयानगर	5160	4182	07
				चान्दजी की खेड़ी	3759	4267	11
3	बिजौलियां खुर्द	11444	11982	बिजौलियां खुर्द	4668	3630	07
				थड़ौदा	2250	2138	04
				जायदा	2715	2651	03
				सुखपुरा	1811	3563	04
4	कास्यां	11300	19093	कास्यां	2209	5583	06
				रेसुन्दा	3408	5564	10
				गुढ़ा	3106	4098	06
				तिलस्वां	2577	3848	08
5	उमाजी का खेड़ा	8758	12366	उमाजी का खेड़ा	1909	4246	11
				गोपालपुरा	1775	3357	08
				गणेशपुरा	5074	4763	12
योग	05	59487	84131	18	59487	84131	120

आज्ञा से,

ह./-

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(68)राज-1/2023 जयपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला डूंगरपुर की तहसील सीमलवाड़ा का पुनर्गठन करते हुए नवीन उप-तहसील भण्डारी का सृजन करती है।

नवीन उप-तहसील भण्डारी (तहसील सीमलवाड़ा), जिला डूंगरपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	भण्डारी (नवसृजित)	3782	11533	भण्डारी (नवसृजित)	915	2502	04
				झलाई	1035	3207	04
				सादडीया	788	2474	02
				झरनी	1044	3350	03
2	भचडीया (पुनर्गठित)	4001	14544	भचडीया	679	2589	05
				निठाउवा (नवसृजित)	1268	3317	03
				बांकड़ा	427	2741	03
				रामसोर जुना	681	2761	04
				कनबा (नवसृजित)	946	3136	03
3	सरथुना (पुनर्गठित)	4459	12503	डूंका	1321	3932	02
				केसरपुरा (नवसृजित)	873	2556	03
				सरथूना	1312	2985	02
				माना का देव (नवसृजित	953	3030	03
योग	03	12242	38580	13	12242	38580	41

पुनर्गठित तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	सीमलवाडा (पुनर्गठित)	4469	27404	सीमलवाडा	850	8526	04
				गडापदापीठ	805	4718	02
				साकरसी	1019	6271	07
				लिखीबडी	1144	5067	04
				मेंदला (नवसृजित)	651	2822	03
2	धम्बोला	7046	26646	धम्बोला	1358	7346	05
				नागरीया पंचेला	1586	6501	08
				घुवेड	2268	5874	02
				बोडामली	1834	6925	03
3	बांसीया	4294	19411	बांसीया	1300	5822	03
				चाडोली	971	3899	02
				मेवडा	959	4602	04
				बेडसा	1064	5088	01
4	पीठ (पुनर्गठित)	5450	21695	पीठ	1067	6557	01
				जोरावरपुरा	1332	4167	03
				घोघरा	1478	5490	03
				मालाखोलडा	1573	5481	02
5	माण्डली (पुनर्गठित)	5223	20804	माण्डली	1232	4032	06
				झलाप	1245	3872	05
				सीथल	858	4358	03
				रास्ता	1888	8542	05
योग	05	26482	115960	21	26482	115960	76

नवीन उप-तहसील भण्डारी में 01 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त भण्डारी एवं 05 पटवार मण्डल भण्डारी, निठाउवा, कनबा, केसरपुरा व माना का देव नवसृजित किये जाते हैं।

पुनर्गठित तहसील सीमलवाड़ा में 01 पटवार मण्डल मेंदला का नवसृजन किया जाता है।

आज्ञा से,

ह./-

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(68)राज-1/2023 जयपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला उदयपुर की तहसील झाड़ोल का पुनर्गठन करते हुए नवीन उप-तहसील ओगणा का सृजन करती है।

नवीन उप-तहसील ओगणा (तहसील झाडोल), जिला उदयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (कार्यक्षेत्र सम्मिलित)			पटवार मण्डल का विवरण (कार्यक्षेत्र सम्मिलित)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	ओगणा	21040.43	30921	ओगणा	6726.8	8893	15
				अटाटिया	3888.55	5549	14
				गेजवी	3396.59	4857	10
				थोबावाडा	3644.74	6343	07
				काड़ा	3383.75	5276	08
2	मगवास (आंशिक)	3952.95	6583	ओड़ा	1247.73	3705	08
				रोहीमाला (नवसृजित)	2705.22	2878	07
योग	02 (1 पूर्ण 1 आंशिक)	24993.38	37504	07	24993.38	37504	69

नोट- तहसील फलासिया के सृजन होने से रोहीमाला पटवार मण्डल नवसृजित किया गया है।

पुनर्गठित तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (कार्यक्षेत्र सम्मिलित)			पटवार मण्डल का विवरण (कार्यक्षेत्र सम्मिलित)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	झाड़ोल	8321.17	21799	झाड़ोल	2669.37	7631	05
				गोदाणा	1269.43	4450	08
				बदराणा	2261.97	4364	02
				सु. का खैरवाड़ा	2120.4	5354	05
2	गोराणा	11412.25	19331	गोराणा	2424.33	4526	04
				देवास	4271.46	5858	05
				चन्दवास	2082.7	4122	06
				बा. का खैरवाड़ा	2633.76	4825	09
3	मगवास (आंशिक)	7758.45	15261	मगवास	1568.61	3765	04
				खाखड	1808.89	4085	04
				गोगला	1981.8	3657	04
				दमाणा (नवसृजित)	2399.15	3754	04
4	माकड़ादेव	19874.17	37247	माकड़ादेव	5784.65	9244	10
				लु. का खेड़ा	2054.43	5076	04
				कन्थारिया	1392.02	4258	03
				बाघपुरा	716.4	3108	02
				गोरण	2139.72	6561	07
				जेकड़ा	7786.95	9000	06
योग	04 (03 पूर्ण 1 आंशिक)	47366.04	93638	18	47366.04	93638	92

नोट– तहसील फलासिया के सृजन होने से दमाणा पटवार मण्डल नवसृजित किया गया है।

आज्ञा से,

ह./–

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(67)राज-1/2023 जयपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला दौसा की तहसील नांगल राजावतान का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील पापड़दा को तहसील में क्रमोन्नत कर तहसील पापड़दा का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील पापड़दा, जिला दौसा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (कार्यक्षेत्र में सम्मिलित)			पटवार मण्डल का विवरण (कार्यक्षेत्र में सम्मिलित)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	पापड़दा	2350.73	10411	पापड़दा-ए	510.79	7507	02
				पापड़दा-बी (नवसृजित)	697.25		
				श्यालावास	1142.69	2904	02
2	खवारावजी (नवसृजित)	3399.11	10542	खवारावजी-ए	1156.46	8841	02
				खवारावजी-बी (नवसृजित)	1523.92		
				बासना (नवसृजित)	718.73	1701	01
3	आलूदा	3671.92	13098	आलूदा	1668.13	5619	01
				आलूदा खुर्द	994.14	3971	01
				महाराजपुरा	1009.65	3508	04
4	धरणवास (नवसृजित)	1822.84	13098	धरणवास	871.95	3856	03
				हापावास	313.25	2849	02
				जौण (नवसृजित)	637.64	1118	02
योग	04	11244.60	41874	12	11244.60	41874	20

पुनर्गठित तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (कार्यक्षेत्र सम्मिलित)			पटवार मण्डल का विवरण (कार्यक्षेत्र सम्मिलित)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	नांगल राजावतान	2773.54	13128	नांगल राजावतान	767.83	5724	04
				प्यारीवास	699.96	2040	03
				देहलास (नवसृजित)	617.98	1964	05
				मलवास	637.77	3400	02
2	बड़ागांव	2626.64	9766	बड़ागांव	831.54	4866	02
				रामथला (नवसृजित)	795.97	1688	03
				ठीकरियां	999.13	3212	03
3	छारेड़ा	1856.46	10240	छारेड़ा	867.12	4427	03
				बागपुरा (नवसृजित)	435.78	1976	03
				बैजवाड़ी	553.56	3837	04
4	धूमड़ी (नवसृजित)	2139.38	8421	धूमड़ी	945.58	1489	02
				खेड़ा (नवसृजित)	425.63	2720	03
				कालीखाड	768.17	4212	06
5	लाहडी का बास (नवसृजित)	2367.25	12202	लाहडी का बास	951.76	4823	02
				मानपुरिया	750.43	3498	04
				चूडियावास	665.06	3881	07
योग	05	11713.27	53757	16	11713.27	53757	56

नोट:–

- नवसृजित क्रमोन्नत तहसील पापड़दा में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त पापड़दा व आलूदा

का पुनर्गठन कर 02 भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त खवारावजी व धरणवास तथा पटवार मण्डल पापड़दा, खवारावजी, श्यालावास, धरणवास एवं हापावास का पुनर्गठन कर 04 पटवार मण्डल पापड़दा–बी, खवारावजी–बी, जौण एवं बासना का नवसृजन किया जाता है।

- पुनर्गठित तहसील नांगल राजावतान में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त नांगल राजावतान, बड़ागांव, छारेडा का पुनर्गठन कर 02 भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त थूमड़ी एवं लाहड़ी का तथा पटवार मण्डल नांगल राजावतान, प्यारीवास, मलवास, छारेडा, बैजवाड़ी, थूमड़ी, कालीखड़ एवं चूडियावास का पुनर्गठन कर 04 पटवार मण्डल देहलास, रामथला, बागपुरा एवं खेडा का नवसृजन किया जाता है।
- उप–तहसील पापड़दा (तहसील नांगल राजावतान) के पटवार मण्डल श्यालावास में सम्मिलित ग्राम मूडघिस्या पंचायत समिति दौसा की ग्राम पंचायत नांगलचापा में स्थित होने के कारण पुनर्गठित पटवार मण्डलों को ग्राम पंचायत के अनुरूप सहसीमान्त करते हुए तहसील भांडारेज के पटवार मण्डल नांगलचापा में शामिल किया जाता है। उक्त ग्राम मूडघिस्या का कुल क्षेत्र 364.12 हैक्टेयर है, जिसे क्रमोन्नत तहसील पापड़दा में से कम किया जाकर तहसील भांडारेज के पटवार मण्डल नांगलचापा में शामिल किया जाता है।

आज्ञा से,

ह./–

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(75)राज-1/2023 जयपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला राजसमन्द की तहसील आमेट का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील सरदारगढ़ को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील सरदारगढ़ का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमंद के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	सरदारगढ	7949.67	20668	पनोतिया	1519.45	2928	04
				लोढीयाना	1980.79	3547	08
				सरदारगढ	1199.86	6600	01
				घोसुण्डी	1601.55	2820	03
2	गलवा	7445.89	14119	औलनाखेडा	1954.40	4940	09
				गलवा	2096.62	3989	06
				झौर	1777.73	3152	04
				मूरडा	1717.14	2138	03
3	सियाणा (पुनर्गठित)	6289.94	14468	जैतपुरा	2612.01	4306	05
				दोवडा	1825.09	5208	05
				सियाणा	1852.84	4954	05
योग	03	21785.5	49255	12	21785.5	49255	60

पुनर्गठित तहसील आमेट, जिला राजसमंद के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	आमेट	9485.7458	34191	आगरिया	2476.9225	6711	10
				आमेट	1896.43	17335	01
				लॉकी	2223.85	4748	10
				आईडाणा	2888.5433	5397	11
2	साकरडा	8423.78	13985	जिलोला	2255.03	4375	05
				राछेटी	1978.18	2542	07
				सेफटिया	1694.60	2952	08
				साकरडा	2495.97	4116	08
3	सैंलागुडा	12779.975	20627	खाखरमाला	2644.275	5477	09
				गोबल	3778.58	4850	08
				बीकावास	3528.51	4976	11
				सैंलागुडा	2828.31	5324	05
योग	03	30689.5008	68803	12	30689.5008	68803	93

आज्ञा से,

ह./-

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(74)राज-1/2023 दिनांक 28 सितम्बर, 2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला उदयपुर की तहसील गिर्वा का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील बारापाल को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील बारापाल का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील बारापाल, जिला उदयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	बारापाल (पुनर्गठित)	19081	32550	बारापाल	8082	11871	08
				काया	6176	7047	09
				नयाखेड़ा (नवसृजित)	459	3289	02
				टीडी	4364	10343	09
2	पडूणा	19737	34589	पडूणा	6246	9812	05
				जावर	2973	6357	06
				चणावदा	3245	6729	02
				सरू	7273	11691	05
3	नाई	13617	29215	नाई	2372	8104	03
				उन्दरी	2611	5888	02
				अलसीगढ	3906	7368	04
				पई	4728	7855	04
योग	03	52435	96354	12	52435	96354	59

पुनर्गठित तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (कार्यक्षेत्र में)			पटवार मण्डल का विवरण (कार्यक्षेत्र में)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	शहर (पुनर्गठित)	7593	11414	शहर	2005	शहरी क्षेत्र	01
				मादडी पुरोहितान	1335	शहरी क्षेत्र	04
				उमरडा	3990	7306	03
				कानपुर	263	4108	01
2	पडूणा	4707	16586	सवीना	668	शहरी क्षेत्र	03
				सवीना खेड़ा	2469	7816	04
				तितरडी	1570	8770	04
3	गोवर्धन विलास (नवसृजित).	5236	17858	गोवर्धन विलास	1192	2511	02
				डाकन कोटडा	2140	4754	02
				कलडवास	1904	10593	03
4	भोईयों की पंचोली (पुनर्गठित)	7391	27072	भोईयों की पंचोली	1345	9618	06
				देबारी	1058	4052	01
				मट्रून	1807	6097	07
				लकडवास	3181	7305	05
5	सीसारमा	12200	23583	सीसारमा	3793	7660	05
				बूझडा	1438	5315	03
				डोडावली	3479	4688	05
				बछार	3490	5920	07
योग	05	37127	ग्रामीण 96513	18	37127	ग्रामीण 96513	66
			शहरी 434744			शहरी 434744	
			योग 531257			योग 531257	

नोट

- नवीन क्रमोन्नत तहसील बारापाल में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बारापाल को पुनर्गठित कर पटवार मण्डल नयाखेड़ा का नवसृजन किया जाता है।
- पुनर्गठित तहसील गिर्वा में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त गोवर्धन विलास का नवसृजन किया जाता है।

आज्ञा से,

ह./–

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(101)राज-1/2023 जयपुर, दिनांक 04.10.2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15 सन् 1958) की धारा 260(1) (ख) प्रावधानों में निहित प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जालोर में नवीन कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीनमाल का सृजन करती है।

नवीन कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीनमाल जिला जालोर का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	उपखण्ड का विवरण (सम्मिलित होने वाली)			तहसील का विवरण (सम्मिलित होने वाली)			कुल भू-अभि. निरीक्षक वृत्त की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)			
1	भीनमाल	59123	145624	भीनमाल	59123	145624	04	16	33
2	जसवंतपुरा	105741	155762	जसवंतपुरा	105741	155762	09	35	74
योग	02	164864	301386	02	164864	301386	13	51	107

आज्ञा से,

ह./-

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(101)राज-1/2023 जयपुर, दिनांक 04.10. 2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील चित्तौड़गढ़ का पुनर्गठन करते हुए नवीन उप-तहसील सावा का सृजन करती है।

नवीन उप-तहसील सावा (तहसील चित्तौड़गढ़), जिला चित्तौड़गढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	शम्भूपुरा	6762.09	27708	सावा	1642.74	11923	01
				शम्भूपुरा	1487.92	6376	05
				चिकसी	1518.61	4260	07
				सामरी	2112.82	5149	10
2	जालमपुरा (पुनर्गठित)	5266.37	13949	जालमपुरा	2200.73	4142	05
				सेमलिया	1412.30	4112	05
				अरनियापंथ	1653.34	5695	07
योग	02	12028.46	41657	07	12028.46	41657	37

पुनर्गठित तहसील चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	चित्तौड़गढ (पुनर्गठित)	9984.50	135030	चित्तौड़गढ	2064.38	57402	03
				सैंती	1288.89	34642	02
				ओछडी	1457.56	8149	04
				धनेतकलां	1873.58	27113	05
				सहनवा	1555.40	3825	03
				देवरी	1744.69	3899	07
2	घोसुण्डा	9327.82	22160	घोसुण्डा	1585.98	5909	02
				तुम्बडिया	2126.62	3935	04
				सतपुडा	1669.07	4316	08
				नेतावल महाराज	2069.49	4130	06
				ओडून्द	1876.66	3870	03
3	पाण्डोली	10195.80	24223	पाण्डोली	1713.38	4127	02
				कश्मोर	1792.85	6232	05
				नारेला	2284.52	4438	06
				बडोदिया	2533.39	5585	06
				रोलाहेडा	1871.66	3841	04
4	घटियावली	9026.32	18418	घटियावली	2004.05	5241	01
				ऐराल	1815.62	4866	07
				उदपुरा	2378.88	3341	14
				गिलुण्ड	2827.77	4970	03
योग	04	38534.44	199831	20	38534.44	199831	95

आज्ञा से,

ह./–

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(89)राज-1/2023/बीकानेर   जयपुर, दिनांक 06.10.2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला बीकानेर की तहसील खाजूवाला एवं पूंगल का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील दंतौर को तहसील पूंगल से पृथक कर तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर में सम्मिलित करती है।

पुनर्गठित तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)		पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	बेरियावाली	44986	05 केजेडी	2360	11831	02
			सामरदा	6068	4489	01
			22 केवाईडी	5966	6764	05
			07 एसएसएम	13118	2642	02
			गुलुवाली	17474	3587	06
2	17 केवाईडी	29866	17 केवाईडी	2258	4451	02
			34 केवाईडी	14673	5609	03
			104 आरडी	5850	5526	02
			28 बीडी	7085	6996	03
3	06 पीएचएम	32804	06 पीएचएम	12729	1525	08
			14 बीडी	7581	8173	06
			माधोडिग्गी	7357	2660	04
			05 केवाईडी	5137	6603	08
योग	03	107656	13	107656	70856	52

उप–तहसील दंतौर, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर						
4	दंतौर	59157	दंतौर	16721	5989	01
			आनन्दगढ़	12955	1707	01
			पिरणवाली	6899	2400	0
			बल्लर	22582	4313	02
5	जीरोआरडी	29975	साहूवाला	11379	1070	01
			जीरोआरडी	11827	1705	02
			डेरी पोस्ट	6769	690	01
योग	02	89132	07	89132	17874	08
महा योग	05	196788	20	196788	88730	60

पुनर्गठित तहसील पूंगल, जिला बीकानेर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)		पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	पूंगल	24258	पूंगल	8259	5115	02
			11–14 एडी	4857	625	03
			खीरसर	5482	2528	02
			गंगाजली	5660	2105	01
2	धोधा	25323	धोधा	7308	1007	02
			डण्डी	7685	3639	03
			8 डीकेडी	4377	1202	02
			कंकराला	5953	1303	02
3	करणीसर भटियान	65133	करणीसर भाटियान	24899	2688	03
			बान्दरेवाला	16059	3440	04
			सियासर पंचकोसा	17022	3101	03
			धारूसर	7153	1522	01
4	आडूरी	35604	आडूरी	6557	3188	01
			गोगलीवाला	6688	2102	02

			हनुमाननगर	10399	3340	02
			मैकेरी	11960	2503	05
5	अमरपुरा	53478	अमरपुरा	19362	3185	01
			भानीपुरा	23619	2749	02
			नाडा	6322	2320	01
			रावताआबादी	4175	2415	02
6	डेलीतलाई	31727	डेलीतलाई	14959	3910	02
			सम्मेवाला	10176	2647	03
			शिवनगर	3220	2798	01
			आसापुरा	3372	1416	00
7	2 एडीएम	31987	2 एडीएम	8001	2542	03
			2 डीबीएम	7890	1052	01
			राणीसर	7395	2209	03
			रसूलसर डबेर	8701	2342	03
योग	07	267510	28	267510	68993	60

आज्ञा से,

ह./–

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(81)राज-1/2023 जयपुर, दिनांक 06.10.2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 20 (घ) (1) एवं धारा 260(1)(ख) में निहित प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला टोंक में नवीन अतिरिक्त जिला कलक्टर, मालपुरा का सृजन करती है।

नवसृजित कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, मालपुरा, जिला टोंक का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	उपखण्ड का विवरण (सम्मिलित किये गये)			तहसील का विवरण (सम्मिलित किये गये)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)			
1	मालपुरा	148388	240909	मालपुरा	148388	240909	15	59	170
2	पीपलू	68216	115629	पीपलू	68216	115629	09	35	126
योग	02	216604	356538	02	216604	356538	24	94	296

आज्ञा से,

ह./-

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(100)राज-1/2023 जयपुर, दिनांक 06.10.2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला गंगापुरसिटी की तहसील टोडाभीम का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील बालघाट को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील बालघाट का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील बालघाट, जिला गंगापुरसिटी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	बालघाट	3638.07	10996	बालघाट	1573.15	5510	03
				भन्डारी अन्दरूनी	2064.92	5486	05
2	नांगल शेरपुर	3805.40	15860	नांगल शेरपुर	639.63	5305	01
				पहाडी	1504.59	4290	02
				खिलचीपुर मीना	621.53	1031	03
				कन्जौली	1039.65	5234	04
3	महस्वा	4356	14802	महस्वा ए	2071.57	6684	01
				महस्वा बी			
				उर्दैन	1420.26	4501	06
				रानौली	864.17	3617	02
4	भोपुर	3690.86	19535	भोपुर	645.53	3651	02
				निसूरा	749.78	5465	01

				किरवाडा	1286.53	6179	04
				शेखपुरा	1009.02	4240	03
5	मूडिया	3965.91	19899	मूडिया	835.15	6814	01
				लपावली	563.48	4152	02
				सिघनिया	1397.74	4620	07
				कटारा अजीज	1169.54	4313	04
6	कमालपुरा	5101.30	17241	कमालपुरा	1796.96	4769	02
				मोरडा	1919.17	7470	04
				धवान	572.25	1896	02
				मोहनपुरा	812.92	3106	01
योग	06	24557.54	98333	22	24557.54	98333	60

पुनर्गठित तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुरसिटी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	टोडाभीम (पुनर्गठित)	2890.13	27340	टोडाभीम 11 बिस्वा	1484.6	23046	01
				टोडाभीम 9 बिस्वा	503.85		
				मांचडी	901.68	4294	02
2	पाडला खालसा (नवसृजित)	2290.91	12934	भजेडा	855.16	4611	03
				पाडला खालसा	715.58	3871	03
				भनकपुरा	720.17	4452	04
3	सांकरवाडा (पुनर्गठित)	2661.23	9994	सांकरवाडा	993.1	5753	03
				भूड़ा	365.03	1441	01
				भीमपुर	1303.1	2800	04
4	करीरी (पुनर्गठित)	2503.02	13211	करीरी	660.7	4612	03
				मेरेडा	669.24	3581	04
				खेडी	1173.08	5018	03

5	भैसापट्टी खुर्द (पुनर्गठित)	2383.53	13273	भैसापट्टी खुर्द	686.71	4649	02
				झाडीसा	484.21	2462	02
				मातासूला	1212.61	6162	05
6	पदमपुरा (पुनर्गठित)	3913.20	13078	पदमपुरा	1376.52	5557	03
				गोरडा	1331.13	3892	02
				खोहरा	1205.55	3629	02
7	मान्नौज (नवसृजित)	2172.14	10491	शहराकर	573.79	4461	04
				महेन्द्रवाडा	764.14	2120	04
				मान्नौज	834.21	3910	03
8	अजीजपुर (नवसृजित)	2327.39	13788	अजीजपुर	940.47	4882	03
				मण्डेरू	755.47	4391	02
				नांगल माडल	631.45	4515	03
योग	08	21141.55	114109	24	21141.55	114109	66

नोट–

- पुनर्गठित तहसील टोडाभीम में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त सांकरवाडा में से पटवार मण्डल भजेडा, पाडला खालसा और भनकपुरा को पृथक कर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त पाडला खालसा नवसृजित किया जाता है।
- भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त टोडाभीम में से पटवार मण्डल महन्द्रवाडा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त पदमपुरा में से पटवार मण्डल शहराकर एवं मान्नौज पृथक कर नवीन भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त मान्नौज नवसृजित किया जाता है।
- भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त करीरी में से पटवार मण्डल अजीजपुर व मण्डेरू एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त भैसापटटी खुर्द में से पटवार मण्डल नांगलमाडल को पृथक कर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त अजीजपुर नवसृजित किया जाता है।

आज्ञा से,

ह./–

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(68)राज-1/2023 जयपुर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला बून्दी की तहसील इन्द्रगढ एवं उपतहसील लाखेरी का पुनर्गठन कर नवीन उप-तहसील देईखेड़ा (तहसील इन्द्रगढ) का सृजन करती है।

नवीन उप-तहसील देईखेड़ा (तहसील इन्द्रगढ), जिला बून्दी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	लबान	8899.54	14343	देईखेड़ा	1676.19	4171	02
				लबान	1446.34	3179	01
				खरायता	3004.15	3445	04
				गुहाटा	2772.86	3548	02
2	घाट का बराना	9543.56	12122	घाट का बराना	2965.78	4421	04
				धरावन	1457.99	2347	04
				नोताडा	1767.18	1702	02
				रेबारपुरा	3352.61	3652	05
योग	02	18443.1	26465	08	18443.1	26465	24

पुनर्गठित तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	इन्द्रगढ	8114.39	20333	इन्द्रगढ	1361.69	7444	01
				बाबई	1849.75	2917	03
				बोहरियागांव	1781.03	3050	08
				मोहनपुरा	3121.02	6922	06
2	बलवन	9049.25	12321	बलवन	3235.05	3324	08
				चाणदाखुर्द	2052.5	2765	08
				नवलपुरा	1526.03	3882	08
				सखावदा	2235.67	2350	05
3	सुमेरगंजमण्डी	7839.54	17088	सुमेरगंजमण्डी	1098.75	7822	05
				गुढ़ा	1717.21	2841	05
				दौलतपुरा	2580.43	4537	11
				पापड़ा	2443.15	1888	03
योग	03	25003.18	49742	12	25003.18	49742	71

पुनर्गठित उप–तहसील लाखेरी (तहसील इन्द्रगढ़) जिला बून्दी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (वर्ष 2011)	
1	लाखेरी	12923.4	40097	लाखेरी	3560.35	30873	01
				पापड़ी	2725.64	3065	04
				उतराना	4419.63	3641	05
				दगारिया	2217.78	2518	05
2	बड़ाखेड़ा	9696.77	10958	बड़ाखेड़ा	2551.72	4322	01
				खाकटा	1928.67	2444	03
				माखीदा	2229.8	1839	03
				बसवाडा	2986.58	2353	05
योग	02	22620.17	51055	08	22620.17	51055	27

आज्ञा से,

ह./–

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(68)राज-1/2022 जयपुर, दिनांक 06.10.2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला बाड़मेर की तहसील गडरा रोड एवं उपतहसील हरसानी का पुनर्गठन करते हुए पटवार मण्डल राणासर को भू-निरीक्षक अभिलेख वृत्त गडरारोड में शामिल करती है।

पटवार मण्डल चेतरोडी के राजस्व ग्राम रावतसर, मेहराणियों की बस्ती, भाखरपुरा, सालमसिंह की बस्ती, लाम्बाड़ा, मेदूसर को पटवार मण्डल खानियानी तहसील गडरारोड में सम्मिलित करती है।

पटवार मण्डल खबडाला के राजस्व ग्राम दाना, ढगारी, सिरगुवाला मठाराणी मेघवाल, इन्द्रपुरा को पटवार मण्डल बीजावल तहसील गडरारोड में सम्मिलित करती है।

पटवार मण्डल गिराब के राजस्व ग्राम रतरेडी खुर्द, जीणे की बस्ती, गुजरी व पटवार मण्डल बन्धडा के राजस्व ग्राम डामड, कमाल की बस्ती, केलनली, रतरेडी कला, रूपागर, केलनली कला को पटवार मण्डल खलीफे की बावड़ी तहसील गडरारोड में सम्मिलित करती है।

शेष क्षेत्र पूर्व अधिसूचना अनुसार यथावत रहेगा।

आज्ञा से,

ह./-

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(18)राज-1/2022 जयपुर, दिनांक 06.10.2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा जिला बाड़मेर एवं बालोतरा का पुनर्गठन करते हुए पटवार मण्डल आमलिया, तहसील गुडामलानी, जिला बाडमेर को भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा में सम्मिलित करती है एवं राजस्व ग्राम चिपडी नाड़ी, पटवार मण्डल आसुओं की ढाणी तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर से हटाकर जिला बालोतरा की तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल नहरा की ढाणी में सम्मिलित करती है। शेष क्षेत्र पूर्व अधिसूचना अनुसार यथावत रहेगा।

आज्ञा से,

ह./-

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान–सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(68)राज–1/2022 जयपुर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2023

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला गंगापुर सिटी एवं करौली का पुनर्गठन करते हुए तहसील हिण्डौन जिला करौली के पटवार मण्डल कुढावल, बौंल, जौंल एवं बदलेरा खुर्द को भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बौंल तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी में सम्मिलित किया जाता है।

शेष क्षेत्र पूर्व अधिसूचना अनुसार यथावत रहेगा।

आज्ञा से,

ह./–

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(18)राज-1/2022 जयपुर, दिनांक 06.10.2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला नीमकाथाना एवं झुंझुनूं का पुनर्गठन करते हुए जिला नीमकाथाना की तहसील खेतड़ी, पटवार मण्डल जंगल सलेदी गांव के राजस्व ग्राम चरणसिंह नगर एवं पटवार मण्डल बड़ाऊ के राजस्व ग्राम शिवनगर को पटवार मण्डल चारावास, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं सम्मिलित किया जाता है।

जिला झुंझुनूं तहसील गुढ़ागौड़जी के पटवार मण्डल मानोता जाटान के ग्राम ढाणी बाढान को पटवार मण्डल जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना में सम्मिलित किया जाता है।

शेष क्षेत्र पूर्व अधिसूचना अनुसार यथावत रहेगा।

आज्ञा से,

ह./-

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(89)राज-1/2023 जयपुर, दिनांक 07.10.2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15, सन् 1956) की धारा 20 (घ) (1) एवं धारा 260 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं इस संबंध में जारी की गई पूर्व अधिसूचनाओं का आंशिक अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य में नवीन जिलों के गठन/पुनर्गठन से प्रभावित संबंधित जिलों के अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालयों का पुनर्गठन करते हुये 6 नवीन अतिरिक्त जिला कलक्टर यथा ब्यावर (जिला ब्यावर), शाहपुरा (जिला शाहपुरा), अनूपगढ़ (जिला अनूपगढ़), सांचौर (जिला सांचौर), सलूम्बर (जिला सलूम्बर), खैरथल (जिला खैरथल-तिजारा) कार्यालयों का नवसृजन एवं उनका क्षेत्राधिकार निर्धारित करती हैं।

नवीन 6 जिलों में नवसृजित अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अन्य नवीन जिलों में पुनर्गठित अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार रहेगा :-

क्र.सं.	नाम जिला	नवीन अतिरिक्त जिला कलक्टर	नवीन अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय का क्षेत्राधिकार
1	ब्यावर	ब्यावर	सम्पूर्ण ब्यावर जिला
2	शाहपुरा	शाहपुरा	सम्पूर्ण शाहपुरा जिला
3	अनूपगढ़	अनूपगढ़	सम्पूर्ण अनूपगढ़ जिला
4	सांचौर	सांचौर	सम्पूर्ण सांचौर जिला
5	सलूम्बर	सलूम्बर	सम्पूर्ण सलूम्बर जिला
6	खैरथल-तिजारा	खैरथल-तिजारा	ADM भिवाडी के क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त खैरथल-तिजारा का सम्पूर्ण क्षेत्रफल
7	डीग	डीग	सम्पूर्ण डीग जिला
8	गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी	सम्पूर्ण गंगापुरसिटी जिला
9	बालोतरा	बालोतरा	सम्पूर्ण बालोतरा जिला
10	कोटपूतली-बहरोड़	कोटपूतली-बहरोड़	सम्पूर्ण कोटपूतली-बहरोड़ जिला
11	नीम का थाना	नीम का थाना	सम्पूर्ण नीम का थाना जिला

12	दूदू	दूदू	सम्पूर्ण दूदू जिला
13	फलौदी	फलौदी	सम्पूर्ण फलौदी जिला
14	केकड़ी	केकड़ी	सम्पूर्ण केकड़ी जिला

आज्ञा से,

ह./–

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(18)राज-1/2022 जयपुर, दिनांक 07.10.2023

-: संशोधित अधिसूचना-।। :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बीकानेर एवं अनूपगढ़ का पुनर्गठन बाबत् पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 एवं 07.10.2023 को अतिक्रमित करते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला अनूपगढ़ की तहसील खाजूवाला एवं छत्तरगढ़ को जिला अनूपगढ़ से पृथक कर जिला बीकानेर में सम्मिलित करती हैं।

पुनर्गठित जिला अनूपगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित उपखण्ड एवं तहसील सम्मिलित होंगे:-

नाम जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
अनूपगढ़	1 अनूपगढ़	अनूपगढ़
	2 रायसिंहनगर	रायसिंहनगर
	3 श्रीविजयनगर	श्रीविजयनगर
	4 घड़साना	घड़साना
		रावला
योग	4	5

पुनर्गठित जिला बीकानेर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित उपखण्ड एवं तहसील सम्मिलित होंगे :-

नाम जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
बीकानेर	1 बीकानेर	बीकानेर
	2 लूणकरणसर	लूणकरणसर
	3 नोखा	नोखा
		जसरासर
	4 पूंगल	पूगल
	5 श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़
	6 कोलायत	कोलायत
		हदा
	7 बज्जू	बज्जू
	8 छत्तरगढ़	छत्तरगढ़
	9 खाजूवाला	खाजूवाला
योग	9	11

आज्ञा से,

ह./-

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(107)राज-1/2023/तहसील/पाटोदी जयपुर, 07.10.2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 एवं. 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला बालोतरा की तहसील पचपदरा का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील पाटोदी को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील पाटोदी का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)		पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)	
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	बागावास	21201	बाणियावास	5543
			बागावास	9663
			सिमरखिया	5995
2	बडनावा	21995	खनोडा	4824
			बडनावा	4368
			नवातला	7295
			नवोडा बेरा	5508
3	पाटोदी	23657	कालेवा	5001
			रिछोली	3785
			पाटोदी	6791
			चिलानाडी	6095
4	साजियाली पदमसिंह (पुनर्गठित)	17546	सांभरा	5707
			साजियाली रूपजी राजाबेरी	5763
			साजियाली पदमसिंह	6061
योग	04	84399	14	84399

पुनर्गठित तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का विवरण (सम्मिलित होने वाले)		पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित होने वाले)	
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	दूधवा (पुनर्गठित)	25237	खट्टू	5418
			दूधवा	6662
			चादेसरा	3058
			गोल	10099
			आकडाली बक्सीराम	8812
2	जसोल	22347	जागसा	8500
			जसोल	3447
			टापरा	5333
			असाडा	5067
3	आसोतरा	13871	कीटनोद	3415
			माजीवाला	928
			बिठूजा	3401
			आसोतरा	6127
4	बालोतरा (पुनर्गठित)	18293	खेड	7012
			मूंगड़ा	5494
			बालोतरा I	1686
			बालोतरा II	1215
			रामसीन	2886
5	कनाना (पुनर्गठित)	19827	सराणा	3328
			कनाना	2867
			पारलू	3608
			उमरलाई	6056
			जानियाना	3968
6	तिलवाडा	30403	कालूड़ी	7140
			मेवानगर	8161
			सिणली जागीर	8035
			तिलवाड़ा	7067
7	पचपदरा	26962	पचपदरा	6357
			गोपड़ी	3591
			रेवाड़ा मैया	8202
योग	07	156940	30	156940

आज्ञा से,

ह./-

(बाल मुकुन्द असावा)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प.13(1)राज-1/2020 जयपुर, दिनांक 05.12.2023

-: परिपत्र :-

विभाग में वर्तमान में लागू ऑनलाईन नामांतकरण प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं नामान्तकरणों के त्वरित व समयबद्ध निस्तारण करने के उद्देश्य से राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 169 एल में निर्हित प्रावधानों में रजिस्टर्ड दस्तावेजों एवं विरासत के नामान्तकरणों में निम्नानुसार नवीन व्यवस्था की जाती है।

1. रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण एवं जमाबन्दी में अंकन :-

1. पंजीयन विभाग में विक्रय दस्तावेज पंजीयन होने के साथ ही ई-धरती पोर्टल के माध्यम से ही नामान्तकरण दस्तावेज तैयार किया जावेगा तथा उक्त नामान्तकरण को ऑनलाइन ही निबंधक / उप-निबंधक, राजस्व मण्डल को जारी Server certification द्वारा स्वतः स्वीकृत किया जावेगा।
2. उक्त स्वीकृत नामान्तकरण के आधार पर जमाबन्दी में आवश्यक इन्द्राज ऑनलाइन स्वतः (Auto) दर्ज किये जायेंगे।

2. विरासत रहन, रहनमुक्त आदि के नामान्तकरण:-

1. विरासत रहन, रहनमुक्त आदि के नामान्तकरण संबंधित आवेदक द्वारा अपना खाता पोर्टल अथवा ई-मित्र के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. विरासत आदि के नामान्तकरण ई-मित्र एवं अपना खाता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही संबंधित पटवार मण्डल के पटवारी की आई-डी पर प्रदर्शित होंगे।
3. पटवारी द्वारा उक्त आवेदन / नामान्तकरण पर अधिकतम 05 दिवस की अवधि में जांच कार्यवाही किया जाकर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच / तहसीलदार की आई-डी पर ऑनलाइन अग्रेषित करना होगा। पटवारी द्वारा उक्त अवधि में निस्तारित नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र स्वतः ही (Auto Forward) होकर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की आई.डी. पर अग्रेषित हो जायेगा।
4. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा उक्त नामान्तकरण को अधिकतम 20 दिवस में निस्तारित करना आवश्यक होगा। सरपंच द्वारा निर्धारित 20 दिवस की अवधि में नामान्तकरण का निस्तारण नहीं किये जाने पर उक्त नामान्तकरण संबंधित तहसीलदार की आई-डी पर स्वतः ही (Auto Forward) होकर स्थानान्तरित हो जायेगा।

5. तहसीलदार द्वारा नामान्तकरणों को 07 दिवस में निस्तारित किया जाना आवश्यक होगा। तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तकरणों को 07 दिवस में निस्तारित नहीं किये जाने पर स्वतः Auto Lock होकर स्वतः स्वीकृत हो जायेगा।

III. निबंधक, राजस्व मण्डल द्वारा ऑनलाइन नामान्तकरण की उक्त प्रक्रिया हेतु प्रत्येक पटवारी/नायब तहसीलदार/सरपंच ग्राम पंचायत की SSO ID का ई-धरती साफ्टवेयर पर मैपिंग करवाया जायेगा।

उक्त ऑनलाइन नामांतकरण प्रक्रिया को दिनांक 07.12.2023 में समस्त ऑनलाइन तहसीलों में प्रारम्भ किया जायेगा।

(एम.डी. रत्नू)
शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प.7(1)राज-6/2016पार्ट/03 जयपुर, दिनांक 27.03.2024

-: परिपत्र :-

राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 169 एल में निर्हित प्रावधानों में पंजीकृत दस्तावेजों के नामान्तरण के स्वत: अग्रेषण की प्रक्रिया के संबंध में संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर से खामियां होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण नामान्तरण की स्वत: अग्रेषित प्रक्रिया में निम्नानुसार बदलाव किया जाता है:-

1. पटवारी पंजीकृत दस्तावेज को देख सकेगा।
2. पंजीयन में लिपिकीय त्रुटि होने पर पटवारी उसको सही कर सकेगा।
3. उक्त प्रक्रिया 7 दिवस में पूर्ण की जावेगी।
4. पटवारी द्वारा निर्धारित अवधि में जांच नहीं करने पर नामन्तरण स्वत: अग्रेषित होगा।
5. अगले स्तर सरपंच द्वारा निर्धारित अवधि तक नामान्तकरण निस्तारित न करने पर नामान्तकरण तहसीलदार के स्तर पर स्वत: अग्रेषित होगा।
6. तहसीलदार के स्तर पर निर्धारित समय पर नामान्तरण निस्तारित न होने पर ऑटो लॉक होगा।

(बिरदी चन्द गंगवाल)
शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प.7(1)राज-6/2016पार्ट जयपुर, दिनांक 16.12.2023

-: परिपत्र :-

विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(1) राज-1/2020 दिनांक 5.12.2023 द्वारा ऑनलाइन नामांतकरण प्रकरणों को और पारदर्शी व नामांतकरणों के त्वरित व समयबद्ध करने के उद्देश्य से राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 169एल में निहित प्रावधानों के तहत ऑनलाइन नामांतकरण स्वीकृति एवं जमाबंदी में इन्द्राज बाबत निर्देश जारी किये गये।

उक्त परिपत्र की निरंतरता में आवंटन, लीज, भूमि रूपान्तरण व न्यायालय आदेश के अनुसरण में खोले जाने वाले नामांतकरणों के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

भूमि आवंटन, लीज, भूमि रूपान्तरण व न्यायालय आदेश के अनुसरण में खोले जाने वाले नामांतकरण

1. भूमि आवंटन, लीज, भूमि रूपान्तरण व न्यायालय आदेश की प्रति के साथ संबंधित आवेदक द्वारा अपना खाता पोर्टल अथवा ई-मित्र के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. उक्त आवेदन पत्र ऑनलाइन ही संबंधित पटवार मण्डल के पटवारी की आईडी पर प्रदर्शित होंगे।
3. पटवारी द्वारा उक्त आवेदन अधिकतम 05 दिवस की अवधि में अपनी जांच टिप्पणी सहित तहसीलदार को अग्रेषित किये जायेंगे। पटवारी द्वारा उक्त अवधि में निस्तारित नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र स्वतः ही तहसीलदार को अग्रेषित होंगे।
4. संबंधित तहसीलदार द्वारा प्राप्त नामांतकरण प्रकरणों को 20 दिवस की अवधि में निस्तारित करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में निस्तारण नहीं किये जाने पर नामांतकरण स्वतः ऑनलाइन स्वीकृत होकर इसकी प्रविष्टि जमाबंदी में स्वतः ऑनलाईन दर्ज होगी।

उक्त प्रक्रिया दिनांक 14.01.2024 से प्रभावी होगी।

(एम0डी0 रत्नू)
शासन उप सचिव

राजस्व समाचार

राज्य स्तरीय निबंध एवं सर्वश्रेष्ठ निर्णय के लिए श्रेष्ठ प्रतिभागियों का सम्मान

राज्य भर से आए प्रशासनिक अधिकारी एवं विजेता प्रतिभागी हुए पुरस्कृत

बेहतर अनुशासन, नियमितता व समयबद्धता से बढ़ायें न्यायालयों की प्रतिष्ठा–राजेश्वर सिंह

अजमेर 14 फरवरी। राजस्व मण्डल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि राजस्व न्यायालयों को अपनी कार्यप्रणाली में श्रेष्ठ अनुशासन, नियमितता एवं जन साधारण के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाते हुए सेवाएं देने की महती आवश्यकता है।

श्री सिंह राजस्व मंडल सभागार में आयोजित राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं नवाचारों को लेकर वर्ष 2023 में आयोजित निबंध प्रतियोगिता एवं राज्य के राजस्व अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर से पारित सर्वश्रेष्ठ राजस्व निर्णय प्रतियोगिता के श्रेष्ठ प्रतिभागियों के सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। इस समारोह में निबन्ध प्रतियोगिता के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग तथा अभिभाषक व आम नागरिक वर्ग के तहत राज्यभर से प्राप्त प्रविष्टियों में से मूल्यांकन आधार पर श्रेष्ठ निबन्ध लेखन के लिए चयनित प्रतिभागी पुरस्कृत हुए।

उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को चाहिये कि वे निर्णय पूर्ण तथ्य, विधिक प्रावधानों एवं विस्तारपूर्वक लिखें। निर्णय लेखन में न्यायालय की प्रक्रिया की अक्षरशः पालना की जावे।

उन्होंने निर्णय गुणवत्ता के लिये पीठासीन अधिकारी एवं अभिभाषकगण के नवीनतम ज्ञान से अद्यतन रहने की जरूरत बताते हुए कहा कि वे अपनी पूर्ण बौद्धिक क्षमता एवं लेखन कौशल का उपयोग करते हुए निर्णय पारित करें।

उन्होंने कहा कि अनावश्यक राजस्व विवादों को रोकने के लिए भू अभिलेख को नियमित तौर पर आदिनांक किया जाए। उन्होंने इसके लिए सभी राजस्व प्रशासनिक इकाइयों के बीच बेहतरीन तालमेल से कार्य करने पर जोर दिया, जिससे राजस्व रिकार्ड में भूमि का सही अंकन हो सके। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे निरीक्षण के दौरान विविध पत्रावलियों का बारीकी से अध्ययन करें। यह भी ध्यान रखें कि बार–बार तिथियां देने से प्रकरण अनावश्यक लम्बित न रहें। निर्णय लेखन में तथ्यों का पूरा ध्यान

रखा जाये, न्यायालयों में एकतरफा कार्यवाही के आधार पर निर्णय पारित न हो।

शिविरों में भूमि आवंटन के मामलों में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवंटित की जाने वाली भूमि का भी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे ताकि अतिक्रमण की स्थिति न बनने पाए।

निबन्धक श्री महावीर प्रसाद ने कहा कि निर्णय लेखन कार्यशाला, निबन्ध लेखन व निर्णय लेखन प्रतियोगिताओं की बदौलत राजस्व न्यायालयों में आशानुरूप गुणात्मक सुधार आया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यशाला व प्रतियोगी गतिविधियां सतत तौर पर जारी रखी जायेंगी। न्यायालयों को श्रेष्ठ निर्णय लेखन के लिए महत्वपूर्ण तत्वों को अपनाना होगा तभी राजस्व न्यायालयों की उपयोगिता सिद्ध होगी।

मण्डल के वरिष्ठ सदस्य श्री रामनिवास जाट ने कहा कि राजस्व अदालतों को सिविल न्यायालयों की कार्य प्रणाली के समान ही कानूनी प्रक्रियाओं, मानदण्डों एवं गुणवत्ता का अनुकरण करना होगा। तभी न्याय की कल्पना साकार होगी। उन्होंने राजस्व न्यायालयों को निरन्तर समय देने की आवश्यकता जताई।

भरतपुर संभागीय आयुक्त श्री सांवरमल वर्मा ने कहा कि न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी स्वयं की भागीदारी के बगैर निर्णय लेखन की गुणवत्ता संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्व मण्डल स्तर पर लागू नवाचारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहनकारी बताया।

राजसमंद कलक्टर डॉ. भंवरलाल ने राजस्व न्यायालयों का नियमित आयोजन, निर्णयों में गुणवत्ता, पुराने प्रकरणों का निस्तारण को प्रभावी ढंग से लागू करने से न्याय प्रणाली को सशक्त बनाया जा सकता है।

विधि छात्रा (कोटा) प्रियंका सिंह ने कहा कि मण्डल स्तर से प्रशासनिक, कार्मिक, अभिभाषक एवं आम नागरिकों के लिए निबन्ध प्रतियोगिताएं आयोजित किया जाना लोक-कल्याण के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है।

इस अवसर पर राजस्व मण्डल सदस्य गणेश कुमार, अविनाश चौधरी, सुरेन्द्र माहेश्वरी, कमला अलारिया, भंवर सिंह सान्दू, भवानी सिंह पालावत, महेन्द्र लोढ़ा, उप निबन्धक दुली चन्द मीणा, सुनीता यादव, पूर्व उप निबन्धक सुरेश सिन्धी सहित मण्डल के वरिष्ठ अधिकारी, कार्मिक एवं अभिभाषक मौजूद थे।

इन्हें मिला सम्मान

राजस्व न्यायालयों के स्तर से विगत वर्ष 2022-23 के दौरान पारित किए गए

निर्णयों में से सर्वश्रेष्ठ निर्णय का चयन कर उसका राजस्व मंडल के स्तर पर मूल्यांकन किया गया। इनमें तीन स्तर से सर्वश्रेष्ठ निर्णय घोषित किये गए। इनमें भरतपुर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा के निर्णय को राज्य स्तर पर प्रथम तथा कोटा के राजस्व अपील प्राधिकारी मनोज कुमार को राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान, संभाग स्तर पर चयनित सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सिरोही जिला कलेक्टर डॉ. भंवर लाल के निर्णय तथा जिला स्तर पर चयनित सर्वश्रेष्ठ निर्णय में नवलगढ़ सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमती दमयंती कंवर के निर्णय को सर्वश्रेष्ठ निर्णय के लिये सम्मानित किया गया।

पंचवर्षीय निबंध प्रतियोगिता के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी वर्ग में बाड़मेर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की प्रविष्टी को प्रथम स्थान मिला है। इसी प्रकार राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी वर्ग से राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर रिछपाल सिंह बुरड़क को प्रथम, राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग से राजस्व मंडल भू अभिलेख शाखा के वरिष्ठ सहायक अशोक कुमार खीचड़ की प्रविष्टि को प्रथम, अनूपगढ़ जिला कलेक्टर के रीडर अटल चुघ को द्वितीय जबकि उपखंड अधिकारी कार्यालय फलौदी के वरिष्ठ सहायक नरपत राम चौधरी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

इसी प्रकार अधिवक्ता वर्ग में डीग के अधिवक्ता प्रवीण कुमार चौधरी प्रथम, श्रीगंगानगर के अधिवक्ता रंजीत सारडीवाल द्वितीय तथा राजस्व मंडल अजमेर के अधिवक्ता जुगराज सैनी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। आम नागरिक वर्ग में डॉ. गिरवर सिंह राठौड़ जयपुर को प्रथम, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी राकेश गौड़ को द्वितीय जबकि कोटा की प्रियंका सिंह को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

राजस्व मंडल अध्यक्ष ने ली महत्वपूर्ण बैठक

बार व बेंच बेहतर समन्वय से करें प्रकरणों का त्वरित निस्तारण-राजेश्वर सिंह

अजमेर। राजस्व मंडल न्यायालय में लंबित पत्रावलियों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सभी मंडल सदस्य एवं बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अभिभाषकगण की मौजूदगी में विविध महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

अध्यक्ष ने कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध प्रकरणों में बहस योग्य प्रकरणों को

प्राथमिकता के आधार पर सुनने के निर्देश दिए जिससे प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण संभव हो सके। साथ ही उन्होंने अपूर्ण पत्रावलियों को पूर्ण करने की दिशा में अधीनस्थ न्यायालयों को समय-समय पर स्मरण पत्र व आवश्यक होने पर अर्द्ध शासकीय पत्र भी जारी करने के निर्देश दिए ।

बैठक में मंडल स्तर पर प्रकरणों में दिए जाने वाले स्थगन को आगामी आदेशों तक के लिए माना जाने एवं इसकी पुख्ता सूचना सभी अधीनस्थ न्यायालयों को भी दिए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्ण पत्रावलियों के साथ कनेक्ट पत्रावलियां अपूर्ण होने की स्थिति हो ऐसे प्रकरणों को पीठ के समक्ष सूचीबद्ध न करने के भी निर्देश दिए गए ताकि न्यायालय का समय अनावश्यक व्यर्थ ना हो।

वर्तमान स्थान पर ही बनेगा नया भवन

मंडल अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व बार व बेंच के बीच सदैव उचित समन्वय से कार्य संपादित होता आ रहा है ऐसे में बार के उपयोगी सुझावों को भी सदैव तवज्जो दी गई है इसी कड़ी में बार की सुझाव पर राजस्व मंडल का नया भवन अन्यत्र न बनाया जाकर इसे वर्तमान स्थल पर ही चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।

रीडर्स को दें आवश्यक निर्देश

मंडल अध्यक्ष ने मंडल कोर्ट्स में पदस्थापित रीडर्स की मंडल प्रशासन स्तर से नियमित बैठकर लेकर कोर्ट की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं उन्हें इस सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार न्यायिक प्रकोष्ठों में फाइल संधारित करने वाले कार्मिकों को भी पत्रावली संधारण व इससे संबंधित व्यवस्थाओं को भली-भांति ढंग से सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में निबंधक श्री महावीर प्रसाद ने बताया कि मंडल में पक्षकार एवं अभिभाषकगण की सुविधार्थ कैसेज की जानकारी प्रदान करने वाले डिस्प्ले सिस्टम को दुरुस्त किया जाकर इसे प्रभावी बनाया जाएगा इसी प्रकार अभिभाषकों को कैसेज की जानकारी संबंधी सूचना एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि निबंधक कोर्ट की पत्रावलियों को अद्यतन रखने के लिए मंडल स्तर पर 6 सदस्यीय दल का गठन कर दिया गया है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है।

बैठक में मौजूद सभी सदस्यगण एवं अभिभाषकगण ने आपसी समन्वय से कोर्ट्स के नियमित संचालन एवं प्रकरणों के तीव्र निस्तारण के प्रति प्रतिबद्धता जताई। राजस्व बार अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बरार, सचिव भीया राम चौधरी सहित वरिष्ठ अभिभाषकों ने भी प्रकरणों की संख्या में कमी लाने के लिए उपयोगी सुझाव दिये।

राजस्व मंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत 127 प्रकरण निस्तारित

अजमेर 9 दिसम्बर / राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को लेकर राजस्व मंडल के अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार राजस्व मंडल के स्तर पर गठित विशेष बेंच के माध्यम से 127 प्रकरणों का निस्तारण किया जा सका।

मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि लोक अदालत का मण्डल परिसर में दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारम्भ किया गया। इस मौके पर राजस्व मंडल सदस्य (न्यायिक) अविनाश चौधरी व पूर्व आरएएस सुरेश सिंधी की बेंच ने आपसी समझाइश योग्य चिन्हित 814 प्रकरणों में से 127 का मौके पर ही निस्तारण किया जा सका।

लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त निबन्धक श्रीमती प्रिया भार्गव, लोक अदालत के लिए मनोनीत श्री सुरेश सिंधी सहित राजस्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह बराड़, वरिष्ठ अभिभाषक राजेंद्र शर्मा एवं यज्ञदत्त शर्मा, राजस्व मंडल विभागीय समिति अध्यक्ष सुधीर शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों एवं अभिभाषकगण की मौजूदगी रही। लोक अदालत के सफल आयोजन में

राजस्व मंडल के अधिकारियों, अभिभाषकगण व न्याय शाखा के अधिकारी व कार्मिकों का योगदान रहा।

लोक अदालत कार्यवाई का रामपाल जाट सचिव जिला विधिक प्राधिकरण ने भी अवलोकन किया।

राजस्व मंडल में हर्षोल्लास से मना गणतंत्र दिवस

अजमेर। राजस्व मंडल में 75वां गणतंत्र दिवस समारोहपूर्वक आयोजित हुआ। इस मौके पर मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री रामनिवास जाट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

समारोह में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए मंडल के 15 कार्मिकों एवं मंडल स्तर पर आयोजिल विविध खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि रामनिवास जाट ने उद्बोधन में आजादी के आन्दोलन को प्रासंगिक बताया। श्याम पारीक ने देश प्रेम से ओतप्रोत गीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का प्रभावी संयोजन देवेश बड़ीवाल ने किया। समारोह में मंडल सदस्य महेंद्र लोढ़ा, अतिरिक्त निबन्धक प्रिया भार्गव, अतिरिक्त निबन्धक (वित्त एवं लेखा) शैलेन्द्र परिहार, उप निबन्धक सुनीता यादव एवं सांख्यिकी निदेशक बीना वर्मा, उप वित्तीय सलाहकार चन्द्रशेखर शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी अमित शर्मा, सहायक निदेशक पवन शर्मा, विभागीय समिति अध्यक्ष सुधीर शर्मा सहित, राजस्व मंडल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र बरार, सचिव भींया राम चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी एवं अभिभाषक गण व मंडल कार्मिक उपस्थित रहे।

15 कार्मिकों का सम्मान

75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्व मंडल में आयोजित होने वाले समारोह में राजस्व मंडल की विविध शाखाओं में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले 15 कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। राजस्व मंडल में सम्मानित होने वाले कार्मिकों में वरिष्ठ निजी सचिव राजकुमार शर्मा, निजी सचिव अजयवीर सिंह छोंकर, अति. निजी सचिव विजय कुमार शर्मा, अति. प्रशासनिक अधिकारी चतुर्भुज शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी दीपक जेठवानी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी मुकेश कुमार गोयल, सूचना सहायक एकता खंडवाल, वरिष्ठ सहायक कुलदीप शर्मा, फैयाज मोहम्मद एवं राणीदान, सहायक राजस्व लेखाधिकारी मुकेश अग्रवाल, सहायक प्रोग्रामर आशीष वर्मा, जमादार हेमा देवी, कनिष्ठ सहायक अमित मीणा तथा सहायक कर्मचारी श्रीमती संतोष देवी शामिल हैं।

गणतंत्र

दिवस

की

झलकियाँ

खेल प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत

इस अवसर पर राजस्व मंडल के स्तर पर आयोजित विभाग की कर्मचारी खेल कूद प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों एवं विजेता टीमों को भी प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।

राजस्व मंडल खेलकूद में विविध प्रतियोगिताएं आयोजित

शतरंज के मुकाबले में हर्ष विजेता एवं संगीता उपविजेता

अजमेर 12 जनवरी। राजस्व मंडल कार्मिक खेल कूद प्रतियोगिता के तहत विविध खेलों के मुकाबले आयोजित हुए, जिसमें महिला व पुरुष कार्मिकों ने बड़े उत्साह से भागीदारी निभाई।

इन मुकाबलों में शतरंज में हर्षा गौड़ ने बेहतरीन खेलते हुए विजेता का खिताब जीता वही संगीता भारती उपविजेता रही। इसी प्रकार बैडमिंटन सिंगल्स के मुकाबले में एकता खंडवाल विजेता तथा दीपिका उपविजेता रही। जबकि बैडमिंटन डबल्स में एकता और जैन प्रीति राजेंद्र विजेता रही तथा पद्मा व दीप्ति शर्मा ने उपविजेता का खिताब जीता। इसी प्रकार केरम सिंगल्स के मुकाबले में एकता विजेता रही जबकि हर्षा उपविजेता रही।

कैरम डबल्स के मुकाबले में एकता व सपना विजेता रही वही संगीता और प्रियंका ने उप विजेता खिताब जीता।

क्रिकेट मुकाबले में रेवेन्यू रॉयल्स चेम्पियन

टीम रेवेन्यू रॉयल्स एवं टीम बुल्स ऑफ बोर के मध्य फाइनल मैच हुआ। जिसमें टीम रेवेन्यू रॉयल्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और टीम बुल्स ऑफ बोर को 90 के स्कोर पर ऑल आउट किया।

दूसरी पारी में टीम रेवेन्यू रॉयल्स ने बल्लेबाजी कर 8 विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज की। टीटी में गिरीश व दौड़ में अंजनी राठौड़ प्रथम।

टेबल टेनिस स्पर्धा में मंडल के गिरीश चंदीरामानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि दीपक जेठवानी रनर अप रहे। इसी प्रकार महिलाओं की 100 मी. दौड़ स्पर्धा में अंजनी राठौर प्रथम रही जबकि निवेदिता ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

सर्वश्रेष्ठ निबंध लेखन व निर्णय लेखन के लिये सम्मान

राजस्व मंडल में सेवानिवृत्ति समारोह

राजस्व मंडल में सेवानिवृत्ति समारोह

राजस्व मंडल में गणतंत्र दिवस समारोह 2024

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

Contact Us :

Website : http//landrevenue.rajasthan.gov.in/bor

Email : bor-rj@nic.in